₹ 15

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

अप्रैल 2012



- हज़रत मुहम्मद (स) का निष्कलंक जीवन
  –मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां
- गुहरात हिंसा : कुछ यादें, कुछ बातें
  –डॉ॰ मुहम्मद अहमद
- बदहाल गुजरात
  –राम पुनियानी
- अत्याचार का मुक़ाबला कैसे करें?
  –डॉ॰ शकील अहमद

"और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल॰) की आज्ञा का पालन करे और अल्लाह से डरे और उसकी सीमाओं का ख़्याल रखे, तो ऐसे ही लोग सफल हैं।"

(क़ुरआन, 24:52)

A WELL WISHER
RANCHI

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 21 अंक 10 अप्रैल 2012

जब कभी उनसे कहा गया कि ज़मीन में बिगाड़ पैदा न करो, तो उन्होंने यही कहा कि "हम तो सुधार करने वाले हैं–सावधान वास्तव में यही लोग बिगाड़ करते हैं मगर इन्हें समझ नहीं है । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं
संपादकीय मामलों के लिए लिखें–
संपादक, 'कान्ति' मासिक
डी–314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव
जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025
ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार
एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–
प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक
डी–314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव
जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025
फ़ोन–(011)–26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/– विशेषांक रु० 25/–
वार्षिक रु० 160/–, दो वर्ष 300/–, पांच वर्ष 700/–
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल
यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर
वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

ग़ज़ल

फूल तो रह गये कीसए-ज़र[1] लिये
और शबनम[2] ने मोती लुटा भी दिये

उनके जाने का मंज़र तमाशा नहीं
दूर तक देखिये, देर तक सोचिए

साज़ो-आवाज़ के दौरे-पुरशोर[3] में
इश्क़ की बेनवाई[4] को क्या कीजिए

हम तो दीवाने ठहरे हमें क्या ख़बर
जाने क्यों हंस पड़े, जाने क्यों रो दिये

दर्द पर तबसरा[5] तो बहुत हो चुका
दर्द को आप महसूस भी कीजिए

जाम साक़ी[6] ने जब बेरुख़ी से दिया
मैकदे[7] से निकल आये हम बेपिये

शैख़ साहब तुम्हारी भी अच्छी कटी
ख़ूब सजदे किये, ख़ूब धोखे दिये

अंजुमन[8] कैफ़ो-मस्ती[9] में डूबी रही
शमअ्[10] घुलती रही अंजुमन के लिए

ऐ 'हफ़ीज़' उसने किस सादगी से कहा
आप क्या अर्ज़ करते हैं फ़रमाइए ।

■ **हफ़ीज़ मेरठी**

---

1. सोने से भरी थैली 2. ओस 3. शोर-शराबे का दौर 4. ख़ामोशी 5. टिप्पणी 6. शराब पिलाने वाला 7. शराबख़ाने 8. महफ़िल 9. नशा और मस्ती 10. चिराग़, मोमबत्ती ।



कहां क्या है ?

ग़ज़ल	–हफ़ीज़ मेरठी	3
कुरआन ज्योति		5
प्रतिज्ञा और वादा पूरा करना (हदीस मंजरी)		6
मतदाताओं के विवेक का सम्मान करें (संपादकीय)		7
इस्लामी शिक्षाओं पर अमल... (आपके पत्र)		9
हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का निष्कलंक जीवन	–मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां	13
इस्लाम में क्षमाशीलता	–लालाकाशी राम चावला	17
मुक्ति के लिए सत्य-ज्ञान आवश्यक	–संपादन प्रभाग	21
भाजपा का राष्ट्रवाद	–सत्येन्द्र रंजन	23
गुहरात हिंसा : कुछ यादें, कुछ बातें	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	26-27
बदहाल गुजरात	–राम पुनियानी	37
मैंने गुजरात का मंज़र देखा है (कविता)	–शबीना अदीब	38
संवैधानिक और क़ानूनी तरीक़े से करें अत्याचार का मुक़ाबला	–डॉ॰ शकील अहमद	39
समय का दर्पण (उद्‌गार)	–हितेश कुमार शर्मा	41
पूर्ण जीवन के तीन पक्ष	–मार्टिन लूथर किंग	43
देश का 42 फ़ीसद 'भविष्य' कुपोषित	–मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'	47
चरित्र-निर्माण (दृष्टिकोण)	–रामस्वरूप झंघर	49
बालवीथी		50

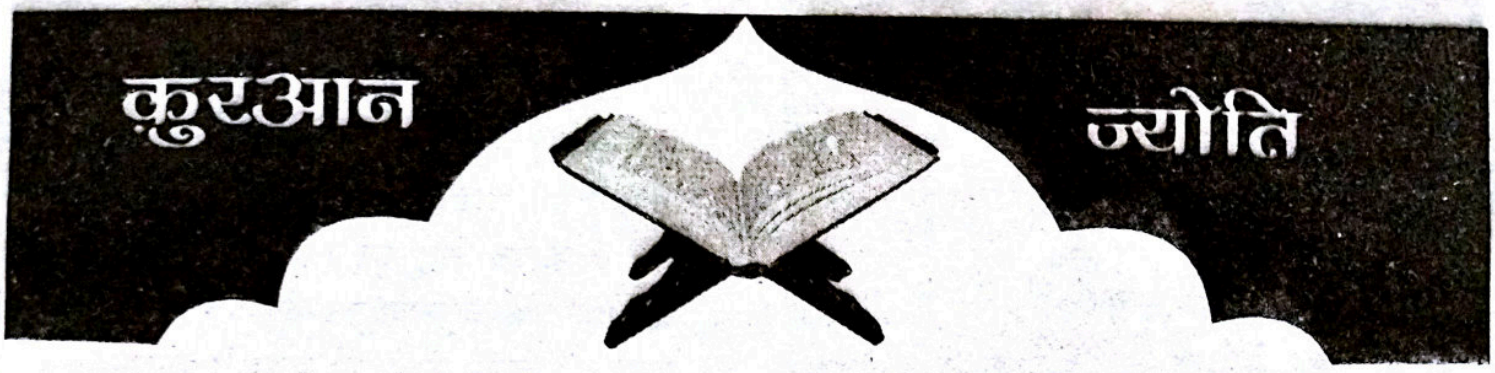

(56) (मुख्य रूप से) उनमें से वे लोग जिनके साथ तूने समझौता किया, फिर वे हर मौक़े पर उसको तोड़ते हैं और तनिक भी अल्लाह से नहीं डरते।[41] (57) इसलिए अगर ये लोग तुम्हें लड़ाई में मिल जाएं तो उनकी ऐसी ख़बर लो कि उनके बाद दूसरे जो लोग ऐसा रवैया अपनाने वाले हों, उनके होश उड़ जाएं।[42] आशा है कि वचन भंग करने वालों के इस परिणाम से वे शिक्षा ग्रहण करेंगे।

–क़ुरआन, 8 : 56-58

41. यहां मुख्य रूप से संकेत है यहूदियों की ओर। नबी (सल्ल॰) ने मदीना तैयिबा में तशरीफ़ लाने के बाद सबसे पहले उन्हीं के साथ अच्छे पड़ोसी जैसा व्यवहार और आपसी सहयोग व सहायता का समझौता किया था और अपनी हद तक पूरी कोशिश की थी कि उनसे मधुर संबंध स्थापित किये जाएं। साथ ही धार्मिक रूप से भी आप यहूदियों को मुशरिकों (अनेकेश्वरवादियों) की अपेक्षा अपने से अधिक क़रीब समझते थे और हर मामले में मुशरिकों के मुक़ाबले में अह्ले किताब (किताब वालों) के तरीक़े को प्रमुखता देते थे। लेकिन उनके उलमा और बुज़ुर्गों को विशुद्ध तौहीद (एकेश्वरवाद) और सच्चरित्र का वह प्रचार और विश्वास व व्यवहार की पथभ्रष्टताओं पर वह आलोचना और दीन (धर्म) की स्थापना की वह कोशिश, जो नबी (सल्ल॰) कर रहे थे, एक क्षण के लिए भी पसन्द न थी और उनकी बराबर कोशिश यह थी कि यह नया आन्दोलन किसी प्रकार भी सफल न होने पाये। इसी उद्देश्य के लिए वे मदीना के कपटाचारी मुसलमानों से सांठ-गांठ करते थे, इसी के लिए वे औस और ख़ज़रज के लोगों में उन पुरानी दुश्मनियों को भड़काते थे जो इस्लाम से पहले उनके बीच ख़ूनी टकराव का कारण बन जाती थीं। इसी के लिए क़ुरैश और दूसरे इस्लाम विरोधी क़बीलों से उनकी ख़ुफ़िया साज़िशें चल रही थीं और ये सब हरकतें उस मैत्री समझौते के बावजूद हो रही थीं जो नबी (सल्ल॰) और उनके बीच लिखा जा चुका था। जब बद्र की लड़ाई छिड़ी तो आरंभ में उनको आशा थी कि क़ुरैश की पहली ही चोट इस आन्दोलन का अन्त कर देगी, लेकिन जब परिणाम उनकी आशाओं के विपरीत निकला तो उनके सीनों में द्वेष की आग और ज़्यादा भड़क उठी। उन्होंने इस भय से कि बद्र की जीत कहीं इस्लाम की शक्ति को एक स्थायी 'ख़तरा' न बना दे, अपने विरोधी प्रयासों को और तेज़ कर दिया, यहां तक कि उनका एक लीडर काब बिन अशरफ़ (जो क़ुरैश की पराजय की ख़बर सुनते ही चीख़ उठा था कि आज धरती का पेट हमारे लिए उसकी पीठ से बेहतर है) स्वयं मक्का गया और वहां उसने उत्तेजनापूर्ण शोक-गीत सुना-सुनाकर क़ुरैश में प्रतिशोध की भावना भर दी। इस पर भी उन लोगों ने बस न किया। यहूदियों के क़बीला बनी क़ैनुक़ाअ ने अच्छे पड़ोसी वाले समझौते के ख़िलाफ़ उन मुसलमान औरतों को छेड़ना शुरू किया जो उनकी आबादी में किसी काम से जाती थीं और जब नबी (सल्ल॰) ने उनकी इस हरकत पर निन्दा की तो उन्होंने उत्तर में धमकी दी कि "ये क़ुरैश नहीं हैं, हम लड़ने-मरने वाले लोग हैं और लड़ना जानते हैं। हमारे मुक़ाबले में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मर्द कैसे होते हैं।"

42. इसका अर्थ यह है कि अगर किसी क़ौम से हमारा समझौता हो और फिर वह अपने समझौते वाले दायित्वों को पीठ पीछे डालकर हमारे विरुद्ध किसी लड़ाई में भाग ले, तो हम भी समझौते के नैतिक दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे और हमें यह अधिकार प्राप्त होगा कि उससे युद्ध करें, साथ ही अगर किसी क़ौम से हमारी लड़ाई हो रही हो और हम देखें कि शत्रु के साथ एक ऐसी क़ौम के लोग भी लड़ रहे हैं जिससे हमारा समझौता है तो हम उनको क़त्ल करने और उनसे शत्रु जैसा मामला करने में कदापि कोई संकोच न करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत हैसियत में अपनी क़ौम के समझौते का उल्लंघन करके अपने आपको इसका अधिकारी नहीं रहने दिया है कि उनकी जान व माल के मामलों में उस समझौते के मर्यादा को ध्यान में रखा जाए जो हमारे और उनकी क़ौम के बीच है।

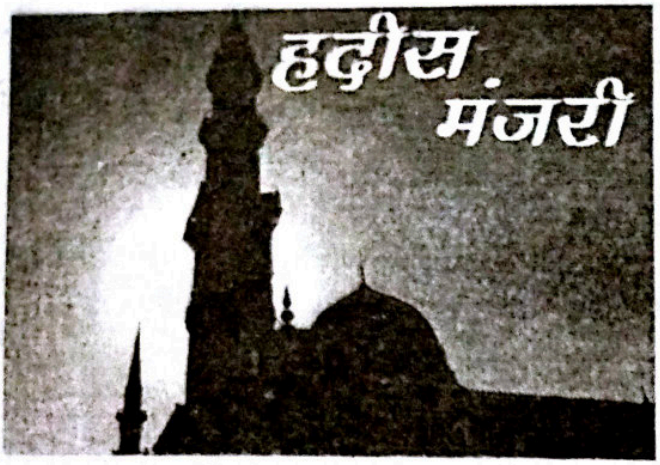

प्रतिज्ञा और वादे को पूरा करना

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "मिथ्याचारी (मुनाफ़िक़) की तीन निशानियां हैं : जब बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो उसके विपरीत आचरण करे, और जब उसे कोई अमानत सौंपी जाए तो ख़यानत करे ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

मुस्लिम की एक रिवायत में ये शब्द और आये हैं: "यद्यपि वह रोज़ा रखे और नमाज़ पढ़े और यह समझे कि वह मुसलमान है ।"

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "चार बातें ऐसी हैं कि वे जिस किसी में पायी जाएं, तो वह परिशुद्ध मिथ्याचारी है । और जिस किसी में उनमें से कोई एक आदत पायी जाए उसमें मिथ्याचार की एक आदत मौजूद होती है जब तक कि उसको छोड़ न दे (वे चार बातें ये हैं) : जब उसे कोई अमानत सौंपी जाए तो ख़यानत करे, और जब बात करे तो झूठ बोले, और जब प्रतिज्ञा करे तो उसको तोड़ दे, और जब झगड़ा करे तो अपशब्द बकने लगे ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

अच्छी वाणी और प्रफुल्लित चेहरे के साथ मिलना मनोवांछित

● हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "आग (जहन्नम) से बचो चाहे खजूर के एक टुकड़े के द्वारा ही । फिर जिस किसी को यह भी प्राप्त न हो, तो एक अच्छी बात के द्वारा ही ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "और अच्छी बात भी एक सदक़ा है ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू ज़र (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मुझसे कहा : "किसी नेकी को तुच्छ न समझना चाहे वह तुम्हारा अपने भाई से प्रफुल्लित चेहरे के साथ मिलना ही क्यों न हो ।" –मुस्लिम

संबोधित व्यक्ति के लिए बात का स्पष्टीकरण

● हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) जब कोई बात करते, तो उसे तीन बार दोहराते ताकि वह पूर्ण रूप से समझ में आ जाए । और जब आप कुछ लोगों के पास पधारते, तो उन्हें सलाम करते और तीन बार सलाम करते ।

–बुख़ारी

उपदेश और नसीहत में 'मध्यमार्ग अपनाना

● हज़रत अबू वायल सक़ीक़ बिन सलमह से रिवायत है । वे कहते हैं कि हज़रत इब्न मसऊद (रज़ि॰) हर गुरुवार को हमें उपदेश दिया करते थे । एक व्यक्ति ने उनसे कहा : ऐ अबू अब्दुर्रहमान, मैं चाहता हूं कि आप हमें प्रत्येक दिन उपदेश दिया करें। इस पर उन्होंने कहा : ऐसा करने से मुझे केवल यह चीज़ रोकती है कि मुझे यह नापसन्द है कि मैं तुम्हें उकताहट में डाल दूं । मैं तुम्हें अन्तराल के साथ उपदेश देता हूं जैसा कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) इस भय से कि कहीं हम उकता न जाएं अन्तराल के साथ हमें उपदेश देते थे। –बुख़ारी, मुस्लिम

(रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय
हिन्दी वेबसाइटें
www.quranhindi.com
www.islamdharma.org
www.islamicwebdunia.com
www.islamic-videos.com

संपादकीय

मतदाताओं के विवेक का सम्मान करें

निश्चय ही भारतीय राजनीति की अपनी विशिष्टताएं हैं । इसमें बहुधर्मी, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देशज समाज का जो प्रतिबिंब विद्यमान रहता है, वह उसे अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों से अलग बना देता है । रही बात इस प्रतिबिंब को विकृत करने के प्रयास की, तो बहुधा देखा गया है कि साम्प्रदायिक एवं फॉसीवादी मानसिकता के 'धनी' कुछ संगठन और लोग इसके लिए तत्पर रहते एवं साज़िश करते रहते हैं कि देश के कुछ समुदाय जिनमें मुसलमानों समेत कुछ अन्य अल्पसंख्यक सम्मिलित हैं, राजनीतिक परिदृश्य पर न उभर सकें । पिछले दिनों संपन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी इसके लिए दुष्प्रयास किया गया, लेकिन मतदाताओं की परिपक्वता ने इसे असफल बना दिया । इन चुनावों ने जो संकेत दिये हैं, वे सकारात्मक तो हैं ही, रचनात्मक भी हैं । इनके आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय मतदाता इस स्थिति में पहुंच गये हैं कि उन्हें 'झुनझुनों' के ज़रिये बहलाया-फुसलाया नहीं जा सकता । उनकी मानसिक परिपक्वता को कुंठित नहीं किया जा सकता । उनके निखरते विवेक को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझना समीचीन होगा ।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर राज्य की विधानसभाओं के जो चुनाव संपन्न हुए हैं, उनमें से उ०प्र० की संख्या और क्षेत्र बल को सभी सक्रिय राजनीतिक पार्टियों ने प्राथमिकता दी और चुनाव जीतने के लिए यथासामर्थ्य हर जतन व प्रयास किये । लेकिन मतदाताओं के विवेक को देखिए—लगभग हर सीट पर उसका प्रदर्शन हुआ, यहां तक कि कांग्रेस को अपनी सभी परम्परागत व प्रिय सीटों पर चुनाव हारना पड़ा । मुस्लिम मतदाताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे किसी पार्टी के 'वोट बैंक' नहीं हैं । जो पार्टी उनके हितार्थ काम करेगी और पक्षपातरहित व्यवहार करेगी, उसे ही वे वोट देंगे । कांग्रेस की काली करतूतों को वे बरसों-दशकों से भुगत रहे हैं । इनकी सूरत कुछ यूं दिखती है—आतंकवाद की आड़ व उसके नाम पर कांग्रेस नीत यू०पी०ए० सरकार ने निर्दोष मुस्लिम नवयुवकों की गिरफ़्तारी का जो अंतहीन सिलसिला चला रखा है, उसकी भी प्रतिक्रिया मुस्लिम मतदाताओं के विवेकपूर्ण मतदान-कर्म के द्वारा मिली है । यह भी इंगित किया गया कि राज्य की मुस्लिम मतों की उल्लेखनीय संख्यावाली 140 विधानसभा सीटों पर केवल वही प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, जो साम्प्रदायिकता एवं फॉसीवादी कुप्रवृतियों का विरोधी हो और अपने आचार-विचार एवं चरित्र को परिमार्जित करने तथा निखारने के लिए तत्पर हो ।

अतः यह कहा जा सकता है कि सपा को मिली मुसलमानों की 42 सीटें अत्याचार और पक्षपात के विरुद्ध स्पष्ट जनादेश है, क्योंकि इनके अभाव में सपा को स्पष्ट बहुमत कदापि न मिलता । बसपा ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में मुसलमानों के साथ काफ़ी छल किया । निर्दोष मुस्लिम नवयुवकों की अंधाधुंध गिरफ़्तारियां करायी गयीं, मुस्लिम जनता के कल्याण और उत्थान के लिए दिखावे के तौर पर भी कुछ नहीं किया गया । उल्लेखनीय है कि मुसलमानों के मतों का बड़ा भाग बसपा को मिला था, जिसका मायावती ने सर्वथा तिरस्कार किया । उनकी पार्टी कोई लिखित वादा नहीं करती, लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव

में जनसभाओं में मायावती ने जो वादे किये थे, उनमें से किसी को पूरा नहीं किया ।

कांग्रेस के 'आतंकवाद विरोधी छद्म युद्ध' का हिस्सा बनी रहीं । बटला हाउस हत्याकांड के बाद संजरपुर (आज़मगढ़) और अन्य स्थानों पर मुस्लिम उत्पीड़न में उन्होंने कांग्रेस के साथ-साथ रहने के साथ ही अपने तौर पर भी निर्दोष मुस्लिम नवयुवकों को गिरफ़्तार करके जेलों में डालने का सिलसिला चला रखा था । विधानसभाओं के ताज़ा चुनाव को 'आम चुनाव' का 'सेमी फ़ाइनल' माना जा रहा था । इस दृष्टि से कांग्रेस को लिए शुभ संकेत नहीं मिले । इसी वर्ष गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं । गुजरात कांग्रेस की हार सुनिश्चित ही है । कांग्रेस की कुनीतियों के कारण जनता उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है । बढ़ती महंगाई, यू०पी० सरकार में शीर्ष स्तर पर फैले भ्रष्टाचार और राजनीतिक परिपक्वता की कमी भी कांग्रेस के घटते जनाधार के कारण हैं ।

कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का कारण यह हो सकता है कि मतदाता क्षणिक और तात्कालिक भावावेश में आना भूल गये हैं ! दूसरी ओर सपा के लिए स्पष्ट संदेश यह है कि यदि उसने घोषणा-पत्र में किये गये वादों को पूरा नहीं किया, तो उसे भी मतदाताओं के विवेक का सामना करना पड़ेगा । इस आशंका को देखते हुए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के पूर्व ही चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वादों को पूरा करने का ऐलान कर दिया था, इसलिए यह प्रबल आशा की जा सकती है कि जनता के विवेक का अनादर नहीं होगा ।

इस्लामिक एकेडमी फॉर चिल्ड्रेन

निज़ामपुर, गोरखपुर

फ़ोन : 2292578, मो० : 9235560029

L.K.G. से V (तक दाख़िला शुरू है ।)

आदरणीय अभिभावकगण !

यदि आप अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ अपने दीन और अपनी मातृभाषा की उत्तम शिक्षा चाहते हैं तो इस संस्था में अपने बच्चों का दाख़िला कराएं । यह संस्था 1989 से क़ौम की शैक्षणिक सेवाएं प्रदान कर रही है । संस्था की ख़ूबियां निम्नलिखित हैं ।

1. आधुनिक एवं दीनी शिक्षा का हसीन संगम। 2. इंग्लिश मीडियम, कंप्यूटर की बेहतरीन शिक्षा। 3. अरबी, केवल नाज़रा ही नहीं बल्कि लिट्रेचर पढ़ाया जाता है। 4. यहां का माहौल दीनी और दिलकश है। खेल-कूद की अच्छी व्यवस्था है। जो बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। 5. स्टाफ़ तजुर्बेकार और अपने काम में माहिर हैं। 6. संस्था बच्चों की संख्या ही नहीं बल्कि बच्चों की शैक्षणिक योग्यता को वरीयता देती है। 7. दीनियात की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था है।

प्रिंसिपल : महमूदा बेगम (एम०ए०, बी०एड०)

इस्लामी शिक्षाओं पर अमल करने की ज़रूरत

'कान्ति' दिसम्बर 2011 के अंक का आवरण पृष्ठ प्राकृतिक लुभावने चित्र से सुसज्जित है यह आनंददायक है और आभास कराता है कि अन्दर की सामग्री भी पठनीय एवं ध्यान देने योग्य है ।

'हदीस मंजरी' अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देती है । कोई कठोरता का व्यवहार करना हो तो भी नरमी का ही व्यवहार करें । वास्तविकता अल्लाह देख रहा है यह न भूलें ।

अंक का संपादकीय बड़ी कुशलता और दूरदर्शिता का द्योतक है । मनुष्य को बुराइयों और बुरे विचारों से दूर करने का प्रयास करना चाहिए । न्याय व्यवस्था की ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है । 19 वर्ष पूर्व बाबरी मस्जिद शहीद की गयी मगर उस संबंध में अभी तक न्याय नहीं किया गया ।

''इस्लाम की कुछ शिक्षाएं'' वास्तविकता प्रदर्शित करता आलेख है । इनको समझकर इन पर अमल करने की ज़रूरत है । ''औरंगज़ेब की धार्मिक सहृदयता उसकी सदाशयता पर ध्यान दिलाकर उसकी धर्मांधता और धर्मद्वेष की स्थिति को नकारने और सच्ची स्थिति गंभीरता से समझने पर ध्यान दिलाता है ।

कहानी 'गुमराह रहनुमा' आकर्षक और प्रभावोत्पादक है । जिहाद की वास्तविकता का सार संक्षेप भी ध्यान देने योग्य है । 'खा रहा है आदमी को आदमी' वास्तविकता की ओर ध्यान दिलाती काव्य पंक्तियां हैं ।

अंक अन्य सामग्री भी पठनीय है । इस प्रकार अंक आकर्षक बन पड़ा है । संपादक मंडल और सहयोगी भाई बधाई के पात्र हैं ।

अन्याय के विरुद्ध जी जान से लड़ते रहिए
अपनी आंख पर तनिक आंच न आने दीजिए
चहुंओर से साहस बटोर कर क़दम आगे बढ़ाइए
भारतीय परंपरा को धूमिल मत होने दीजिए ।

मदन मोहन वर्मा

बी-19, राजेन्द्र कॉलोनी, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

आतंकवाद का कोई धर्म नहीं

'कान्ति' के माध्यम से हिन्दी भाषियों को इस्लाम की जानकारी देने का आपका प्रयास स्तुत्य है । आतंकवादी हिन्दू अधिक मुसलमान कम कहने से आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाएगा । आर्य राष्ट्र के विषय में कोई आर्य ही अच्छे ढंग से बता सकता है, जो आर्य राष्ट्र का लक्ष्य लिए हुए हो । शिक्षाएं तो वेद उपनिषद् आदि में भी बहुत अच्छी हैं, पर उन्हें व्यवहार में कौन लाता है ।

राष्ट्र के हित के लिए हमें मज़हब के संकुचित दायरे से तो बाहर आना ही होगा । साथ ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को भी छोड़ना पड़ेगा, जिसके चलते देश में कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिल रही है । मनु का विधान तो मिलावट करने वालों, चोर, हत्यारों व बलात्कार करने वालों को हाथ-पैर काटने व जान से मारने तक की आज्ञा देता है । भ्रष्टाचारी, आतंकवादी को निंदा होनी ही चाहिए, चाहे वह मेरे घर का ही क्यों न हो ।

जवाब : स्नेह-पत्र हेतु धन्यवाद । व्यस्त जीवन में लिखने के लिए समय निकालने के पुनश्य धन्यवाद । हम बार-बार इस वास्तविकता को प्रकट करते रहे हैं कि आतंकवाद या आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता । 'कान्ति' के पुराने अंक इस तथ्य के साक्ष्य हैं । कोई धर्म आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता । इसी प्रकार धर्मों की शिक्षाओं में भ्रष्टता की शिक्षा नहीं है, फिर यह कहना ठीक नहीं कि हमें मज़हब के संकुचित दायरे से तो बाहर आना ही होगा ।' अगर आपका संकेत इस्लाम धर्म से है, तो इस्लाम की शिक्षाएं मानवीय शिक्षाओं और उनके व्यावहारिक कार्यान्वयन में अन्य धर्मों से विशिष्ट, अनुपम और सटीक हैं ।

रही बात आर्य राष्ट्र की, तो क्या आप इसका कुछ विवरण देने का कष्ट करेंगे ? **-संपादक**

बैंक-ब्याज का विकल्प

फ़रवरी 2012 अंक में जस्टिस शिवकुमार शर्मा का 'ब्याज से कमाई अभिशाप' शीर्षक आलेख पढ़ा । काफ़ी पसन्द आया । कृपया बताएं कि अगर बैंक ब्याज न लें, तो

अपना कारोबार कैसे चलाएंगे ? अपने कर्मचारियों का वेतन और अन्य ख़र्चे कैसे निकालेंगे ?

उजागर सिंह

1287, सेक्टर-49 बी, चंडीगढ़-160047

जवाब : इस्लामी बैंकिंग ब्याज पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसकी व्यवस्था ब्याजरहित है । इसमें इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार लाभ-हानि के आधार पर धन को व्यवसाय में लगाया जाता है, जिससे हुई आय से विभिन्न प्रकार के ख़र्च चलते हैं । धन बहुत ही सूझ-बूझ के साथ मानव के लिए लाभकारी कार्यों व उद्योगों में लगाया जाता है, ताकि आय की अधिक आशा है । इस व्यवस्था में ब्याज वाली व्यवस्था के मुक़ाबले में कम जोखिम होता है ।

–संपादक

मनुष्य का भोजन

मांस, मछली, अंडा मनुष्य का भोजन नहीं है । इनके खाने से शरीर में भयंकर रोग लग जाते हैं ।

देशराज आर्य मित्र

नयी दिल्ली-64

जवाब : पत्र हेतु धन्यवाद । सच यह है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से मांसाहारी और शाकाहारी प्राणी है । वह मां के पेट में मांस-रस पर ही जीवित रहता है । जहां तक भयंकर रोग लगने की बात है, यह अवैज्ञानिक बात है । कृपया करके 'कान्ति' के फ़रवरी 2012 अंक में प्रकाशित 'जीव हत्या की वास्तविकता' को पुनः पढ़ें ।

–संपादक

साहित्यिक पत्रिका निकालना आसान नहीं

आप द्वारा प्रेषित 'कान्ति' दिसम्बर 2011 एवं जनवरी 2012 अंक प्राप्त हुआ । जनवरी अंक आद्योपांत पढ़ा । धार्मिक एवं साहित्यिक, पत्रिका 'कान्ति' में प्रकाशित जिन रचनाकारों ने अत्यधिक प्रभावित किया, उनमें हैं–सर्वश्री विष्णु प्रभाकर, रोहित यादव, डॉ॰ तारिक़ असलम 'तस्नीम' विद्या प्रकाश ।

साहित्यिक पत्रिका निकालना बहुत ही कठिन कार्य है, फिर भी आप 21 वर्षों से पत्रिका निकाल रहे हैं इसके लिए आप एवं आपके सहयोगीगण निश्चित रूप से बधाई के योग्य हैं ।

रमेश नाचीज़

524 कर्नलगंज, इलाहाबाद-211002

इस्लामी समाज को समझाने वाली पत्रिका

मैंने पहली बार 'कान्ति' को ध्यानपूर्वक पढ़ा तब मुझे यह एहसास हुआ कि इस्लाम और पूरे इस्लामी समाज को समझने के लिए इससे अच्छी पत्रिका नहीं हो सकती ।

विशेष तौर पर कर्नल सतीश वर्मा का अलौकिक कुरआन लघुकथा और ग़ज़ल बहुत पसन्द आयी । आज से मैंने इरादा कर लिया है ।

इसका मैं मुस्तक़िल ग्राहक बनूंगा और अपने हिन्दू दोस्तों को पढ़वाऊंगा । मेरी यह दुआ है कि अल्लाह 'कान्ति' पत्रिका को और तरक़्क़ी दे !

अलतमश आरिफ़

ककराला (बदायूं)

धर्म और अंधविश्वास

'कान्ति' के दिसम्बर 2011 और जनवरी 2012 अंक पढ़े । पत्रिका की रचनाएं स्तरीय हैं, इससे पाठकों को नयी जानकारियां मिलती हैं ।

जनवरी के अंक में डॉ॰ आइशा अब्दुल्लाह का लेख, 'इस्लाम में अंधविश्वास नहीं' पढ़ा, अच्छा नहीं लगा । अपने धर्म की अच्छाइयों का वर्णन ज्ञानवर्द्धक होता है, मगर दूसरे से उसकी तुलना स्वयं एक अंधविश्वास लगता है ।

दिसम्बर 2011 के अंक में 'औरंगज़ेब की धार्मिक सहृदयता'' मेरे साथ अनेक प्रबुद्ध वर्ग को अच्छी लगी होगी । यह सच है कि इतिहासकारों में ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किसी को उठाने और गिराने की भूमिका निभायी है ।

पत्रिका में अन्य बहुत से विषयों पर रचनाएं आपके संपादकीय सूझबूझ को दर्शाती हैं । इससे पाठकों को स्वयं तुलना करने का अवसर मिल रहा है कि क़ुरबानी और पशुबलि जिहाद और क्रान्ति, ज़कात और त्याग एवं दान में क्या अन्तर है । पत्रिका के सफल संपादन और इसके प्रसार सफलता के लिए शुभकामनाएं !

कैलाश बिहारी श्रीवास्तव

शहज़ाद कोठी, रायबरेली

आंख खोलने वाली पत्रिका

'कान्ति' का अंक पढ़ा पढ़कर मैं प्रभावित ही नहीं हुआ हूं, बल्कि मुग्ध हो गया हूं । 'कान्ति' पत्रिका आंख खोलने वाली है और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि इसमें हर स्तर की रचनाएं समाहित हैं । इस लोप्रिय एवं प्रतिष्ठित

पत्रिका में पहाड़ भी है और खाई भी । झरना भी है और बाग़-बग़ीचा भी ।

ठाकुर शंकर कुमार
अररिया, बिहार

भारत के हित में नहीं यह दोस्ती

अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों ने 1948 ई॰ में फ़िलिस्तीन से 90 प्रतिशत अरबों को निकाल दिया और वहां दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से यहूदियों को लाकर बसा दिया और इसराईल की नाजायज़ सरकार बना दी । फिर इसराईल ने ग्रेटर इसराईल की योजना बनायी और अरब देशों की ज़मीन पर क़ब्ज़ा करना शुरू किया ।

अमेरिका आदि उसकी मदद करते रहे और संयुक्त राष्ट्र चुप रहा । इस समय का इसराईल 1948 के इसराईल से दोगुना बड़ा है । अमेरिका ने उसे विनाशकारी हथियारों से लैस कर दिया है । आज वह अरबों की छाती पर ख़ंजर के समान है ।

पंडित नेहरू ने मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुन्नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अहमद सुकारनो आदि की मदद से गुटनिरपेक्ष संगठन बनाया था, जिसने अमेरिका, ब्रिटेन, इसराईल आदि को लगाम लगायी थी । उन्हें एशिया, अफ़्रीक़ा में मनमानी करने से रोका था । बहुत से अरब देशों ने नेहरू जी का समर्थन किया था ।

अमेरिका और उसके साम्राज्यवादी साथियों ने इराक़ पर हमला करके लाखों बेगुनाहों को जान से मार डाला और इराक़ को बर्बाद करके रख दिया । उसके तेल के भंडारों पर क़ब्ज़ा कर लिया । सद्दाम हुसैन पर झूठा आरोप लगाकर उसे फांसी पर लटका दिया । साम्राज्यवादी शक्तियों का यही समूह अफ़ग़ानिस्तान के क़ीमती खनिजों पर क़ब्ज़ा करने के लिए वहां बरसों से आग और ख़ून की बारिश कर रहा है । वहां जान और माल की भारी नुक़सान हुआ है ।

हमारे देश के संबंध अफ़ग़ानिस्तान और अरब देशों से बहुत अच्छे रहे हैं । 30 लाख से भी अधिक भारतीय नागरिक अरब देशों में व्यापार और मुलाज़िमत कर रहे हैं । जिनके माध्यम से देश को अरबों-खरबों रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । अरब देश हमारे निर्यात बाज़ार भी हैं, जिनका साथ देना हर तरह से देश के हित में है ।

हसनैन कैफ़
भंडारा, महाराष्ट्र

मानव-कर्तव्य

इन्सान को अपना फ़र्ज़ अदा करते रहना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए । हालात चाहे जैसे भी हों सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए । अल्लाह ने बन्दे की क़िस्मत में दुनिया का जितना हिस्सा लिख दिया है वह उसे हर हाल में मिलाकर रहेगा । कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य प्रयास तो बहुत करता है मगर उसे उसका फल मिलता नज़र नहीं आता । वह अल्लाह की इबादत भी करता है, मगर फिर भी परेशान रहता है, उसे जीवन में सुख नसीब नहीं होता । यह अल्लाह की ओर से परीक्षा होती है, मनुष्य को चाहिए कि अपने प्रयास जारी रखे, धैर्य से काम ले और अल्लाह पर भरोसा रखे ।

विश्व मोहन कुमार सिन्हा
उर्दू विभागाध्यक्ष, पी॰एस॰सी॰ कॉलेज, मधेपुरा (बिहार)

मुसलमानों का कर्तव्य

'क़ान्ति' का फ़रवरी 2012 का अंक मेरे हाथ में है । डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी जी का लेख पढ़ा । वास्तव में इस्लाम धर्म, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु है । एक मुसलमान दूसरे धर्म के लोगों को पूरी स्वतंत्रता देता है ।

यदि कोई इस्लाम धर्म ग्रहण करे और उनके माता-पिता उसका विरोध करें तो उसे चाहिए कि उनकी बात न माने, परन्तु उनके साथ सद्व्यवहार करता रहे । जो भी व्यक्ति ईमान वाले हैं, उन्हें अपने पड़ोसियों से सद्व्यवहार करना चाहिए, चाहे वह पड़ोसी अन्य धर्मों का मानने वाला ही क्यों न हो ।

समाज में कई लोग निर्धन, मुहताज और लाचार हैं, अत: आर्थिक रूप से संपन्न मुसलमान का कर्तव्य है कि उनकी मदद करे । मुसलमान को चाहिए कि अपने पड़ोसियों से उपहारों का लेन-देन रखे । इस प्रकार मुहब्बत बढ़ती है।

ब्याज से की गयी कमाई एक अभिशाप की तरह होती है । इस व्यवस्था से ग़रीब और ग़रीब होता जा रहा है तथा अमीर और अमीर होता जा रहा है । ब्याज से लोग ग़रीबों का ख़ून चूसते हैं । अत: ब्याज की अर्थव्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए ।

अबरार अहमद (लाखेरी वाले)
म॰न॰-554, गली न॰-03, जे॰पी॰ कॉलोनी,
रंगपुर रोड, कोटाजंक्शन, कोटा (राज॰)

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)

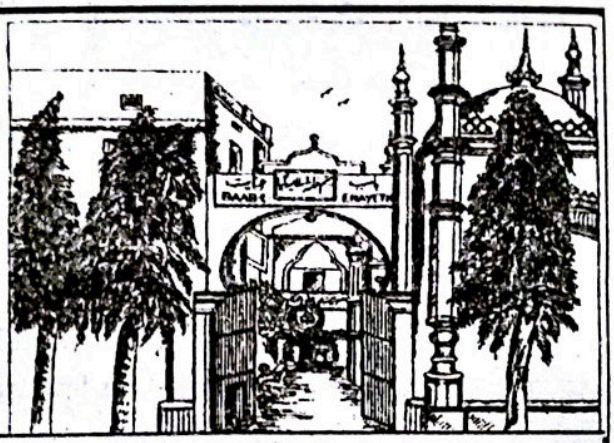

एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 94 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2010-2011 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 12000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 15 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 125 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● कुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप खुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,
UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)
में अपनी रक़म भेज सकते हैं

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)
CORE BANKING A/C NO. : 300402010010581, ☎ 0631-2734428 ● Mobile : 9955655960
E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

अध्यक्ष
डॉ० फ़रासत हुसैन

एज़ाज़ी नाज़िम
डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का निष्कलंक जीवन

■ मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

जीवन का सीधा और सच्चा मार्ग पाने के लिए मनुष्य को सदैव ईश्वरीय मार्ग-प्रदर्शन की आवश्यकता रही है । ईश्वरीय शिक्षा और ईश्वरीय मार्गदर्शन से अलग रहकर मनुष्य कभी भी सीधे मार्ग को पा नहीं सकता । मनुष्य को जीवन का सीधा और सच्चा मार्ग दिखाने के लिए 'अल्लाह' ने 'किताबें' उतारीं और अपने 'रसूल' भेजे । रसूलों ने लोगों के समक्ष ईश्वरीय ग्रंथों के अर्थ और अभिप्राय को स्पष्ट रूप से बयान किया और 'अल्लाह' के दिये हुए आदेशों के अनुसार चलकर उन्हें दिखाया । उन्होंने लोगों के सामने अपना आदर्श जीवन प्रस्तुत किया ताकि वे अच्छी तरह इस बात को समझ सकें कि ईश्वरीय इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का तरीक़ा क्या होता है ।

अल्लाह की ओर से यदि कोई 'रसूल' न आता, केवल 'किताब' का अवतरण होता, तो उस किताब के समझने में लोगों के बीच विभेद होता और यह निर्णय न हो पाता कि सत्य किसकी ओर है और किसकी ओर नहीं है । ईश्वरीय आदेशों के वास्तविक अभिप्राय और उद्देश्य को समझने में लोग ग़लतियां करते और कोई न होता जो उन्हें ईश्वरीय आदेशों का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य बता सकता । इसके अतिरिक्त मनुष्य की यह एक आवश्यकता है कि जीवन के समस्त मामलों में कोई उसके साथ शरीक होकर अपने व्यवहार और वचन से उसको जीवन का सीधा मार्ग दिखाये । विचार और व्यवहार प्रत्येक दृष्टि से उसकी शिक्षा-दीक्षा का उपाय करे और उसमें सत्यानुसरण की भावना पैदा करे । लोगों को बताये कि जीवन के कठिन और पेचीदा मार्गों में वे किस प्रकार सत्य और न्याय के मार्ग को अपनाएं, और उसी पर जीवन भर चलते रहें ।

मनुष्य की यह आवश्यकता किसी फ़रिश्ते के द्वारा पूरी नहीं हो सकती थी । 'फ़रिश्तों' को मानवीय आवश्यकताओं से क्या संपर्क ? 'फ़रिश्तों' की मनोवृति और प्रकृति मानवों से सर्वथा भिन्न होती है । इसलिए वे मानवीय जीवन के लिए दृष्टांत और नमूना नहीं बन सकते । यही कारण है कि अल्लाह ने किताब के साथ जो 'रसूल' भी भेजा वह मनुष्य था 'फ़रिश्ता' न था ।

'रिसालत' और नुबूवत का इतिहास भी उतना ही लंबा है जितना कि मानव का इतिहास है । रिसालत और नुबूवत का सिलसिला उसी समय से आरंभ होता है जबकि पहले मनुष्य ने इस धरती पर क़दम रखा था । प्रत्येक जाति में अल्लाह के रसूल आये । उन्होंने अपनी जाति वालों को स्वयं उन्हीं की भाषा में संबोधित किया । अल्लाह के अंतिम रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हैं । आपके बाद अब मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए कोई नया रसूल आने वाला नहीं है । आप पर 'नुबूवत' का सिलसिला समाप्त हो जाता है । अल्लाह के अंतिम रसूल के दायित्वों का जो विवरण क़ुरआन में मिलता है वह यह है : "और याद करो जबकि इबराहीम और इस्माईल इस घर (काबा) की दीवारें उठा रहे थे (तो प्रार्थना करते जाते थे) ...हे हमारे रब ! उन लोगों के बीच उन्हीं में से एक ऐसा रसूल उठाना जो उन्हें तेरी 'आयतें' पढ़कर सुनाये, उन्हें 'किताब' और 'हिकमत' (तत्वदर्शिता) की शिक्षा दे और उनकी आत्मा को शुद्ध (और उसके विकसित होने का अवसर प्रदान) करे । निस्संदेह तू अपार शक्ति का मालिक और तत्वदर्शी है ।"

(अल-बक़रा : 129)

एक-दूसरे स्थान पर कहा गया : "अल्लाह ने ईमान वालों पर यह बहुत बड़ा एहसान किया है जबकि उनके बीच उन्हीं में से एक 'रसूल' उठाया जो उन्हें उसकी आयतें सुनाता है, उनकी आत्मा को शुद्ध (और विकसित होने का अवसर प्रदान) करता है और उन्हें किताब और हिकमत (तत्वदर्शिता) की शिक्षा देता है, जबकि इससे पहले वे खुली गुमराही में पड़े हुए थे ।' (आले इमरान : 164)

इन आयतों से स्पष्ट है कि नबी (सल्ल०) की ज़िम्मेदारी जहां यह थी कि आप लोगों को क़ुरआन की आयतें पढ़कर सुनाएं वहीं आप की नुबूवत के तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य और भी थे ।

- एक, यह कि आप लोगों को किताब और ईश्वरीय नियम और क़ानून की शिक्षा दें ।
- दूसरे, आप लोगों को हिकमत, तत्वदर्शिता और बुद्धिमत्ता की शिक्षा दें ताकि लोगों में यह योग्यता उभर सके कि वे वास्तविकता को समझ सकें और विचार, चिंतन और

कर्म क्षेत्र में सही नीति अपना सकें ।

● और तीसरे, आप लोगों की आत्मा को शुद्ध करें ताकि वे विकास पा सकें । उनकी ऐसी शिक्षा-दीक्षा का उपाय करें कि उनमें उत्तम से उत्तम गुण उभर सकें और उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक हर प्रकार की ख़राबियां दूर हों । यही वह महान कार्य है जिसके द्वारा उत्तम जीवन व्यवस्था और आदर्श इस्लामी समाज का निर्माण होता है ।

नबी (सल्ल॰) अपने दायित्व की दृष्टि से शिक्षक, दीक्षक, मार्गदर्शक, नियामक, न्यायाधिकारी, नायक, हाकिम सब कुछ थे । आपके जीवन को ईमान वालों के लिए आदर्श जीवन निर्धारित किया गया : "(हे नबी ! लोगों से) कह दो : यदि तुम (सचमुच) अल्लाह से प्रेम करते हो, तो मेरा अनुसरण करो, अल्लाह तुम से प्रेम करने लगेगा ।"

(आले इमरान : 31)

"(हे नबी !) कहो : अल्लाह और रसूल का हुक्म मानो । फिर यदि वे मुंह मोड़ते हैं, तो अल्लाह काफ़िरों को पसन्द नहीं करता ।" (आले इमरान : 32)

स्वयं नबी (सल्ल॰) कहते हैं : "जिसने मुहम्मद की आज्ञा का पालन किया निस्संदेह उसने अल्लाह के आदेश का पालन किया और जिसने मुहम्मद की अवज्ञा की निश्चय ही उसने अल्लाह की अवज्ञा की और मुहम्मद लोगों के बीच सीमांतर की हैसियत रखते हैं ।" (बुख़ारी)

क़ुरआन में एक जगह कहा गया : "निश्चय ही तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक उत्तम आदर्श था उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह और अंतिम दिन की आशा रखता हो ।" (अल-अहज़ाब : 21)

'रसूल' के रूप में आपको मुक़दमों (अभियोग) के फ़ैसला करने का अधिकार प्राप्त था : "(हे नबी !) हम ने यह किताब हक़ के साथ तुम्हारी ओर उतारी है, ताकि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिखाया है उसके अनुसार तुम लोगों के बीच फ़ैसला करो ।" (अन-निसा : 105)

"तो नहीं, (हे नबी !) तुम्हारे रब की क़सम वे कदापि ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि यह बात न हो कि इनके बीच जो झगड़ा उठे उसमें ये तुम से फ़ैसला कराएं, फिर जो फ़ैसला तुम कर दो उस पर ये अपने दिल में कोई खटक न पाएं, और पूरे तरीक़े से मान लें ।

(अन-निसा : 65)

नबी (सल्ल॰) 'रसूल' होने की हैसियत से हाकिम और नायक भी थे । आपकी बात माननी सबके लिए अनिवार्य थी : "और हमने जो रसूल भी भेजा इसीलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उसके आदेशों का पालन किया जाए ।" (अन-निसा : 64)

"हे ईमान लाने वालो ! अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और उनका जो तुम में अधिकारी लोग हैं, फिर यदि तुम्हारे बीच किसी बारे में झगड़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की ओर ले जाओ यदि तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हो ।" (अन-निसा : 59)

नबी (सल्ल॰) ईश्वरी ग्रंथ के व्याख्याकर्ता भी थे । आपकी यह एक ज़िम्मेदारी थी कि आप उन आदेशों को स्पष्ट रूप से बयान करें जो अल्लाह की ओर से अवतीर्ण हों : "और (हे मुहम्मद !) हमने तुम पर याददिहानी (अनुस्मारक अर्थात क़ुरआन) उतारी है ताकि तुम लोगों के सामने खोल-खोलकर बयान कर दो जो कुछ उनकी ओर उतारा गया है ।" (अन-नह्ल : 44)

अल्लाह की ओर से आपको नियम बनाने, व्यवस्था या विधान करने के अधिकार भी प्राप्त थे । क़ुरआन मजीद में नबी (सल्ल॰) के बारे में कहा गया है : "वह उन्हें नेक बातों का हुक्म देता है और बुरी बातों से रोकता है । उनके लिए उत्तम चीज़ें हलाल (वैध) और निकृष्ट चीज़ें हराम (अवैध) ठहराता है, और उन पर से वह बोझ और बंधन उतार देता है जो उन पर चढ़े हुए थे ।"

(अल-आराफ़ : 157)

इससे मालूम हुआ कि हलाल व हराम (वैध व अवैध) के वे आदेश जो नबी (सल्ल॰) के फ़ैसलों और आपके कथनों से उद्धृत होते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता । स्वयं नबी (सल्ल॰) ने भी अपने विधान एवं नियम संबंधी अधिकार का उल्लेख किया है । मिक़दाम बिन मअदीयकरब (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "जान रखो ! मुझे क़ुरआन दिया गया और उसके साथ वैसी ही एक और चीज़ भी । ख़बरदार रहो ! ऐसा न हो कि कोई पेट भरा व्यक्ति अपनी मसनद पर बैठा हुआ कहने लगे कि तुम्हारे लिए बस इस क़ुरआन का पालन आवश्यक है, जो कुछ इसमें 'हलाल' पाओ उसे हलाल समझो और जो कुछ इसमें 'हराम' पाओ उसे हराम समझो ।

(अबू दाऊद, इब्न माजा, दारमी, हाकिम)

हज़रत अबू राफ़ेअ (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि आपने

कहा : "मैं कदापि तुम में से किसी को न पाऊं कि वह अपनी मसनद पर तकिया लगाए बैठा हो और उसे मेरे उन आदेशों में से, जिनका मैंने हुक्म दिया है या जिनसे मैंने वर्जित किया है, कोई आदेश पहुंचे और वह (सुनकर) कहे कि हम नहीं जानते, हम तो जो कुछ अल्लाह की किताब में पाएंगे उसका पालन करेंगे ।"

(अबू दाऊद, अहमद, इब्न माजा, तिरमिज़ी, शाफ़ई, बैहक़ी-दलाइलुन्नुबूवत)

इरबाज़ बिन सारियह (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) 'खुतबा' (भाषण) देने के लिए खड़े हुए और कहा : "क्या तुम में से कोई व्यक्ति अपनी मसनद पर तकिया लगाये हुए यह समझता है कि अल्लाह ने कोई चीज़ हराम नहीं की है सिवाय उन चीज़ों के जो कुरआन में बयान की गयी हैं । सावधान ! अल्लाह की क़सम, मैंने जिन बातों का हुक्म दिया है और जो उपदेश दिये हैं और जिन बातों से रोका है वे कुरआन ही की तरह हैं बल्कि कुछ ज़्यादा ।"

(अबू दाऊद)

इन हदीसों से स्पष्ट है कि अल्लाह के आज्ञाकारी लोगों के लिए रसूल के आदेशों का अनुपालन उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार कुरआन में वर्णित आदेशों का पालन करना उनके लिए आवश्यक है । और जिन बातों से रसूल ने उन्हें रोका है उनसे बचना भी उनके लिए उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह उन चीज़ों से बचना ज़रूरी है जिनसे कुरआन में रोका गया है ।

नबी की असाधारण योग्यता

अल्लाह ने सदैव नबियों को असाधारण योग्यताएं प्रदान कीं । वे अपनी असाधारण विशेषताओं और योग्यताओं के बिना उस महान कार्य को कर ही नहीं सकते थे जो अल्लाह की ओर से उन्हें सौंपा जाता रहा है । नबी वास्तव में नुबूवत ही के लिए पैदा किये गये । उन्हें अत्यंत पवित्र स्वभाव और प्रकृति प्रदान की गयी । स्वभावत: वे ऐसे थे कि बिना किसी विशेष सोच-विचार के अपने अंतर्ज्ञान से ही सही परिणाम तक पहुंच जाते थे । नबी मनुष्य ही थे परंतु उन्हें मनुष्यता का उच्चतम स्थान प्राप्त था । सत्य व असत्य में अन्तर करना उनका स्वभाव था । वे शारीरिक और आत्मिक प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण थे । अल्लाह ने उनकी स्वाभाविक क्षमता को उन्नति दी और उन्हें वह चीज़ प्रदान की जिसके लिए कुरआन में 'इल्म' (ज्ञान), 'हुक्म' (निर्णय शक्ति), हिदायत (मार्गदर्शन), 'बय्यनह' (स्पष्ट प्रमाण) आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं ।

हज़रत मूसा (अलैहि॰) के बारे में कहा गया है : "और जब वह अपनी युवावस्था को पहुंचा और भरपूर हो गया, तो हमने उसे हुक्म (निर्णय शक्ति, तत्वदर्शिता) और ज्ञान प्रदान किया ।" (अल-क़सस : 14)

हज़रत सालेह (अलैहि॰) ने अपनी जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा : "हे मेरी जाति वालो ! सोचो तो सही, यदि मैं अपने रब की एक 'बय्यनह' (स्पष्ट प्रमाण) पर हूं और उसने मुझे अपनी दयालुता (नुबूवत) प्रदान की है तो (इसके बाद) अल्लाह के मुक़ाबले में कौन मेरी सहायता करेगा यदि मैं उसकी अवज्ञा करूं ? अत: तुम घाटे में डालने के सिवा और मुझे कुछ नहीं दे सकते ।"

(हूद : 63)

यह असाधारण ज्ञान और बुद्धिमत्ता हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) को भी प्रदान की गयी : "(हे नबी !) कहो : मैं अपने रब की ओर से एक खुली दलील (अथवा स्पष्ट मार्ग) पर हूं ।" (अल-अनआम : 57)

"(हे नबी !) कहो : मेरी राह तो यह है कि मैं पूरी सूझ-बूझ के साथ अल्लाह की ओर बुलाता हूं और जो मेरे अनुयायी हैं वे भी ।" (यूसुफ़ : 108)

"और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत उतारी और उसने तुम्हें वह कुछ बताया जो तुम नहीं जानते थे ।"

(यूसुफ़ : 113)

कुरआन के इन शब्दों से स्पष्ट है कि अल्लाह ने नबी को किताब ही प्रदान नहीं की बल्कि इसके साथ ऐसा प्रकाश और ज्योति भी पैदा की जिससे नबी की हैसियत वास्तविकताओं के निरीक्षक की हो जाती है । इस कारण वे सत्य और असत्य में अन्तर करते और मामलों का सही निर्णय करते और जीवन की पेचीदा राहों में सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं । यह आंतरिक सूझबूझ और अंत: प्रकाश उन्हें प्रत्येक समय प्राप्त रहता है । जिन बातों को दूसरे लोग गहरे सोच-विचार और चिंतन के बाद भी नहीं समझ पाते, नबी की दृष्टि उसे क्षण भर में पा लेती है । इसके लिए पारिभाषिक शब्द 'वह्य ख़फ़ी' (सूक्ष्म दैवी प्रकाशन) प्रयुक्त करते हैं । नबी एक दैवी ज्ञान के वातावरण में होता है जहां वास्तविकता निगाहों से ओझल नहीं होती । उसके मुख से जो कुछ निकलता है सत्य होता है उसके क़दम

सत्य मार्ग की ओर ही उठते हैं । उसके स्वभाव की पवित्रता किसी असत्य चीज़ को पसन्द नहीं कर सकती । नबी को इसका पूरा ज्ञान होता है कि ईश्वरीय मार्गदर्शन प्रत्येक समय उसके साथ है । यही वह बात है जिसे आपने अपनी जिह्वा की ओर संकेत कर के इन शब्दों में स्पष्ट किया : "उस सत्ता की क़सम, जिसके हाथ में मेरे प्राण हैं, इससे जो कुछ निकलता है, सत्य ही होता है ।"

नबी का शुद्ध और निष्कलंक जीवन

जिस प्रकार अल्लाह अपने नबी को असाधारण योग्यता प्रदान करता और है उसे ज्ञान, तत्वदर्शन, प्रकाश और मार्ग-प्रदर्शन से सम्मानित करता और 'वह्य' के द्वारा उसे सत्य मार्ग दिखाता है उसी प्रकार वह अपने नबी की हर समय देखभाल और रक्षा करता है । एक ओर वह नबी के पालन-पोषण और दीक्षा आदि की विशेष व्यवस्था करता है और दूसरी ओर वह उसे हर प्रकार की गुमराहियों और ग़लत कामों से बचाता है । यही कारण है कि नबियों का नुबूवत मिलने से पहले का जीवन भी निष्कलंक होता है । नुबूवत के उच्च पद पर नियुक्त होने के बाद नबियों को असाधारण ज्ञान, सूझबूझ और तत्वदर्शिता प्रदान की जाती है ताकि वे सत्य मार्ग पर स्थिर रह सकें और लोगों को सत्य की ओर बुला सकें । मनुष्य होने के कारण यदि कभी नबियों से सोचने-समझने में कोई ग़लती या सूक्ष्म 'वह्य' के सूक्ष्म संकेतों को समझने में कोई भूलचूक हो भी जाती है तो तुरंत ही अल्लाह उसे सुधार देता है ।

हज़रत नूह (अलैहि०) ने अपने बेटे को पानी में डूबते देखा तो पुकार उठे : "हे रब ! मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है ! और निश्चय ही तेरा वादा सच्चा है ।" (सूरह हूद : 45) अल्लाह ने उसी समय बताया : "हे नूह ! वह तेरे घर वालों में से नहीं, वह तो अशिष्ट कर्म है ।" (हूद : 46)

अल्लाह की 'वह्य' नबी (सल्ल०) की भी संरक्षक रही है । यदि कहीं आप से साधारण-सी भूलचूक हुई, तो तुरंत अल्लाह की 'वह्य' ने उसका सुधार कर दिया । एक मुहिम के मौक़े पर नबी (सल्ल०) ने उन लोगों को मुहिम पर न चलने की इजाज़त दे दी जिन्होंने आप से इसके लिए इजाज़त चाही थी । इस पर अल्लाह ने इन शब्दों में सचेत किया : "(हे नबी !) अल्लाह तुम्हें क्षमा करे ! तुम ने उन्हें (पीछे रह जाने की) इजाज़त क्यों दे दी (तुम उन्हें इजाज़त न देते) यहां तक कि वे लोग खुलकर तुम्हारे सामने आ जाते जो सच्चे हैं और तुम झूठों को भी जान लेते ? जो लोग अल्लाह पर और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं वे कभी तुम से इसकी इजाज़त नहीं मांगेंगे कि अपने माल और अपने प्राणों के साथ जिहाद न करें । अल्लाह उन लोगों को जानता है जो उसका डर रखते हैं ।" (अत-तौबा : 43-44)

नबी (सल्ल०) के मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद (रज़ि०) का हज़रत ज़ैनब (रज़ि०) से विवाह हुआ, परन्तु जब दोनों में निबाह मुश्किल हो गया, तो हज़रत ज़ैद (रज़ि०) ने आप से कहा कि मैं उन्हें तलाक़ देना चाहता हूं । उस समय आपने हज़रत ज़ैद (रज़ि०) को ऐसा करने से रोका, हालांकि आप को इशारा मिल चुका था कि हज़रत ज़ैद तलाक़ दे देंगे और हज़रत ज़ैनब (रज़ि०) आपकी धर्मपत्नियों में सम्मिलित होंगी, परन्तु आपने हज़रत ज़ैद से यही कहा कि अपनी पत्नी को तलाक़ न दो, अल्लाह से डरो । आपको डर था कि लोग कीचड़ उछालेंगे कि देखो इस व्यक्ति ने अपने मुंह बोले बेटे की तलाक़ पायी हुई पत्नी से विवाह कर लिया । इस संबंध में क़ुरआन में कहा गया : "(हे नबी !) याद करो जब तुम उस व्यक्ति से जिस पर अल्लाह ने एहसान किया और तुमने भी जिस पर एहसान किया (अर्थात ज़ैद से) कह रहे थे : अपनी पत्नी को अपने पास रहने दो (उसे तलाक़ न दो) और अल्लाह से डर । तुम अपने जी में वह बात छिपाये हुए थे जिसे अल्लाह खोलने वाला था, तुम लोगों से डर रहे थे जबकि अल्लाह इसका ज़्यादा हक़ रखता है कि तुम उससे डरो ।" (अल-अहज़ाब : 37)

नबी (सल्ल०) की किसी धर्म पत्नी को या आपकी कुछ पत्नियों को कोई चीज़ थी जो पसन्द न थी । कुछ उल्लेखों से मालूम होता है कि वह मधु था । कुछ मधु ऐसे होते हैं जो अपने स्वाद और गंध की दृष्टि से कुछ लोगों को पसन्द नहीं हो सकते । नबी (सल्ल०) को मधु बहुत प्रिय था, परन्तु जब आपको मालूम हुआ कि पत्नियों में से कुछ को मधु पसन्द नहीं है तो आपने इस विचार से कि उन्हें तकलीफ़ न हो, मधु प्रयोग करना छोड़ दिया । इस पर अल्लाह ने क़सम तोड़ने का हुक्म दिया । अल्लाह ने इस बात को पसन्द नहीं किया कि एक हलाल (विहित) और उत्तम वस्तु का प्रयोग आप और आपके साथी छोड़ दें क्योंकि आपका तरीक़ा बाद में आने वालों के लिए उदाहरण बन सकता था ।

इस्लाम में क्षमाशीलता

■ लालाकाशी राम चावला

इस्लामी विश्वासों के अनुसार क्षमाशीलता भी ईश्वर के गुणों में से बहुत बड़ा गुण है । यदि यह न हो तो यह ब्रह्माण्ड एक क्षण के लिए भी स्थापित न रहे । पवित्र कुरआन में ईश्वर के जो विशेष नाम आये हैं उनमें–अफ़ूबु, ग़ाफ़िर, ग़फ़्फ़ार और ग़फ़ूर भी हैं (इन सबके अर्थों में क्षमा सम्मिलित है)। पवित्र कुरआन में एक स्थान पर ईश्वर की गरिमा को प्रकट करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है–

''और वही है, जो अपने बन्दे की तौबा क़बूल करता है और बुराइयों को क्षमा करता रहता है ।''

(कुरआन, 42:25)

दयालु ईश्वर ने अपने पवित्र ग्रंथ में जगह-जगह अपने भक्तों को अपनी क्षमाशीलता और दयालुता का विश्वास दिलाया है । एक स्थान पर लिखा है–''और इसमें सन्देह नहीं कि जो तौबा करता है, ईमान लाता है, सुकर्म करता है और सन्मार्ग पर स्थित रहता है, मैं उसको बहुत-बहुत क्षमा प्रदान करने वाला हूं ।'' (कुरआन, 20:82)

पवित्र कुरआन में ईश्वर ने 85 स्थानों पर अपने आपको क्षमा प्रदान करने वाला लिखा है । इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह गुण ईश्वर को कितना प्रिय है और उसकी दृष्टि में उसका कितना महत्व है । इससे हम समझ सकते हैं कि उस परमेश्वर की क्षमाशीलता का सागर किस ज़ोर-शोर से ठाठें मार रहा है और उसकी दयालुता का स्रोत किस जोश से प्रवाहित हो रहा है ।

इस दुनिया में हम देखते हैं कि एक अच्छे पिता की इच्छा भी यही होती है और वह अपनी संतान को यही आदेश भी देता है कि वह अच्छे गुणों को अपने जीवन में साकार करे और उसके नक़्शे क़दम पर चले ।

सांसारिक पिता से कहीं बढ़कर उस सर्वशक्तिमान अल्लाह को प्रसन्न करना आवश्यक है और विशेष रूप से ताकीद की गयी है कि उसके भक्त उन सभी अच्छे गुणों को ग्रहण करें जो अल्लाह को प्रिय है ।

क्षमाशीलता के संबंध में पवित्र कुरआन में भक्तों को यह आदेश दिया गया है–''यदि किसी के दोष को तुम क्षमा कर दो और टाल जाओ, तो निस्संदेह अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला और बड़ा दयावान है ।'' (कुरआन, 64:14)

एक और स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता है–''जो बड़े-बड़े गुनाहों और अश्लील कर्मों से बचते हैं और जब (उनको किसी पर) क्रोध आता है तो वे उसे क्षमा कर देते हैं ।'' (कुरआन, 42:37)

शांति की स्थिति में अर्थात साधारण दशा में किसी को क्षमा करना कठिन नहीं । परंतु क्रोध के समय मनुष्य एक प्रकार से पागल हो जाता है । उस समय मनुष्य अपने आपको क़ाबू में नहीं रख सकता । क्रोध ही की स्थिति में बेटा बाप तक की, भाई भाई की, भाई बहन की, बेटा मां की, पति पत्नी की हत्या कर देता है । इस स्थिति में बुद्धि लुप्त हो जाती है । मनुष्य अच्छे-बुरे को नहीं सोच सकता । किंतु ईश्वर अपने अच्छे बन्दों से इस दशा में भी आशा रखता है कि वे अपने दोषियों को क्षमा कर दें और इस क्षमाशीलता की शिक्षा इस प्रलोभन के साथ दी है कि मनुष्य उसी दशा में अपने पापों और दोषों की क्षमा की आशा अपने पालनकर्ता अल्लाह से कर सकता है जबकि वह स्वयं क्षमा करने वाला हो ।

कुरआन की शिक्षा कितनी शानदार है ! इसका सारांश यह है कि जो मनुष्य दूसरे के दोष को क्षमा कर सकता है, वह स्वयं किसी दोष का दोषी प्रायः कम ही होगा । जो अपनी मनोकामनाओं को इतना वशीभूत कर चुका हो कि वह किसी को क्रोधावस्था में भी क्षमा कर सकता हो तो उसका मन उसे पाप-मार्ग पर ले जाने में कभी सफल नहीं हो सकता । पवित्र कुरआन का यह आदेश तो व्यक्तिगत व्यवहारों में क्षमा करने के संबंध में है । अब आगे देखिये धार्मिक विभेदों के बारे में जो शानदार आदेश पवित्र कुरआन में है, वह प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने-अपने गले में लिखकर लटकाने योग्य है । और मैं तो कहूंगा कि जो भी इस उच्च आदेश का पालन करेगा, वही मनुष्य है और वही मुसलमान है, क्योंकि सच्चा इन्सान ही सच्चा मुसलमान है

हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने नबी (सल्ल॰) से पूछा : "कौन-सा कर्म अल्लाह तआला को सबसे बढ़कर प्रिय है ?" आप (सल्ल॰) ने कहा : "नमाज़ उसके अपने समय पर पढ़नी ।" मैंने कहा, फिर कौन-सा ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना ।" फिर कौन-सा ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "अल्लाह की राह में जिहाद करना ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

A WELL WISHER
PATNA

और सच्चा मुसलमान ही सच्चा इन्सान है ।

पवित्र कुरआन का वह आदेश इस तरह है–"और यदि तुम उनको सन्मार्ग की ओर बुलाओ और वे तुम्हारी एक न सुनें और देखने में वे तुमको ऐसे दिखायी देते हों कि मानो वे तुम्हारी ओर ध्यान दे रहे हैं (हालाँकि ध्यान अन्य ओर हो, तो ऐ सन्देष्टा ! ऐसी परिस्थिति में) क्षमा से काम लो और लोगों से सुकर्म के लिए कहो और जाहिलों से न उलझो ।"

(कुरआन, 7:198-199)

महान है अल्लाह ! इस आयत से धार्मिक उदारता का स्रोत प्रवाहित हो रहा है । लेकिन क्या हम इस पवित्र आदेश पर विश्वास रखते हैं ? नहीं ! हम तो बात-बात पर क्रोधित हो जाते हैं ।

ऐ मेरे भाई ! ईश्वर ने केवल उदारता दिखाने और क्षमाशीलता की शिक्षा ही नहीं दी है, बल्कि इस्लाम के सच्चे अनुयायी को इससे भी आगे बढ़ने और अधिक नम्रता, सहनशीलता और उच्च आदर्शिता से काम लेने का आदेश दिया है ।

पवित्र कुरआन में अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के द्वारा मुसलमानों ही को नहीं, मानव मात्र को क्या आदेश दिया है–"यदि कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो बुराई को ऐसे व्यवहार से मिटाओ जो बहुत ही अच्छा हो । (ऐ पैग़म्बर !) जो कुछ वे तुम्हारे बारे में कहते हैं, वह हम को भली-भाँति मालूम है ।" (कुरआन, 23:96)

महान है अल्लाह ! कितनी पवित्र और कितनी उत्तम शिक्षा है यह । प्राय: ग़ैर-मुस्लिम भाई, बल्कि मुस्लिम भाई भी यह समझते हैं कि इस्लाम में बुराई के बदले भलाई करने का कहीं आदेश नहीं । वे भाई इस आयत को आंखें खोलकर देखें और अपनी अज्ञानता को दूर करें ।

ऐ मेरे भाई ! मैं अभी आपको इससे थोड़ा और आगे ले चलूंगा । शायद किसी को ख़याल हो कि व्यक्तिगत दुर्व्यवहार या कष्ट सहा जा सकता है, किंतु यदि धर्म पर आक्रमण हो तो उसे सहन नहीं किया जा सकता, तो मैं ऐसे भाइयों की इस धार्मिक भावना पर कुरबान जाऊं । किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि किसी धर्म के अनुयायी के लिए उसी धर्म के आदेशों के विरुद्ध काम करना कहां तक धर्म का पालन या धर्म का सम्मान कहा जा सकता है ? ऐसी दशा में भी हमें इस्लाम क्या आदेश देता है–

"ऐ मुसलमानो ! अधिकांश ग़ैर-मुस्लिम इसके बावजूद कि उन पर सत्य धर्म प्रकट हो चुका है, फिर भी अपनी हार्दिक ईर्ष्या के कारण चाहते हैं कि तुम्हारे 'ईमान' लाने के बाद तुमको फिर 'काफ़िर' (इन्कारी) बना दें, तो उन्हें क्षमा करो और उन्हें छोड़े रखो, यहां तक कि ईश्वर फिर अपना निर्णय भेजे ।" (कुरआन)

वाह, वाह ! इस आयत की क्या शान है ! इससे प्रकट होता है कि यदि कोई मनुष्य किसी मुसलमान को ईमान से डिगाने की कुत्सित चेष्टा करे अर्थात् ऐसा कठोर अपराध करे तो ऐसे अपराधी को भी क्षमा कर देने का आदेश है । इससे अधिक इस्लाम की उदारता और उच्च आदर्शिता का क्या प्रमाण हो सकता है ?

आज बहुत से ग़ैर-मुस्लिमों के मन में यह भ्रम जड़ पकड़ चुका है कि कुरआन में ग़ैर-मुस्लिमों को क़त्ल करने और हर उचित-अनुचित ढंग से उनके माल व जायदाद को हथिया लेने के अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं लिखी है ।

ऐ मेरे मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम भाइयो ! ईश्वर के लिए इस्लाम को बदनाम न करो । कुछ अज्ञानी मनुष्यों की अज्ञानता के कारण इस पवित्र धर्म पर यह दोष मत लगाओ । इस धर्म की शिक्षा तो वह है जो ऊपर लिखी गयी है । ईश्वर ने किसी के अपराध को क्षमा कर देने को बड़े साहस का कार्य बताया है, न कि भीरुता या साहसहीनता का । अल्लाह कुरआन में फ़रमाता है–

"और जो व्यक्ति धैर्य एवं संतोष से काम ले और दूसरे के दोष को क्षमा कर दे तो निस्संदेह यह बड़े साहस का काम है ।" (कुरआन, 42:43)

एक और स्थान पर न केवल क्षमा करने का आदेश है, बल्कि उसे खुले और छिपे तौर पर भलाई करने के समान ठहराया गया है ।

"भलाई खुले रूप से करो या छिपाकर करो या किसी की बुराई करने के पश्चात उसे क्षमा कर दो (तो यह नेकी करना है)। ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हुए भी अति क्षमाशील है ।" (कुरआन, 4:149)

यही नहीं कि क्षमा करने को एक सुकर्म ठहराया है, बल्कि अत्याचार करने को महापाप बताया है और फ़रमाया है कि ईश्वर अत्याचारी की ओर से अपना मुख फेर लेता है । देखिये–"और ईश्वर अत्याचारियों को सन्मार्ग नहीं दिखाता ।" (कुरआन, 9:24)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की जीवनी

हज़रत मुहम्मद(स०) जीवन और संदेश	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	10.00
प्यारे नबी कैसे थे?	इरफ़ान ख़लीली	16.00
प्यारे नबी ऐसे थे !	माइल ख़ैराबादी	10.00
जगत-गुरु	अबू ख़ालिद	40.00
जीवनी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)	मु० इनायतुल्लाह सुब्हानी	90.00
बड़ों की माँए	माइल ख़ैराबादी	12.00
रह्मतुल-लिल-आलमीन	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
विश्व-नायक	डॉ० कौसर यज़दानी नदवी	30.00
विश्व-नेता हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
हज़रत मुहम्मद : एक संक्षिप्त परिचय	डॉ० मुहम्मद अहमद	6.00
हज़रत मुहम्मद एक महान समाज सुधारक	प्रो० मिर्ज़ा रफ़ीउद्दीन अहमद	10.00
हज़रत मुहम्मद का आदर्श	श्री नाथूराम	16.00
हज़रत मुहम्मद सल्ल० का संदेश	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
हज़रत मुहम्मद सल्ल०के संदेशों के मूल तत्त्व	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	4.00
आख़िरी नबी (सल्ल०)	हमूदा अब्दुल आती	05.00
अल्लाह के रसूल का व्यावहार अपने शत्रुओं के साथ	मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	08.00
क्रान्ति-दूत हज़रत मुहम्मद सल्ल०	नईम सिद्दीक़ी	70.00

परिवार इस्लाम की नज़र में

औरत और इस्लाम	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	24.00
औरत और प्राकृतिक नियम	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इस्लाम और बर्थ कंट्रोल	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	45.00
नारी और इस्लाम	मक़बूल अहमद फ़लाही	6.00
परदा	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	90.00
परिवार इस्लाम की नज़र में	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	10.00
बहुविवाह	मौलाना सय्यद हामिद अली	50.00
माँ-बाप के अधिकार	मौलाना सय्यद लुत्फ़ुल्लाह क़ादरी	20.00
मुस्लिम पर्सनल ला और समान सिविल कोड	शम्स पीरज़ादा	12.00
मुस्लिम पर्सनल ला धार्मिक व सामुदायिक...	मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही	6.00
मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा समस्या...	उमर अफ़ज़ल	35.00

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

मुक्ति के लिए सत्य-ज्ञान आवश्यक

● संपादन प्रभाग

''विचारों में भिन्नता कोई अप्रिय बात नहीं है, इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि खुले मन से सबकी बात सुननी चाहिए। यह हमारे ऊपर है कि हम उसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें। अच्छी बात यह है कि हम अपनी बातें कहें और दूसरों की बातें भी सुनें और आपस में विचारों का आदान प्रदान करें। सफलता एवं मुक्ति की अवधारणा विभिन्न धर्मों में हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वह सफल हो और उसे मुक्ति मिल जाए।''

उपरोक्त बातें जमाअत इस्लामी हिन्द के जनरल सेक्रेट्री जनाब नुसरत अली ने गत 4 मार्च 2012 ई० को राजेन्द्र भवन, नयी दिल्ली में आयोजित एक परिचर्चा में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहीं। ''धर्मों में कल्याण एवं मुक्ति की अवधारणा'' के विषय पर इस परिचर्चा का आयोजन जमाअत इस्लामी हिन्द की ओर से किया गया था।

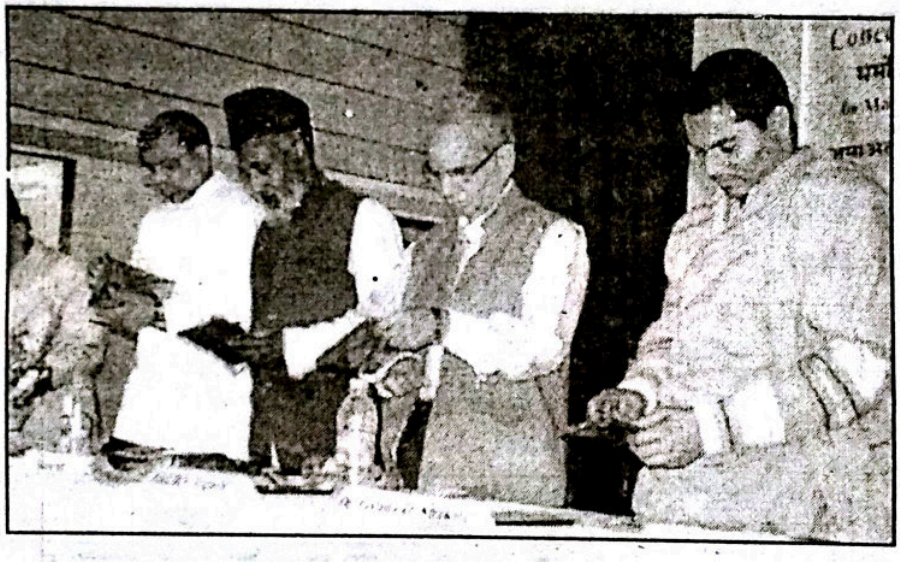

अपने अध्यक्षीय भाषण में जमाअत इस्लामी हिन्द के जनरल सेक्रेट्री जनाब नुसरत अली ने कहा कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि धर्मों और विचार केन्द्रों के सारे प्रयासों के बावजूद सफलता एवं मुक्ति की मंज़िल दूर होती जा रही है। अत: मानव इतिहास का अध्ययन करने और यह देखने की आवश्यकता है कि तो कहीं हमारे प्रयास ग़लत दिशा में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने सभी धर्मों के मानने वालों को दावत दी कि वे इस पर विचार करें। जनाब नुसरत अली ने यह भी कहा कि प्रश्न यह भी है कि वह संतुलित शिक्षा हमें कहां से मिल सकती है, जिसमें मानव जीवन के सारे पहलुओं को विषय बनाया गया हो और वह मानव प्रकृति एवं स्वभाव के ठीक अनुकूल हो। इतना ही नहीं वह केवल सैद्धांतिक बातों का संकलन न हो बल्कि उस पर अमल करना भी संभव हो और उसका अमली नमूना भी हमारे सामने मौजूद हो।

हिन्दू धर्म में मुक्ति की अवधारणा पर बोलते हुए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नयी दिल्ली के कुलपति प्रो० राधा वल्लभ त्रिपाठी ने कहा कि विभिन्न धर्मों के मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन गंतव्य हरेक का एक ही है। हर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए जो मार्ग उचित समझता है उसे चुनता है। प्रो० त्रिपाठी ने कहा कि हमें आपस में संवाद करते रहना चाहिए। यह हिन्दू धर्म की प्राचीन परंपरा रही है। मुसलमानों के भारत आगमन से पूर्व भी ऐसे प्रयास किये जाते रहे हैं। हिन्दू धर्म के हवाले से उन्होंने बताया कि सफलता कोई व्यक्तिगत चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रह्माण्ड के सारे अवयव एक-दूसरे से जुड़े हैं इसलिए यह संभव नहीं है कि एक सफल हो जाए और शेष सारे अफल रह जाएं। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुणियों ने समस्त मानवता की सफलता की बात की। उन्होंने कहा कि ब्रह्माण्ड के तीन स्तर है : अधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। इनका समन्वित चिंतन ही सफलता है।

बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पेश करते हुए गौतम बुद्ध यूनीवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा में बौद्ध स्टडीज़ के प्रोफ़ेसर डॉ० ज्ञानादित्य शाक्य ने गौतम बुद्ध का कथन दोहराते हुए कहा

कि ''मैं मार्ग दाता हूं मोक्ष दाता नहीं हूं'' अर्थात बुद्ध जी मार्ग बताने आये थे, लेकिन सफलता और मुक्ति व्यक्ति के कर्मों पर ही निर्भर है । बुद्ध जी की शिक्षाओं के हवाले से उन्होंने नैतिक मूल्यों पर ज़ोर दिया, मानव समानता और महिला अधिकारों का महत्व स्पष्ट किया । अहिंसा के बारे में बुद्ध जी की शिक्षाओं का हवाला देते हुए डॉ॰ शाक्य ने कहा कि हमें सभी जीवधारियों से उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है । अंत में उन्होंने कहा कि समस्त मनेच्छाओं पर नियंत्रण पा लेना ही वास्तविक निर्वाण है ।

सफलता और मुक्ति के विषय पर इस्लामी पक्ष रखते हुए जमाअत इस्लामी हिन्द के सेक्रेट्री और राजस्थान यूनीवर्सिटी में प्रोफ़ेसर जनाब मुहम्मद सलीम इंजीनियर ने कहा कि शब्द 'इस्लाम' का अर्थ यह है कि बन्दा स्वयं को ईश्वर की इच्छा के पूर्णतः हवाले कर दे और उसके आदेशानुसार जीवन बिताने लगे । उन्होंने कहा कि सत्य स्पष्ट है ।

अल्लाह ने पहले मनुष्य आदम और उनकी पत्नी हव्वा को सत्य के साथ पैदा किया और उन्हें सफलता एवं मुक्ति के मार्ग का उपदेश दिया और समय-समय पर न्यूनाधिक सवा लाख नबियों को इस काम पर लगाया कि वे लोगों को सत्य की ओर बुलाएं । संसार सत्य की रोशनी से कभी वंचित नहीं रहा । सारे नबी एक ही उपदेश लेकर आये, जिसे अरबी भाषा में 'इस्लाम' कहते हैं ।

उन्होंने ने बताया कि दयावान ईश्वर ने मनुष्य को स्वयं सफलता एवं मुक्ति का मार्ग तलाश करने का कठिन कार्य देकर नहीं छोड़ दिया, बल्कि वह मार्ग बता दिया और क़ुरआन के रूप में वह मार्ग आज मानवता के पास मौजूद है । क़ुरआन का अवतरण किसी वर्ग या समुदाय विशेष के लिए नहीं हुआ है, बल्कि यह समस्त मानवता की सफलता और मुक्ति के लिए अवतरित हुआ है । क़ुरआन के अनुसार सफलता का मार्ग तौहीद (एकेश्वरवाद), रिसालत (ईशदूतत्व) और आख़िरत (परलोक) पर ईमान लाना और ईमान के अनुसार अमल करना है ।

आरंभ में प्रोग्राम का परिचय कराते हुए जमाअत इस्लामी हिन्द के शोबा-ए-दावत के सेक्रेट्री जनाब मुहम्मद इक़बाल मुल्ला ने कहा कि सभी मनुष्यों को सफलता की आवश्यकता है, इसलिए मानवता के आगे यह प्रश्न सबसे बड़ा है कि सफलता का मार्ग क्या हो । यह हमारा दायित्व है कि हम सफलता का मार्ग तलाश करें । इस प्रश्न का उत्तर इस पर भी निर्भर है कि अपने रचयिता के बारे में हमारी मान्यता क्या है । सफलता और मुक्ति के बारे में अल्लाह के नबियों ने स्पष्ट शिक्षा दी और बताया कि अल्लाह हमारा केवल रचयिता ही नहीं स्वामी और पालनहार भी है और यह कि हमें उसके सामने जवाबदेह होना है ।

दिल्ली कैथोलिक सोसायटी के डायरेक्टर फादर डोमिनिक इमानुएल ने बाइबल का परिचय कराते हुए कहा कि यह वास्तव में मुक्ति का इतिहास है । बाइबल के हवाले से उन्होने बताया कि जन्नत में पहले हज़रत हव्वा और फिर हज़रत आदम का शैतान के बहकावे में आकर वर्जित वृक्ष का फल खा लेना आदि पाप है, जिससे समस्त धार्मिक दायित्व की पूर्ति के बावजूद मनुष्य बरी नहीं हो सकता । इसलिए ईश्वर ने अपने इकलौते बेटे को समस्त मानवता का मोक्षदाता बनाकर दुनिया में भेजा और समस्त मानवता के गुनाहों के बदले उन्हें अर्थात ईसा मसीह को उठा लिया । अंत में श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये ।

इस अवसर पर दो सी॰डी॰ 'आधी दुनिया ख़तरे में' और 'इस्लाम सफलता एवं मुक्ति का माध्यम' का लोकार्पण किया गया । देश बंधुओं की बड़ी संख्या प्रोग्राम में शरीक थी ।

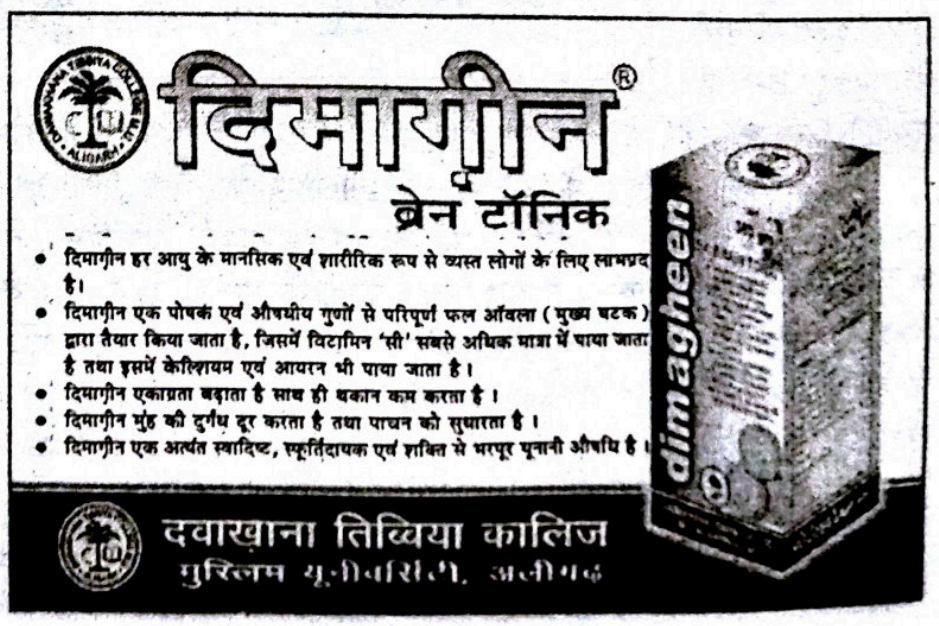

भाजपा का राष्ट्रवाद

● सत्येन्द्र रंजन

इस वर्ष चौदह फ़रवरी को छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 'मातृ-पितृ पूजन' दिवस मनाया गया । इसमें वैसे बहुत आपत्ति की बात नहीं होती, मगर यह दिन मनाने की योजना वेलेंटाइन दिवस के मुक़ाबले बनायी गयी और अल्पसंख्यक स्कूलों की भावना का बिना ख़याल किये उनसे भी अपेक्षा की गयी कि वे इस दिन को इसी तरह मनाएं । इसके पहले मधय प्रदेश और गुजरात के स्कूलों में सूर्य नमस्कार और मधय प्रदेश में गीता सार की पढ़ाई को इसी तरह अनिवार्य बनाने की कोशिश हुई थी ।

मधय प्रदेश का गो-हत्या निषेध कानून अपने सख़्त और मानवाधिकार का हनन करते दिखने वाले प्रावधानों के कारण पहले ही काफ़ी चर्चित हो चुका है । गुजरात में हाल के समय में हाईकोर्ट ने 2002 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में अदालत के आदेश का पालन न करने के लिए राज्य प्रशासन के ख़िलाफ़ अवमानना का नोटिस जारी किया है, जबकि उन्हीं दंगों में क्षतिग्रस्त धर्मस्थलों के पुनर्निर्माण की ख़ातिर सहायता न देने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगायी है ।

इन दंगों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को पहले काफ़ी सख़्त टिप्पणियां करनी पड़ी थीं । इसके बावजूद राज्य सरकार 'राजधर्म' निभाने को प्रेरित नहीं हुई है । उलटे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक आधार पर गोलबंदी की अपनी राजनीतिक पूंजी को सहेजने में लगे रहे हैं और उससे बनी उनकी ताक़त के आधार पर भाजपा के नेता अब उन्हें 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की घोषणाएं करने लगे हैं ।

इन और इनके जैसे बहुत सारे घटनाक्रमों को एक साथ जोड़ कर देखें तो एक ऐसी राजनीति की सूरत उभरती है, जिसका भारतीय संविधान की मूल भावना से अंतर्विरोध लक्षित होता है। दरअस्ल, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की आधुनिक भावना पर आधारित एक सर्व-समावेशी संविधान के तहत चल रही व्यवस्था में धार्मिक और वर्चस्ववादी नीतियों के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी की सियासत का एक ऐसा पहलू है, जो उसे सबसे अलग पहचान देती है। सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता और विकास और प्रगति की ख़ास नीतियों के आधार पर भले अब भाजपा के 'पार्टी विद ए डिफरेंस' (यानी सबसे अलग पार्टी) होने के दावे पर कोई भरोसा न करता हो, लेकिन इस दूसरे अर्थ में वह ज़रूर एक ऐसी पार्टी है । इस अर्थ में कि वह भारत की परिकल्पना के दो प्रतिस्पर्धी विचारों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है । इसीलिए उसका राजनीति में एक बड़ी ताक़त बने रहना एक ऐसी परिस्थिति पैदा करता है, जिसकी वजह से जनता के व्यापक हितों की समझ के आधार पर सकारात्मक या प्रगतिशील राजनीति की तरफ़ बढ़ने का मार्ग अक्सर अवरुद्ध हो जाता है ।

मसलन, कांग्रेस इस वक़्त किस विचार का प्रतिनिधित्व करती है, सकारात्मक तर्कों से इसे समझाना मुश्किल हो सकता है । लेकिन जब ध्यान उसके आज के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी दल यानी भाजपा पर जाता है, तो वैचारिक और राजनीतिक वर्ग-चरित्र से जुड़े तमाम सवालों से घिरे होने के बावजूद भारत के दीर्घकालिक भविष्य के संदर्भ में कांग्रेस न सिर्फ़ प्रासंगिक, बल्कि एक हद तक ज़रूरी ताक़त महसूस होने लगती है । कारण यह कि पिछले क़रीब डेढ़ सौ सालों में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों से जिस भारतीय राष्ट्रवाद या भारत के जिस विचार का उदय हुआ, वह आज भी तमाम ख़तरों से मुक्त नहीं है । उसके लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है, फ़िलहाल राजनीति में उसकी नुमाइंदगी भाजपा करती है । चूंकि उसके सत्ता में लौटने की गुंजाइश लगातार बनी हुई है, इसलिए उदात्त भारतीय राष्ट्रवाद की रक्षा और उसके विकास के संदर्भ में कांग्रेस की भूमिका भी क़ायम है ।

आख़िर वह भारतीय राष्ट्रवाद क्या है और भाजपा क्यों उसकी एंटी-थीसिस (यानी प्रतिवाद) है? इसे हम भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के ऐतिहासिक क्रम और इसके मुख्य आधार बिंदुओं का उल्लेख करते हुए और भाजपा की मूलभूत मान्यताओं के बरक्स उन्हें रखते हुए आसानी से समझ सकते हैं ।

आधुनिक भारत का विचार—जिसकी अभिव्यक्ति हमारे संविधान में हुई—भारतीय जनता के आर्थिक हितों के

साझापन की एक व्यापक समझ के साथ आगे बढ़ा । इसके आरंभिक सूत्र ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हाथों भारत के आर्थिक शोषण के बारे में दादाभाई नौरोजी के गहरे विश्लेषण से निकले, जिसका निहितार्थ यह रहा कि हमें आज़ादी इसलिए चाहिए, क्योंकि यह हम सबके आर्थिक हित में है ।

नवजागरण के मनीषियों ने जिस सर्व-समावेशी समाज और दिमाग़ी खुलेपन की संस्कृति पर ज़ोर दिया, वह इस राष्ट्रवाद का दूसरा आधार है । इसका निहितार्थ है कि भारत में जन्मा हर शख़्स यहां का बाशिंदा है और उनके बीच धर्म, जाति, नस्ल या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता । इसमें तीसरा पहलू लोकतंत्र का जुड़ा, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में व्यापक जन भागीदारी, उससे पैदा हुई जन चेतना और विभिन्न विचारधाराओं के संघर्ष और समन्वय की परिणति है और चौथा आधार विकास का वह एजेंडा है, जिसे लेकर आज़ादी के बाद यह राष्ट्र आगे बढ़ा ।

कांग्रेस आज समूचे भारतीय जन के आर्थिक हितों की नुमाइंदगी करती है, यह शायद ही कहा जा सकता है । सर्व-समावेशी धारणा में उसकी आस्था संदिग्ध है, क्योंकि उस पर चौरासी के सिख विरोधी दंगों का दाग़ है और उस पर अनेक मौक़ों पर सांप्रदायिक कार्ड खेलने के विश्वसनीय आरोप हैं । आदर्श रूप में पार्टी का स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं है, यह उसके वंशानुगत नेतृत्व से ज़ाहिर है और आज उसका जो विकास संबंधी एजेंडा है, वह प्रभुत्वशाली तबक़ों के हितों में झुका हुआ है ।

मगर ये तमाम बातें उस समय छोटी हो जाती हैं, जब उसके सामने भाजपा खड़ी दिखती है। इसलिए कि भाजपा मूल रूप से आधुनिक राष्ट्रवाद की धारणा को ही चुनौती देने वाली शक्ति है । वह जिस संघ परिवार क़ा हिस्सा है, उसकी राष्ट्रवाद की समझ में आर्थिक हितों के साझापन, सर्व-समावेशी स्वरूप, प्रगतिशील लोकतंत्र और जनपक्षीय विकास की कोई जगह नहीं है ।

इसके विपरीत यह राष्ट्रवाद कथित सांस्कृतिक आधार से परिभाषित होता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ पुरातन हिंदू संस्कृति है । यह संस्कृति अपने आप में एक विवादस्पद धारणा है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रवाद मज़हबी संस्कृति पर खड़ा होगा, तो स्वाभाविक रूप से उसमें उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी जो उस संस्कृति का हिस्सा नहीं होंगे। उसमें बहुत-से लोगों का स्थान उस सांस्कृतिक मान्यता के मुताबिक़ श्रेणी-क्रम में ऊपर या नीचे तय हो जाएगा । इसलिए यह राष्ट्रवाद सिर्फ़ धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, बल्कि दलितों, पिछड़ी जातियों, महिलाओं और आधुनिक-ख़याल तमाम लोगों के लिए एक चुनौती है ।

यह कथन कि व्यावहारिक राजनीति की मजबूरियां भाजपा को एक सामान्य राजनीतिक दल बना देती हैं और सत्ता की चाह में उसकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा अप्रासंगिक हो जाती है, अनुभव से सिद्ध नहीं है । बल्कि आज भी यह ग़ौरतलब है कि भाजपा किन मुद्दों पर वोट मांगती है ? उसके मुख्य मुद्दे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, समान नागरिक संहिता और संविधान की धारा 370 की समाप्ति हैं । उत्तर प्रदेश के मौजूदा चुनाव में भी पार्टी के वादों में अयोध्या में विशाल राम मंदिर के निर्माण की बात शामिल है ।

इसके अलावा गो-रक्षा, स्कूलों में सूर्य नमस्कार और गीता की पढ़ाई थोपना, पाठ्यक्रम में अंधविश्वास भरी विषयवस्तुओं को जगह देना और विकास की धारणा को पूर्णतः अभिजात्य हितों के मुताबिक़ प्रस्तुत करना भाजपा शासन में रोज़मर्रा के अनुभव हैं । दरअस्ल, खुद भाजपा इन मुद्दों को अपनी ख़ास पहचान मानती है । ज़ाहिर है, इनके आधार पर ही बहुमत जुटा कर वह सत्ता में आना चाहती है । इस परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी पार्टी में कोई अपवाद नहीं, बल्कि उसके सबसे स्पष्ट प्रतीक हैं ।

इस राजनीति में ज़ोर-ज़बरदस्ती का तत्व नैसर्गिक रूप से शामिल है, क्योंकि उसके ज़रिये ही कोई जीवनशैली या संस्कृति किसी अन्य पर थोपी जा सकती है । इसलिए वेलेंटाइन डे मना रहे लोगों पर हमला या कला-संस्कृति या अभिव्यक्ति के दूसरे माध्यमों की आज़ादी को प्रतिबंधित करने की प्रवृत्ति कोई अलग-थलग रुझान नहीं, बल्कि इस विचारधारा का अभिन्न अंग है ।

सन 1980 के दशक तक भाजपा की ताकत हाशिये पर थी । लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद बनी परिस्थितियों में वह देश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गयी । इसके साथ राजनीति में वह विभाजन रेखा (फॉल्टलाइन) सबसे प्रमुख हो गयी, जिसके

आधार पर भाजपा एक तरफ़ और बहुसंख्यक वर्चस्ववाद विरोधी ताक़तें दूसरी तरफ़ खड़ी दिखती हैं । चूंकि 1990 के दशक के घटनाक्रम ने भाजपा को केन्द्र की सत्ता में पहुंचा दिया और सत्ता का अपना गतिशास्त्र होता है, इसलिए बहुत-से ऐसे दल, जो मूल रूप से संघी राष्ट्रवाद से सहमत नहीं हैं, भाजपा के सहयोगी बन गये । सांप्रदायिकता की विभाजन रेखा की इस अनदेखी ने सबको न्याय और सबको साथ लेकर चलने वाले राष्ट्रवाद के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर दी ।

चूंकि यह स्थिति आज भी क़ायम है, इसीलिए भारतीय जनता के व्यापक और दीर्घकालिक हित में संसदीय राजनीति के भीतर उस धुरी की प्रासंगिकता क़ायम है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है । अगर देश में दो धर्मनिरपेक्ष विकल्प होते, तो निस्संदेह जन-पक्षीय नीतियों और व्यापक जनतांत्रिक कार्यक्रम से तय होने वाली विभाजन रेखा के आधार पर राजनीतिक रुख़ या मतदान का फ़ैसला करने की सुविधाजनक स्थिति होती ।

उस निर्णय में अपनी मौजूदा नीतियों और वर्ग-चरित्र के कारण कांग्रेस संभवत: किसी प्रगतिशील शक्ति की पसंद नहीं होती । मगर मुश्किल यह है कि 1990 के दशक में जब भाजपा के नेतृत्व में सांप्रदायिक-धुर दक्षिणपंथी शक्तियां उभार पर थीं, उस समय भी अपना किला मज़बूत रखने वाली वामपंथी ताक़तें आज कमज़ोर हो चुकी हैं । ऐसे में शासन की नीतियों को वाम झुकाव देने की चुनौती और गहरी हो गयी है ।

इस परिस्थिति में आधुनिकता और प्रगतिशीलता के अर्थ में राष्ट्र-भक्त और जन-पक्षीय लोगों के सामने पहला लक्ष्य भारत के आधुनिक विचार की रक्षा और भारतीय राज्य-व्यवस्था को राष्ट्रवाद के उस सिद्धांत पर टिकाये रखना है, जो न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की एक अनिवार्य शर्त है । कम्युनिस्ट विचारधारा में वस्तुगत परिस्थितियों के वस्तुगत विश्लेषण का सिद्धांत बहुमूल्य माना जाता है । इस सिद्धांत को अगर आज हम अपने हालात पर लागू करें, तो उससे यही समझ निकलती है कि धर्मनिरपेक्ष-लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा और समाज के उत्तरोत्तर लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में उन तमाम शक्तियों की आवश्यकता बनी हुई है, जो भाजपा के ख़ेमे में नहीं हैं । जब तक भाजपा के राष्ट्रवाद को परास्त नहीं कर दिया जाता, भारतीय राष्ट्रवाद की यह मजबूरी बनी रहेगी ।

मगर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय राजनीति की इस प्रमुख विभाजन रेखा की प्रासंगिकता की समझ कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष शक्तियों में हाल के वर्षों में धुंधली होती गयी है । इसके लिए काफ़ी हद तक कांग्रेस नेतृत्व वाले यू०पी०ए० की नीतियां ज़िम्मेदार हैं, लेकिन इसकी कुछ ज़िम्मेदारी उन पार्टियों की भी है जिन्होंने फ़ौरी राजनीतिक फ़ायदों को दीर्घकालिक उद्देश्यों पर ज़्यादा तरजीह दी है । बहरहाल, यह पूरे धर्मनिरेपक्ष ख़ेमे के लिए विचारणीय प्रश्न है कि क्या इस क्रम में भारत की आधुनिक-लोकतांत्रिक और प्रगतिशील संकल्पना के लिए ख़तरा और संगीन नहीं होता जा रहा है ?

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound .scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are — Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya".

(ProfZ.H.Khan) Chairman — *(Prof M. B. Zaman)* Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

गुजरात हिंसा : कुछ यादें, कुछ बातें

गुजरात में इस वर्षान्त तक विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे । यह भी सर्वविदित है कि दो वर्षों के अन्दर अर्थात 2014 में लोकसभा के चुनाव होंगे । इन चुनावों की तैयारी भाजपा नरेन्द्र मोदी को 'हीरो' बनाने का दुष्प्रयास करके कर रही है, यहां तक कि मोदी को देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी चिन्हित, कल्पित और प्रायोजित किया जा रहा है । नरेन्द्र भाई मोदी भी गदगद हो चले हैं और सद्भावना के चुटीले, हठीले और भड़कीले विद्रूप एवं कृत्रिम प्रयास कर रहे हैं । ये वही मानवभेषी जीवधारी हैं, जिनके सर्वांग निर्दोष-निरीह जनता के रक्त से सराबोर हैं ।

नरेन्द्र मोदी रक्तरंजित गुजरात के निर्माता हैं । देश के सर्वाधिक कलंकित मुख्यमंत्री हैं । गुजरात नरसंहार के प्रणेता हैं । उन्हें हज़ारों निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाने का श्रेय प्राप्त है । फिर भी भाजपा के 'हीरो' हैं ! वह भी उसके भावी प्रधानमंत्री !? है ना विडम्बना पर विडम्बना । 'कान्ति' ने इस बार 'विशेष आयोजन' के अन्तर्गत गुजरात हिंसा के कुछ 'पृष्ठों' को यहां प्रस्तुत किया है, इस आशा के साथ कि वास्तविकता एक बार फिर प्रकट की जाए ताकि जनता यथातथ्य समझ सके । –संपादक

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

गोधरा कांड के बाद 28 फ़रवरी 2002 से पूरे गुजरात में शुरू की गयी मुसलमान की एकतरफ़ा मार-काट और उनके घरों-दुकानों आदि को जलाने की जो घटनाएं टी॰वी॰ चैनलों और दिल्ली के कुछ अख़बारों के द्वारा प्रसारित एवं प्रकाशित हो रही थीं, उन्हें देख-पढ़कर मैं बार-बार अत्यंत दुखी, चिंतित और मर्माहत हो उठता था और ईवश्वर से बार-बार प्रार्थना करता थ कि ऐ प्रभु, सबकी सहायता और सुरक्षा कर । उत्पातियों के हाथ रोक कर उनकी सहायता कर और उनके ख़ूनी हाथों के शिकार हुए लोगों को परलोक में अच्छा बदला दे एवं पीड़ित भाइयों, माताओं और बहनों को धैर्य और संयम प्रदान कर तथा उनकी सहायता कर, उन्हें सुरक्षित रख और उन्हें उत्पातियों की भेंट न चढ़ने दो ।

यह मेरे जीवन का पहला मौक़ा था, जब अत्याचार और बर्बरता को सिर चढ़कर बोलते देखा और एहसास किया इन्सान, इन्सान होने की परिभाषा को भूल चुका है । व इन्सान का ही कितना बड़ा शत्रु बन सकता है, कितना असहनशील और असहिष्णु बन सकता है, अपने ही जैसे हाड़-मांस के लोथड़े के ख़िलाफ़ नफ़रत और दुश्मनी में कितना जल-भुन सकता है–कुल मिलाकर यह महसूस हुआ कि इन्सान ही इन्सानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है । जैसा कि हर इन्सानियत प्रेमी व्यक्ति की दिली तमन्ना होनी चाहिए, मेरी यह हार्दिक इच्छा गुजरात में हिंसक, आगज़नी की घटनाएं जानकर व सुनकर होती रही कि काश, मेरे पास इतनी शक्ति होती तो मैं मानवता के संहारकों के ख़ूनी खेल रोक देता । गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी जलाने वालों को रोकता, यात्रियों की जान नहीं लेने देता । मुसलमानों को रोकता और हिन्दुओं को रोकता कि एक-दूसरे की जान न लें । एक-दूसरे की संपत्तियों में आग न लगाएं, लेकिन यह दिली तमन्ना आख़िर पूरी भी कैसे होती !

हां, इसकी सामर्थ्य हममें अवश्य थी कि गुजरात सरकार हिंसा-पीड़ितों के ज़ख़्मों पर मरहम रखने का प्रयास

दशक पूर्व का निर्मम जनसंहार

करें । उनके दुख-दर्द और उनकी व्यथा को समझें एवं लिखकर सही सूरतेहाल स्पष्ट करें । सो यह प्रयास किया गया और हिंसा के दौरान तीन-चार दिनों तक गुजरात में रहने का और विभिन्न स्थानों पर जाने का अवसर मिला, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि यह तो मुसलमानों का एकतरफ़ा क़त्लेआम था । इसमें मुसलमान अपना उपाय भी नहीं कर सके, क्योंकि हत्यारे पुलिस और सुरक्षा बलों की छत्रछाया में आते थे और जब मुसलमान अपनी सुरक्षा के लिए कोई प्रयास भी करते, तो उन पर गोली चला दी जाती । इस प्रकार की अनेकों घटनाएं उद्घाटित हुईं । इनको न तो साम्प्रदायिक दंगा कहा जा सकता है और न ही फ़साद । दंगे में तो दोनों पक्षों का नुक़सान होता है । यह तो राज्य से मुसलमानों के अस्तित्व को मिटाने की सोची-समझी कार्रवाई थी और है, जिसमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ । इसे सरकारी आतंकवाद की संज्ञा भी दी जा सकती है ।

गोधराकांड की पूर्व पीठिका

गुजरात की वर्तमान बर्बरता के कारणों की पड़ताल के लिए हमें ज़रा हाल के इतिहास के कुछ पृष्ठ उलटने होंगे । गुजरात दशकों से भारत के अन्य प्रदेशों के मुक़ाबले में समृद्ध प्रदेश रहा है । इस कारण से भी यह हिन्दू साधु-संतों के आकर्षण का केन्द्र रहा । सरदार पटेल का संबंध यहीं से था । पटेल जी संघ दर्शन से बहुत प्रभावित थे । उन्होंने इस दर्शन के अनुरूप गुजरात में 'कुछ' कार्य किये और इस 'कुछ' का श्रेय लूटा । संघ परिवार के लोग इनको अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं । मुझे गुजरात यात्रा के दौरान एक ऐसा पम्फलेट मिला, जो गुजराती भाषा में है, जिसमें नरेन्द्र मोदी को पटेल का अवतार बताया गया है । कहा जाता है कि पटेल के समय से ही मानव-असमानता की दृष्टि रखने वाली शक्तियां केन्द्रीकृत होने लगी थीं, लेकिन कांग्रेस सरकार उनके होश ठिकाने रखती थी । धीरू भाई शेठ जैसे लेखक यह मानते हैं कि गुजरात की राजनीति में अपराधी-तत्व की गहरी पैठ रही है । इस परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने भी अपनी सुविधा के अनुसार इनका इस्तेमाल किया होगा ।

1998 में केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ दलों को साथ लेकर अपनी सरकार बनायी तो विध्वंसकारी तत्वों की बांछें खिल गयीं । विहिप के कुछ कथित साधु-संत जनता को अपने प्रवचनों के द्वारा और अधिक भ्रमित करने लगे । जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का मंसूबा बना तो गुजरात से विहिप के साधु-संतों के नेतृत्व में सैकड़ों लोग अयोध्या गये थे । उस समय गुजरात में कांग्रेस का राजनीतिक प्रभाव भी था, इस कारण उनकी हिंसक प्रवृत्ति पर कहीं न कहीं से लगाम लग रही थी, पर जैसे-जैसे कांग्रेस प्रभावहीन होने लगी और भाजपा के शंकर सिंह वाघेला का विद्रोह भी उसे कोई लाभ न दे सका--इसी बीच केन्द्र में भाजपा नीत सरकार आ गयी, तो विध्वंसकारियों के कीचड़ में 'कमल' खिल उठे ।

फिर क्या था ? इन्हें संघी हिन्दुत्व और हिन्दू राष्ट्र के नाम पर पूरे प्रदेश और फिर देश को अहिन्दू लोगों से मुक्त करने का सुनहरा अवसर हाथ लग गया । इन्होंने सोचा कि चलो, परीक्षण करके देखते हैं कि 'हिन्दुत्व की प्रयोगशाला' में यदि कुछ सफलता मिलती है, तो पूरे देश में हिंसा विध्वंस और उपद्रव का बाज़ार गर्म करके सत्ता-स्वाद को ठीक से चखा जाएगा । इन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में ईसाई स्कूलों, चर्चों और घरों पर हमले करने शुरू कर दिये, उन्हें जलाया गया और तोड़फोड़ की गयी । कइयों को मौत के घाट उतार दिया, घायल कर डाला । करोड़ों की संपत्ति को नुक़सान पहुंचाया, पर केन्द्र सरकार और राज्य की भाजपा सरकार ने हिंसाकारियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की । उन्हें हर प्रकार से संरक्षण और प्रश्रय दिया । इसी का नतीजा रहा कि सन 2000 में कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश और उ०प्र० में ईसाइयों पर ताबड़तोड़ हमले किये गये, यहां तक कि ग्राहम स्टेंस को उनके बच्चों समेत ज़िन्दा जला दिया गया । 6 जून 2002 को मधुरा (उ०प्र०) में पादरी जार्ज कुंजी कुन्दम की निर्मम हत्या कर दी गयी । वर्तमान में इन्सानों और उनकी संपत्ति को बुरी तरह जलाना इन्हीं तथाकथित 'हिन्दुत्ववादियों' की ईजाद है । 'सती प्रथा' का

तो एक तरह से लोप हो गया, जिसमें पति की मृत्यु के बाद जबरन पत्नी को पति की जलती चिता में झोंक दिया जाता था ।

राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के प्रयासों से इस क्रूरता का समापन हो गया । लेकिन आज भी इसके पक्ष में जो आवाज़ें कभी सुनायी पड़ती हैं, वे तथाकथित 'हिन्दुत्ववादियों' की ही हैं । पता नहीं कब इनके द्वारा शुरू की गयी इन्सानों को ज़िन्दा जलाने की प्रथा का समापन होगा? क्या अभी कोई राम मोहन राय नहीं पैदा हुआ है ?

गुजरात में जब ईसाइयों पर हमले हो रहे थे, तो ऐसा नहीं मुसलमान, हिन्दू हिंसाकारियां का निशाना नहीं बनते थे, पर यह सच है कि हिंसा, आगज़नी की वह मुहिम ईसाइयों के ख़िलाफ़ थी । विध्वंसक तत्वों को जब भी बहाना मिलता रहा, मुसलमानों के जान-माल के नुक़सान पहुंचाते रहे और ऐसा करके भाजपा के वोट बैंक को मज़बूत करते रहे । जुलाई 2000 में कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले का बहाना बनाकर भाजपा, विहिप ने गुजरात बंद का आह्वान किया और मुसलमानों के जान-माल की काफ़ी तबाही की । सूरत में बड़े पैमाने पर लूट-मार की गयी और आगज़नी भी हुई । उस समय सूरत के अमर महान चौधरी भाजपा सरकार में पावरमूल मंत्री थे । चौधरी ने इसे हवा दी, जिसके नतीजे में दो लोग मारे गये । उस समय सूरत में भाजपा वोट विफल रहा था । बंद के दौरान लामड़िया और मोडासा में भी मुसलमानों का ज़बरदस्त कारोबारी नुक़सान पहुंचाया गया । उनकी दुकानें लूट ली गयीं और घरों-दुकानों में आगज़नी भी की गयी ।

विहिप के लोगों ने आसपास के आदिवासियों को उकसा कर लामड़िया का चार दिनों तक घेराव कराया । आदिवासियों को विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया ने भड़काया । इस बन्द के दौरान पुलिस की मदद से उत्पातियों ने मुसलमानों को ज़बरदस्त नुक़सान पहुंचाया । पुलिस ने 20 मुसलमानों को गिरफ़्तार किया, किसी भी हिन्दू को गिरफ़्तार नहीं किया गया । खेड़ब्रह्मा और बड़ोदरा में भी मुसलमानों पर हमले किये गये ।

गोधरा कांड की पृष्ठभूमि

गुजरात में इस्लाम और मुस्लिम विरोधी पोस्टरों और हैंडबिलों को बार-बार बांटकर राज्य के माहौल को वर्षों से ज़हरीला बनाया जा रहा है । यह दुष्कर्म बजरंग दल, विहिप और उनके पिछलग्गू करते रहे हैं । यह सब खुफ़िया विभाग, पुलिस, प्रशासन, सरकार सबकी जानकारी में हो रहा है, फिर भी इन पर कोई रोक नहीं लगायी गयी और न ही लगायी जा रही है । इससे यह स्पष्ट है कि सरकारी मशीनरी इन राष्ट्र विरोधी 'पशुओं' के साथ रही है और है । आइए ज़रा देखें गोधराकांड से पूर्व हैंडबिलों आदि में क्या लिखा जा रहा था-एक हैंडबिल का शीर्षक है : ''हिन्दू युवाओं के लिए ख़ास, बजरंग दल चढ़ाने धनुष अब तो युद्ध से ही होगा कल्याण ।' हैंडबिल की सामग्री अत्यंत आपत्तिजनक इसलिए यहां उसको उद्धृत नहीं किया जा रहा है । इस्लाम विध्वंसकारी तथ्यों के प्रचारित-प्रसारित करने की अनुमति नहीं देता ।

भाजपा सरकार (केन्द्र की तत्कालीन एन०डी०ए० सरकार) और गुजरात सरकार के संरक्षण में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार तेज़ का दिया गया था । इसी बीच 15 मार्च 2002 को अयोध्या में मंदिर निर्माण की तारीख़ की घोषणा कर दी गयी । जिस प्रकार 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए तरह-तरह के छल-छद्म और हथकंडों का सहारा लिया गया, उसी प्रकार मंदिर निर्माण के लिए चेतावनी यात्रा, यज्ञ आदि के कार्यक्रम बने । स्पष्ट है कि मंदिर निर्माण के लिए किसी कार्यक्रम का ऐलान सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार ग़ैर-क़ानूनी था ।

सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की शहादत से पूर्व भी यह आदेश दे रखा था कि जब तक अदालतों में चल रहे मुक़दमों का निबटारा नहीं हो जाता, बाबरी मस्जिद की हर दृष्टि से रक्षा की जाए । भगवा पलटन ने भी अदालतों और पूरे देश व विश्व को भरोसा दिलाया था कि उसके लोग अदालत के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन उसने धोखाधड़ी, विश्वासघात और क़ानून की ख़िलाफ़वर्ज़ी करके बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया । इसके बाद भड़कायी गयी साम्प्रदायिक हिंसा में मुसलमानों पर हमले किये गये । गुजरात में अनेक सुविज्ञ जनों ने बताया कि इस बार भी ऐसा ही प्रोग्राम बनाया गया था कि 15 मार्च को मंदिर निर्माण-कार्य

शुरू करने के बाद गुजरात और देश के विभिन्न भागों में मुसलमानों पर हमले किये जाएं एवं विशेषकर गुजरात के मुसलमानों को उन्मूलन कर डाला जाए । लेकिन केन्द्र की एन॰डी॰ए॰ सरकार के गिरने का ख़तरा पैदा हो गया, तो मंदिर-निर्माण का कार्यक्रम विहिप और आर॰एस॰एस॰ को स्थगित कर देना पड़ा । उधर गुजरात में बजरंग दल, विहिप आदि ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसक कार्रवाइयां करने के लिए साज़ोसामान तैयार कर रखा था । बस इन्हें बहाने की ज़रूरत बाक़ी थी ।

सुप्रीम कोर्ट को धता बताते हुए अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए यज्ञ, यात्रा आदि के कार्यक्रम फ़रवरी 2002 में हुए, तो पूर्वनियोजित ढंग से गुजरात के विहिप आदि के लोग भी इसमें शामिल हुए और अपने को 'कारसेवक' कहलवाया । ये सारी गतिविधियां ग़ैर-क़ानूनी थीं, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की दृष्टि से भी और उस सामान्य क़ानून के अंतर्गत भी कि लोगों का जमावड़ा शांति भंग करने के लिए नहीं किया जा सकता । फिर भी तत्कालीन केन्द्र और राज्य की राष्ट्रपति शासन वाली सरकार के भाजपाई राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री ने यह सब होने दिया और गुजरात समेत देश के अन्य स्थानों से मंदिर-निर्माण के लिए लोग आते रहे । रोक तब लगायी गयी, जब गोधरा कांड हो चुका था ।

यह तथ्य अनेक रिपोर्टों से प्रमाणित हो चुका है कि तथाकथित कारसेवकों ने ट्रेन से आते-जाते समय तरह-तरह के हुड़दंग किये, स्टेशनों पर चाय-नाश्ता करके पैसे नहीं दिये और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाये एवं उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया । कुछ स्टेशनों पर इन हरकतों की शिकायत रेलवे पुलिस से भी की गयी । साबरमती एक्सप्रेस पर सवार कथित कारसेवकों ने भी ऐसी ही हरकतें कीं ।

गोधराकांड क्यों हुआ ?

दिल्ली से गये 72 सदस्यों वाले सद्भावना दल के लोग एक अप्रैल की रात को दस बजकर दस मिनट पर गोधरा पहुंचे । रात अँधियारी थी । गोधरा रेलवे स्टेशन पर भी अंधेरा पसार हुआ था मानों इसी में ख़ूनी दैत्य छिपा बैठा हो, जिसके बहाने से हिंसाप्रेमियों के टोले ने पूरे गुजरात में ख़ून की होली खेली । अजीब ख़ामोशी थी, पूरे स्टेशन में एक भी यात्री पहले से मौजूद न था । हम लोग गोल्डन टेम्पिल एक्सप्रेस से उतरे ही थे कि कुछ ही पल में गोधरा के कुछ शांतिप्रिय लोगों ने सद्भावना दल का स्वागत किया । दूसरे दिन हम लोग गोधरा रेलवे स्टेशन के निकट खड़े साबरमती एक्सप्रेस के उस डिब्बे (एस-6) को देखने के लिए गये । बोगी इतनी जली थी कि कमज़ोर क़िस्म के लोहे भी जल गये । लगता था कि बोगी के भीतर विस्फोटक पहुंचा होगा । मेरे कपड़ों पर कई जगह कालिख लग गयी । क्या हिंसाप्रेमियों ने यही से कालिख लेकर देश के माथे पर लगाया ? क्या वास्तविकता यही थी ? ज़ेहन में यह सवाल उठा कि देश की खुफ़िया एजेंसियां आख़िर क्या कर रही थीं कि वे विस्फोटक स्थिति होते हुए भी गोधराकांड की पूर्व सूचनाएं नहीं दे सकीं । गोधरा के धर्मेश लालवाणी जी न बताया था कि ट्रेन में आग जिसने भी लगायी हो, हम हिन्दू-मुसलमान तो सदियों से एक साथ शांतिपूर्वक रहते हैं । वे मुझ से ही सवाल करते हुए कहते हैं कि यदि आग लग ही गयी, तो इसका मतलब क्या यह है कि निर्दोष लोगों से बदला लिया जाए ? ऐसा तो कोई धर्म नहीं सिखाता ।

प्रभा रोड पर रहने वाले लालवाणी जी ने कहा कि गोधरा की आबादी दो लाख के क़रीब है, जिसमें 35 प्रतिशत मुसलमान हैं । यहां मुसलमान गोया क्षेत्र में रहते हैं । हिन्दुओं और मुसलमानों में सद्भाव का वातावरण है । जब विहिप और भाजपा ने बन्द का आह्वान किया, तो भी यहां कुछ ख़ास नहीं हुआ और बाद में यहां सब कुछ ठीक है । हां, गांवों में मुसलमानों की बड़ी मार-काट हुई है ।

गोधरा शहर में माहौल कुछ सामान्य दिखा । हिन्दू मुसलमान सभी अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त दिखे, लेकिन मुसलमानों के चेहरों पर भय और आशंका साफ़ नज़र आयी । कुछ हिन्दू भाई इस संकट की घड़ी में बहुत चिंतित नज़र आये । वे हालात को सामान्य बनाने के लिए भी सक्रिय रूप से काम करना चाहते थे, लेकिन उत्पातियों एवं प्रशासन का उन पर इतना भय व ख़ौफ़ था कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहां तक कि उनके मुंह से आवाज़ भी मुश्किल से निकल रही है । कांग्रेसियों के भी होश उड़े हुए हैं । उनके पैरों तले ज़मीन खिसक रही थी, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे या करना ही नहीं चाहते । थे । कांग्रेस

के एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने गोधरा में नाम न छापने की शर्त पर बताया कि साबरमती ट्रेन की घटना कोई साम्प्रदायिक घटना नहीं थी । हां, उसे साम्प्रदायिक रंग अवश्य दे दिया गया, जैसे कोई मौक़े की ताक में हो । यह तो कारसेवकों और वेंडरों का झगड़ा था ।

उन्होंने बताया कि 27 फ़रवरी 2002 को गोधरा कांड के दिन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी गोधरा पहुंचे । शाम को विहिप के 60-70 लोग उनसे मिले । उस समय मैं भी वहीं था । उस भीड़ में से एक ने कहा कि मोदी जी, मेरी बात सुनिये । पूछा गया, कौन हैं ? उसने अपने को विहिप का सेक्रेट्री बताया । उसने कहा कि मोदी जी, हम लोग क्या करें ? मोदी जी बोले, "क्या तुम लोग चूड़ियां पहनकर बैठे हो । सौ साल का बदला ले लो । 70 लोग यहां मारे गये हैं । तुम लोग उसके आगे एक-दो शून्य (700-7000) बढ़ा दो, तो कोई बात नहीं ।" उन्होंने यह भी बताया था कि कुछ स्थानों से ऐसी भी ख़बरें हैं कि धन-लोभ के कारण हिन्दू दंगाइयों ने खुद हिन्दुओं की दुकानें भी लूटीं जिनके बारे में यह प्रचारित कर दिया गया कि मुसलमानों ने लूटीं । तत्कालीन गृहमंत्री गोरधन ज़ड़फिया और एक अन्य मंत्री अरुण भट्ट गोधरा पुलिस नियंत्रण कक्ष में पहुंच कर क्या कैसे करना है बाक़ायदा अपनी प्लानिंग बतायी, जिस पर अमल हुआ और विहिप के लोग टोलियों में जाकर गांव-गांव पहुंचकर मुसलमानों का क़त्लेआम किया, उनके घरों, दुकानों को लूटा, आग लगा दी, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया, उनमें आगज़नी की, क़ुरआन की प्रतियां जलायीं और उसका अनादर किया ।

'कारसेवकों' ने ख़ुद साज़िश रची !

गोधरा, बड़ोदरा और अहमदाबाद में लोगों से बातचीत करने से मालूम हुआ कि गोधराकांड पूर्व नियोजित थ ताकि पूरे राज्य में इस बहाने से बड़े पैमाने पर हिंसा, आगज़नी की जाए । गोधरा में मुहम्मद हकीमुद्दीन क़ासिमी साहब ने बताया कि कारसेवकों का हुड़दंग ही कांड का कारक था । इसमें आई॰एस॰आई॰ या मुसलमानों की किसी और साज़िश नहीं थी, बल्कि स्वयं साम्प्रदायिक एवं फॉसीवादी ताक़तों की साज़िश थी ।

'वाशिंगटन पोस्ट' (6 मार्च 2002) के अंक में राजीव चन्द्रशेखरन की रिपोर्ट में कहा गया था कि साबरमती एक्सप्रेस दो दिन में उत्तर भारत से चलकर गोधरा पहुंची । इस दौरान दो डिब्बों एस-5 और एस-6 में कुछ हिन्दू एक्टीविस्ट थे, जो गुंडागर्दी (Hooligans) करते रहे और अपनी हरकतों से दूसरे यात्रियों को परेशान करते रहे । उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के बुर्क़े खींच लिए । उन्होंने चार सदस्यों वाले एक परिवार के साथ इसलिए दुर्व्यवहार किया कि वे राम की प्रशंसा में हिन्दू एक्टीविस्टों द्वारा लगाये जा रहे नारों को नहीं दोहराया और इस काम में उनका साथ नहीं दिया । ट्रेन जहां-जहां रुकती हर स्टाप पर हिन्दू एक्टीविस्टों द्वारा चाय-बिस्कुट आदि लिए जाते और उनके पैसे नहीं दिये जाते ।

अहमदाबाद के समाजसेवियों राजनीकांत गोहल, बिन्दू जी, शिवानन्द जी और पूर्व विधायक वोरा जी तथा बड़ोदरा के रोहित प्रजापति जी, मंजुल सालेरी जी और रेनू खन्ना जी आदि ने बताया था कि गोधराकांड स्वयं विहिप, बजरंग दल भाजपा सरकार आदि द्वारा पहले से रचा गया था । एक ही पैटर्न पर पूरे राज्य में की गयी कार्रवाई पूरी तरह सुनियोजित है । एक ही तरह के त्रिशूल, तलवार, भाले, गैस सिलिंडर और अन्य तैयारियां यह बताती हैं कि सभी बस इनके इस्तेमाल की प्रतीक्षा में थे । कुछ ने कहा कि यह सब 15 मार्च को प्रस्तावित मंदिर-निर्माण के कार्य के साथ किया जाना था, लेकिन उस योजना के विफल हो जाने पर गोधरा कांड का सहारा लिया गया । इन सभी ने कहा कि अब पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए ।

गोधरा के आसपास क़त्लेआम

पूरे राज्य में हिंसा की एक ही प्रकृति थी और एक ही प्रकार के हथकंडे अपनाये जा रहे थे । प्लानिंग मुसलमानों को राज्य से बाहर करने की थी । घरों-मकानों को लूटना, जलाना, धर्म-स्थलों को नष्ट करना और मर्दों को बड़े पैमाने पर क़त्ल करके उनकी लाश तक ग़ायब करना इस साज़िश का हिस्सा था, जिस पर पूरे गुजरात में अमल किया गया ।

गुजरात हिंसा को अनेक संभ्रांत नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और कुछ विदेशी प्रेक्षकों ने सुनियोजित क़रार दिया है । लंदन

स्थित ब्रिटिश विदेश विभाग को भेजी गयी भारत स्थित ब्रिटिश उच्चयोग की रिपोर्ट में गुजरात 'दंगों को सुनियोजित बताते हुए इसका उद्देश्य राज्य में मुसलमानों के प्रभाव को समाप्त करना है। यह रिपोर्ट ब्रिटेन के तीन राजनयिकों द्वारा तैयार की गयी है जिन्होंने हाल ही में गुजरात का दौरा किया था। इस टीम ने राज्य में मृतकों की संख्या लगभग दो हज़ार बतायी, जबकि सरकारी आंकड़ा इसका आधा भी नहीं है। रिपोर्ट में दंगों से विस्थापितों की संख्या एक लाख चालीस हज़ार बतायी गयी। रिपोर्ट में इन 'दंगों' में संघ परिवार की नकारात्मक भूमिका चिन्हित की गयी है और कहा गया है कि दंगाइयों ने चुन-चुनकर मुसलमानों की दुकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया और कुछ क्षेत्रों में पुलिस दंगाइयों को मदद पहुंचाती रही। गोधरा में हम लोगों का पंचमहल मुस्लिम एजूकेशन सोसायटी मं चल रहे एक राहत शिविर में जाना हुआ, जिसमें लगभग साढ़े तीन हज़ार हिंसा पीड़ित मुसलमान थे। इनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक थी। ये सभी आसपास के गांवों से आये थे। आसपास के लगभग 40 गांवों में लगभग चार सौ मुसलमानों को जिनमें मर्दों की ही अधिकतर संख्या है, क़त्ल कर दिया गया। सरकारी तौर पर इनकी संख्या 241 बतायी गयी।

गोधरा में तीन राहत शिविर थे जो मुसलमानों द्वारा चलाये जा रहे थे। वैसे पूरे राज्य चलाये जा रहे एक सौ शिविरों में से उस समय एक भी शिविर सरकारी नहीं था। गोधरा के जिस शिविर में हम लोग गये, वह वहां के तीन शिविरों में से सबसे बड़ा था। शिविर जहां लगा, वह स्कूल था, लेकिन वहां छात्रों को छुट्टी दे दी गयी थी। सैकड़ों मुस्लिम छात्र-छात्राओं का कैरियर ख़राब हो गया, क्योंकि हिंसा ने उन्हें विस्थापित होने के लिए मजबूर कर दिया। और वे अपने स्कूलों से दूर थे। मुस्लिम एजूकेशन सोसायटी में जो हिंसा पीड़ित थे, उनमें से कुछ से मेरी मुलाक़ात हुई। इन सभी पीड़ितों के अपने-अपने दुख-दर्द थे। कुछ तो अपनी आपबीती बताते हुए अपने पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जैसे कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं कि हिंसाचारियों ने चुन-चुनकर अधिकतर मर्दों को क़त्ल किया और उनकी लाशें गुम कर दीं। महिलाओं और बच्चों में दुख-दर्द का सैलाब उमड़ा हुआ था। कुछ महिलाएं तो अपने दुख के कारण मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी अक्षम दिख रही थीं। इस कैंप में ऐसी लड़कियों और महिलाओं से भी मुलाक़ात हुई, जिनके साथ बलात्कार किया गया था।

पंडारवाड़ा की नग़मा (बदला हुआ नाम) ने बताया कि उसके घर के 17 लोगों में से केवल वही जीवित है। पुलिस ने केवल छह लोगों को ही मृतक माना। उसने बताया कि गुजरात बंद के बाद लगभग दो बजे दो गाड़ियों पर सवार होकर लगभग 60-70 लोग उसके गांव आये। उन लोगों में उसके गांव के भी लोग थे। कुछ पास के गांवों के थे। ये सभी कुल्हाड़ी, त्रिशूल, तलवार और लाठी लिए हुए थे। इनके आते ही पुलिस हट गयी। इन लोगों ने नारेबाज़ी की और मुसलमानों के घरों पर हमला कर दिया। लगभग 40 मर्दों की हत्याएं कर डालीं और उनकी लाशें उठा ले गये। नग़मा (उम्र 15 वर्ष) ने बताया कि मैं अब घर में अकेली हूं। मुझे भी लोग उठाकर पहाड़ पर ले गये और तीन लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं बेहोश हो गयी तो मुझे मरा समझकर वे लोग चले गये। मेरी तरफ़ से एफ॰आई॰आर॰ हो चुकी है, वह भी नामज़द। मैं सारे बलात्कारियों के नाम जानती हूं। पुलिस ने किसी को गिरफ़्तार नहीं किया।

पुलिस की मिलीभगत और ज़्यादती की बहुत-सी शिकायतें आमिना, कुलसूम, फ़ातिमा, ज़ैनब, रेहाना आदि महिलाओं की भी ऐसी ही दारुण आपबीतियां हैं। इन सबकी आंखों के सामने तलवार, त्रिशूल मारकर पति और बच्चों और घर वालों को क़त्ल किया गया था और इनके साथ बदसलूकी की गयी थी। ये महिलाएं पंडारवाड़ा, लूनावाड़ा की हैं। इन्होंने यह तथ्य भी उजागर किया कि गांव के हिन्दू भाई मदद के लिए नहीं आये और एक-दो निकले भी तो उन्हें डरा-धमका दिया गया, तो वे लौट गये। इस पर भी एक सरपंच ने एक मुस्लिम महिला की मदद की और उसे हिंसाचारियों से बचाया। दाहोद ज़िले के पंडारवाड़ा और ख़ानपुर गांवों में सौ से अधिक मुसलमानों को ज़िन्दा जला दिया गया, उनके घरों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लूटकर उनमें आग लगा दी गयी।

दलोल गांव में

दलोल नामक यह गांव पंचमहल ज़िला में आता है । गोधरा भी इसी ज़िले में है । गोधरा से 2 अप्रैल को हम लोग बस द्वारा बड़ोदरा के लिए रवाना हुए । रास्ते में दलोल के क़रीब एक गांव पड़ा, जहां कई मुसलमानों का क़त्लेआम करके उनके सभी मकानों को जला दिया गया था । हम लोग उस गांव में जाना चाहते थे, पर बताया गया कि इतनी दूरी पर है कि दो घंटे पैदल चलने पड़ेंगे । यह कहने वाला एक पुलिस अधिकारी था । हम लोगों को सहज ही उसकी इस बात पर यक़ीन नहीं हो रहा था, फिर भी वहां जाने का इरादा छोड़ दिया गया और दलोल गांव में जाने का प्रोग्राम बना, जो सड़क के निकट ही है । इस गांव से राज्य के एक तत्कालीन मंत्री का संबंध है ।

लगभग दो बजे हम लोग दलोल गांव पहुंचे । इस गांव में 26 घर मुसलमानों के हैं, जिनमें से सभी घरों को लूट लिया गया था । वहां उनमें आग लगाने के चिन्ह भी दिखायी पड़े, पर मकानों व छोटी-छोटी दुकानों को तोड़ा ज़रूर गया । सभी मकान खुले पड़े थे, सिर्फ़ एक दुकान बंद थी, लेकिन दरवाज़े का आधा हिस्सा टूटा पड़ा था और दुकान में कोई सामान नहीं था । इस गांव में 37 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया । इस गांव के 67 लोग गोधरा कैंप में हैं । उस समय गांव में सिर्फ़ एक मुसलमान–अब्दुर्रहीम थे । इन्होंने बताया कि गांव में क़रीब दो सौ लोग तलवारें, भाले और त्रिशूल लेकर आये । गांव के कुछ लोग भी उनके साथ हो लिए । गांव के जो लोग साथ हो लिए, उन्होंने रक्त पिपासुओं को बताया कि अमुक घर, अमुक दुकानें मुसलमानों की हैं । इन असामाजिक तत्वों ने विशेषकर मर्दों को क़त्ल किया और महिलाओं के साथ बदसलूकी की । अब्दुर्रहीम के घर पर जब हमला हुआ और उनके घर के सदस्यों को मार डाला गया, तो अब्दुर्रहीम अपने पड़ोसी एक हिन्दू भाई के घर में दीवाल लांघकर चले गये थे । उन सज्जन ने अब्दुर्रहीम को सुरक्षा प्रदान की और कई दिनों तक अपने घर में रखा ।

अब्दुर्रहीम ने बताया था कि आजकल पूरे गांव में जिसकी आबादी क़रीब पांच हज़ार है, वे अकेले मुसलमान हैं । मेरा अन्य पत्रकारों व लोगों के साथ गांव के अधिकतर हिस्से में जाना हुआ था । गांव का कोई भी आदमी कुछ भी बोलने या बात करने के लिए तैयार नहीं था । जिस किसी पुरुष महिला से पुछा जाता कि आख़िर यह सब कैसे हुआ? तो उसका टका-सा जवाब मिलता, 'मुझे नहीं मालूम', 'हम उस दिन यहां नहीं थे ।' एक सज्जन कुछ कहने को तैयार हुए, तो टेप ऑन करते ही भाग खड़े हुए । गजी करी नामक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने इतना कहा कि "बाहर से लोग अस्त्र-शस्त्रों से लैस होकर आये और सब कुछ कर गये ।" यह पूछने पर कि आप लोग अपने ही गांव के मुसलमानों को बचाने के लिए क्यों नहीं आये ? कहा कि कुछ लोग आये, पर उन्हें भी धमकी दी गयी कि लौट जाएं, अन्यथा उनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा, जो मुसलमानों के साथ किया जाने वाला है । उन्होंने बताया कि गांव के लोग इसलिए कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि इन्हें डर था कि कुछ कहने पर उन पर भी हमला हो सकता है ।

इसी बीच मैंने आकाशवाणी की रिपोर्टर से कहा था कि आप महिलाओं से पूछिये, शायद आपसे वे बातचीत करें । उन्होंने जब पूछना शुरू किया तो नवयुवकों की लगभग एक सौ की भीड़ ने हम लोगों को घेर लिया और यह कहते भी सुने गये कि पूरे गुजरात को जला दिया जाएगा । एक नवयुवक हम दोनों की तरफ़ लपका और लग रहा था कि हमला कर देगा । इतने में पुलिस का एक जवान भीड़ में घुसकर हम दोनों को निकाल ले गया और गांव से बाहर निकल जाने को कहा । गांव के कुछ लोगों ने हमारे साथ के लोगों से खींचे गये फोटुओं की रीलें कैमरे से निकालने की ज़िद की, जो पूरी नहीं हो सकी ।

बड़ोदरा में जो कुछ हुआ

बड़ोदरा में हम लोग लगभग साढ़े तीन बजे पहुंचे । पटेल स्मारक में ठहरे । वहीं पर नगर के कुछ प्रतिष्ठित जन पधारे और एक कार्यक्रम में शांति स्थापित करने की अपनी कोशिशों की जानकारी दी । साथ ही बड़ोदरा और आसपास घटी हिंसक घटनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी । पेशे से इंजीनियर पी॰यू॰सी॰एल॰ से संबद्ध श्री रोहित प्रजापति ने बताया कि पहली बार आर॰एस॰एस॰ ने आदिवासियों का इस्तेमाल मुसलमानों के विरुद्ध किया । बड़ोदरा से लेकर पंचमहल और साबरकांठा तक उत्तर से दक्षिण गुजरात की

पूरी पट्टी आदिवासियों की है । पूरे गुजरात में 25 ज़िले हैं, जिनमें 24 में मुसलमानों पर हमले हुए हैं ।

रोहित जी के अनुसार मुसलमानों पर पूरी तरह संगठित और पूर्व योजनानुसार हमले किये गये थे । इनमें 15 वर्ष के बालक से लेकर बूढ़ों तक का इस्तेमाल किया गया था । महिलाएं भी ढाल के तौर पर शामिल की गयी थीं । ज़रूरत पड़ने पर आरोप लगातीं और चिल्लातीं कि अमुक मुसलमान ने उन्हें छेड़ा है आदि-आदि । उन्होंने बताया कि गोधरा कांड के बाद बड़ोदरा में तनाव फैल गया । 27 फ़रवरी को ही दोपहर बाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मौजूदगी में एक मुसलमान की हत्या कर दी गयी थी । यह हिन्दू उग्रवादी तत्वों के लिए खुलकर मारकाट करने का संकेत था । उस दिन और 28 फ़रवरी की रात तक शहर में हिंसा और तनाव बढ़ गया । राज्य सरकार द्वारा समर्थित बन्द के दौरान समाज विरोधी तत्व सड़कों पर निकल आये । मुस्लिम बस्तियों में हिन्दू उग्रवादी तत्वों द्वारा पथराव, छुरेबाज़ी और तलवार मारने एवं धमकाने की शुरुआत कर दी गयी । इन तत्वों की भीड़ मुस्लिम क्षेत्रों में 28 फ़रवरी की रात घूमती रही और हर वक़्त 'जय श्री राम' के नारे लगाती रही एवं इबादतगाहों पर हमले करती रही । मुसलमान भयभीत हो गये । कई तो अपने घरों में छिप गये, तो कइयों ने अपने पड़ोस के हिन्दू और सिंधी भाइयों के यहां शरण ली ।

श्री रोहित प्रजापति के अनुसार 28 फ़रवरी की रात और एक मार्च (भारत बंद) को दिन भर घरों को पहले तो लूटा गया, फिर आग लगा दी गयी थी । नूर पार्क और किसानवाड़ी में मकानों और धार्मिक स्थलों को तबाह करने के लिए गैस सिलिंडरों, पेट्रोल और किरोसिन बमों का इस्तेमाल किया गया । हैवानों ने गोत्री क्षेत्र में मुसलमानों की बकरियों पर एसिड डालकर मार डाला । एक मार्च से मुसलमानों ने यहां से जमाअतख़ानों या अन्य सुरक्षित जगहों के लिए पलायन करना शुरू कर दिया । ऐसे में अल्टादारा, नूर पार्क और किसानवाड़ी में रक्तपिपासुओं की भीड़ पुनः गयी और मकानों को लेट्टा और तबाह किया । दुकानों में भी ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गयी । अजवा रोड स्थित इस्लामिक स्टडी सेन्टर को ध्वस्त कर दिया और डॉ॰ बन्दूक़वाला के घर पर हमला किया । ख़रीदारी के लिए मशहूर मंगल बाज़ार की दुकानों को आग के हवाले कर दिया । उपद्रवियों ने बड़ोदरा स्थित 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' के दफ़्तर पर पथराव भी किया और हिन्दू समर्थक समाचार प्रकाशित करने की मांग की । करैली बाग़ स्थित तुलसीवाड़ी, झोंपड़पट्टियों पर भी हमले किये गये ।

चुन-चुनकर मुस्लिम संपत्ति को निशाना बनाया गया । किसानवाड़ी में महिलाओं ने बताया कि एक स्थानीय नवयुवक ने मुसलमानों के नामों और घरों की सूची मतदाता सूचियों के माध्यम से बनायी । घटनास्थल पर जाने से मालूम हुआ कि इस क़दर मुसलमानों की चीज़ों को नुक़सान पहुंचाया कि उनकी एक चीज़ भी न छोड़ी गयी । अकोटा में जहां लारियां (ठेले) खड़ी की जाती हैं, वहां चुन-चुनकर मुसलमानों की लारियों को नष्ट कर डाला गया । यही हाल दुकानों और अन्य चीज़ों का हुआ । मैंने स्वयं बड़ोदरा के गांधी चौक के निकट दुकानों के काम्पलेक्स को देखा, जहां पर 16-17 दुकानें थी, जिनमें से एक हिन्दू की थी, उसे नहीं जलाया गया था । शेष को लूट कर आग के हवाले कर दिया गया । यह मालूम हुआ कि बड़ोदरा में कुछ स्थानों पर हिन्दुओं की दुकानों से मुसलमानों द्वारा बनाये गये सामानों को बाहर निकाल कर जला दिया गया या लूट लिया गया ।

असामाजिक तत्वों ने बड़ोदरा और गुजरात के अन्य हिस्सों में मुसलमानों की संपत्तियों को जिस बड़े पैमाने पर नुक़सान पहुंचाया है । उसवे उनके इरादों को भली-भांति समझा जा सकता है । मुझे ऐसे हैंडबिल भी मिले हैं, जिनमें मुसलमानों को आर्थिक रूप से पंगु करने के लिए भी अपने लोगों से कहा गया है । इन राष्ट्रविरोधी तत्वों ने पुलिस-प्रशासन के संरक्षण में बड़ोदरा में भी मुसलमानों के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को तबाह-बरबाद कर डाला । मंगल बाज़ार, न्याय मंदिर और नवा बाज़ार में मुसलमानों की कपड़े की 70 दुकानों को लूटा और जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर डाला ।

बड़ोदरा में मुसलमानों की जिन बड़ी दुकानों को लूटकर नष्ट किया गया, उनके नाम इस प्रकार हैं-शू वर्ल्ड, वर्ल्ड, टॉवर शूज, स्नो व्हाइट लौंड्री, टॉवर जींस, आप्टिक पैलेस, सुजात फार्मेसी, डीलक्स आपटिकल, एम॰जी॰ रोड स्थित इंडियन बूट हाउस और यहां की 5 दुकानें, अलकापुरी

स्थित इंडियन बूट हाउस और यहां की 5 दुकानें, अलकापुरी की आपटिकल पैलेस और रावपुरा की आपटिकल पैलेस और आस-पास की दुकानों एवं मकरपुरा स्थित फैक्ट्रीयां। डांडिया बाज़ार में 2, प्रतापनगर मस्जिद के निकट 15, सारा में 15, मंजलपुरा, मकरपुरा और छानी में 15, एलोटा पार्क में 3, सामा में 5 दुकानें और अन्य कुछ स्थानों पर लगभग 50 दुकानें लूटी गयीं और जलायी गयीं। प्रतापनगर औद्योगिक क्षेत्र की 15 फैक्टीरियों को और बड़ोदरा से 18 किमी॰ की दूरी पर स्थित दीवालीपुरा में एक बड़े पटाखा उद्योग को लूटकर जलाया गया। बड़ोदरा में एक आंकड़े के अनुसार 681 घरों को लूटकर आग लगायी गयी। मकरपुरा से सुरक्षित स्थान पर जा रहे 20 मुसलमानों पर पुलिस स्कार्ट के संरक्षण में हमला किया गया, जिसमें 2-3 लोगों की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी और सभी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।

अहमदाबाद में दरिन्दगी

हम लोग दो अप्रैल की रात को अहमदाबाद पहुंचे। बड़ोदरा से अहमदाबाद पहुंचने पर मालूम हुआ कि जहां से हमारी बसों को अहमदाबाद में प्रवेश करना है वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। काफ़ी देर तक बसें बाहर खड़ी रहीं। फिर प्रशासन की अनुमति मिलने पर हम लोग अहमदाबाद पहुंचे। ज़रीवाला पार्क (नवरंगपुरा) स्थित ईश्वर भुवन (होटल) में ठहरे। साम्प्रदायिक तत्वों और दंगाइयों को हम लोगों के आने के बारे में जैसे ही ख़बर मिली, ईश्वर भुवन होटल को घेर लिया। किसी तरह हम लोग साबरमती आश्रम चले गये। बताया गया कि आरम सेफ़ जगह रहेगी, परंतु वहां भी दंगाई आ धमके। हम लोगों के साथ एडमिरल तहलियानी भी थे, ज़िनकी कोशिशों से सेना के जवान आ गये और दंगाइयों को खदेड़ दिया।

दूसरे दिन जुहापुरा स्थित राहत शिविर जाना हुआ, जहां मुसलमानों की बड़ी संख्या विस्थापित होकर ठहरी हुई थी। यहां भी आवश्यक सुविधाएं पीड़ितों को नहीं प्राप्त हो रही थीं। अन्य कैंपों की भांति यहां भी सरकार की ओर से अत्यंत घटिया श्रेणी की चावल और आटा भेजा गया था। इससे सरकार की मंशा को साफ़ समझा जा सकता था। इस शिविर में भी दरिंदों की बदसलूकी की शिकार हुई महिलाएं थीं। राहत शिविर में पीड़ितों के साथ बातचीत से यह तथ्य सामने आया कि वे इतने भयाक्रांत हैं कि अपने घरों को लौटना नहीं चाहते।

एक सामाजिक कार्यकर्ता मनोज गोहल ने बताया कि सरकार और प्रशासन चाहे तो हिंसा रुक सकती थी, लेकिन सरकार के इरादे ठीक नहीं हैं। एक अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री बिन्दू जी ने कहा कि आज सरकार की ओर से दिलों के ज़ख़्मों पर मरहम नहीं, नमक लगाया जा रहा है। श्री अजीत भाई गोहल ने कहा कि सब कुछ पूर्व योजना के अनुसार हिन्दू उन्मादियों ने किया है। यह दंगा नहीं सुनियोजित हिंसा है। दंगा पीड़ितों के साथ न्याय किया जाना बहुत आवश्यक है।

अहमदाबाद और उसके आसपास हुई बर्बरता और दरिन्दगी की कुछ घटनाएं निम्नलिखित हैं–

अहमदाबाद के निकट नरोडा-पाटिया में पुलिस की मौजूदगी में हिंसाचारियों ने बर्बरता का वह नंगा नाच किया, जो अत्यंत निंदनीय और अमानवीय है। यहां सरकारी तौर पर 88 लोगों (मुसलमानों) की हत्याएं की गयीं थीं, लेकिन यह संख्या वास्तव में और अधिक है। यहां पर सैकड़ों घरों में आग लगा कर मुस्लिम मर्दों, औरतों और बच्चों को पकड़-पकड़कर आग में डाल दिया गया। यहीं एक गर्भवती महिला के पेट को चीर कर उसका और उसके बच्चे की हत्या कर दी गयी। नन्हे-मुन्ने बच्चों के पेटों में त्रिशूल भोंक कर उन्हें ऊपर उठाकर आग में झोंक दिया गया। नरोडा में ही एक पूरी चाल जला दी गयी। कुछ लाशें एक कुएं में भर दीं गयीं और बदबू छिपाने के लिए गधा मारकर कुएं के ऊपर डाल दिया गया।

यहां की दरिन्दगी से बचे एक परिवार के लोगों ने बताया कि एक महिला और उसके तीन माह के बच्चे को किरोसिन डालकर उस वक़्त जला दिया गया, जब एक पुलिस कांस्टेबल ने कहा कि अपनी जान बचाने के लिए तुम उधर चली जाओ। जब वह महिला उधर गयी, तो अपने को मानवता के वैरियों के बीच पाया।

अहमदाबाद स्थित गुलबर्ग सोसायटी पूरी तरह जला कर राख कर दी गयी। यह वह जगह है जिसके चारों ओर हिन्दू भाइयों की बस्तियां हैं। इस कॉलोनी के लोग हर दंगे में

सुरक्षित रहते थे। 1984, 1985 और 1992 में भी यहां के लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े। इस कालोनी में 30-35 घर थे, जो सभी मुसलमानों के थे। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रह चुके एहसान जाफ़री भी इसी कालोनी में अपने परिवार के साथ रहते थे। गोधराकांड के बाद ही इनकी कालोनी को हज़ारों की संख्या में आये उत्पातियों ने घेर लिया। वे तलवार, त्रिशूल, भाले आदि से लैस थे। पुलिस उनकी मदद कर रही थी। जाफ़री साहब ने सुबह से लेकर अपनी मौत के क़रीब एक घंटे पहले लगभग ढाई बजे तक पुलिस, सिविल अफ़सरों, सरकार के लोगों के पास लगभग दो सौ बार फ़ोन किया, परन्तु किसी ने कुछ भी नहीं सुना और न ही रक्तपिपासुओं को रोकने के लिए कुछ किया। रक्तपिपासुओं ने अंततः लूटपाट के बाद इस कालोनी में आग लगा दी। जाफ़री साहब और उनके परिवार के केवल उनको पत्नी (ज़किया नसीम जाफ़री) को छोड़कर सभी ज़िन्दा जला दिये गये। पूरी कॉलोनी के सब मिलाकर पचास लोग शहीद हो गये। किसी की लाश नहीं मिल सकी। अहमदाबाद के कई मुस्लिम क्षेत्रों में ऐसा हुआ कि लोगों के बार-बार आग्रह के बावजूद पुलिस और सुरक्षा बल के लोग नहीं पहुंचे और मुसलमानों की हत्याएं कर दी गयीं।

हमें क्या करना चाहिए ?

इन परिस्थितियों में हमें निम्नलिखित कार्य करने होंगे, तभी गुजरात हिंसा जैसी घटनाओं की पुनरावृति न हो सके-

1. हम भारतीय लोकतंत्र को तभी तक बचाए रख सकते हैं, जब तक इसकी आत्मा अर्थात जनता का अनादर और तिरस्कार न हो। सारे इन्सान एक ही माता-पिता की संतान हैं और इस दृष्टि से भाई-भाई हैं। यह भावना बलवती करनी होगी।

2. एक-दूसरे की धार्मिक मान्यताओं और शिक्षाओं को समझने-समझाने का प्रयास करना होगा और हिन्दुओं व मुसलमानों में संवाद बढ़ाना होगा।

3. सभी देशवासियों को एक दृष्टि से देखना होगा। न्याय, सच्चरित्रता और ईमानदारी का वातावरण बनाना होगा।

4. सभी नागरिकों के रहन-सहन, संस्कृति और रीति-रिवाजों के प्रति सहिष्णु नीति अपनानी होगी और नफ़रत एवं वैमनस्य पैदा करने वालों को उस समय तक अलग-थलग कर देना होगा, जब तक उनका अपेक्षित सुधार न हो जा।

5. या कहीं संकीर्णता है, तो उसका त्याग करना होगा। एक-दूसरे के बारे में फैलायी जा रही ग़लतफ़हमियां दूर की जाएं।

6. भारत धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है। इन मूल्यों को बनाये रखने और इसे विकृत रूप न देने के लिए प्रयासरत रहना होगा।

7. हिन्दुओं और मुसलमानों में ऐसा संवाद क़ायम हो जो आवश्यकतानुसार सहयोग और सहायता का रूप लेता रहे और दोनों पक्षों की भावनाओं का आदर करता रहे।

8. पुलिस और सुरक्षा बलों में हिन्दुओं और अन्य धर्मावलंबियों के साथ-साथ मुसलमानों को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

9. जनसेवा और मानव-मूल्यों पर आधारित राजनीति की जाए।

10. समाज से साम्प्रदायिकता, फॉसीवाद और बुराइयों को निकाल फेंका जाए, आदि-आदि।

Prop : Abid Hussain
09413037652
09252235194

Shop : Mujahid Hussain
09214747172

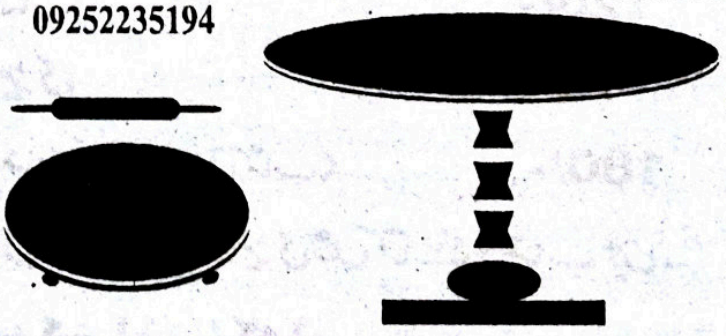

कान्ति मार्बल हैंडीक्राफ्ट

सभी प्रकार के वन पीस और ज्वाइंट पीस चकलों के निर्माता व थोक विक्रेता, मार्बल के फव्वारे तथा टेबल, टेलीफ़ोन स्टेंड, नोजल लैंप, गमले, घड़ी व फैंसी आइटम

Shop : Hotel Moti Mahal, Manglana Road, Makrana-341505
Fact : Bypass Mor, Opp : Sai Kirpa Petrol Pump, Makrana Road, Borawad (Raj.)

دعوۃ القرآن

ترجمہ و تفسیر پانچ زبانوں میں

تالیف : مولانا شمس پیرزادہ

		قیمت
قرآن مجید مع ترجمہ	۳۰ × ۲۰ / ۸	300/-
تفسیر اردو	۲ جلدوں میں	1150/-
تفسیر مراٹھی	۳ جلدوں میں	360/-
تفسیر گجراتی	۳ جلدوں میں	610/-
تفسیر ہندی	۳ جلدوں میں	850/-
تفسیر انگریزی	۳ جلدوں میں	1015/-
تفسیر پارہ عم	اردو	70/-
تفسیر پارہ عم	گجراتی	65/-
تفسیر پارہ عم	ہندی	120/-
تفسیر پارہ عم	انگریزی	70/-
فقہ الزکوٰۃ	(زکوٰۃ کے موضوع پر علامہ یوسف قرضاوی کی شہرۂ آفاق کتاب)	180/-

علاوہ مختلف موضوعات پر اردو، مراٹھی، گجراتی، ہندی اور انگریزی میں کتابچے دستیاب ہیں۔

فہرست کتب کے لئے لکھئے

ادارہ دعوۃ القرآن

۵۹۔ محمد علی روڈ۔ ممبئی ۴۰۰۰۰۳ ☆ فون: ۲۳۴۶۵۰۰۵

बदहाल गुजरात

■ राम पुनियानी

इन दिनों यह मान्यता बहुत तेज़ी से फैल रही है (या फैलायी जा रही है) कि गुजरात अत्यंत द्रुत गति से प्रगति कर रहा है, वहां शांति एवं सौहार्द का राज है, अल्पसंख्यक खुशहाल हैं और वह जल्द ही देश का सबसे उन्नत राज्य बन जाएगा । इस प्रचार में सत्य का नाम मात्र भी अंश नहीं है । दो हज़ार से अधिक मुसलमानों की हत्या, बलात्कार, लूटपाट एवं आगजनी की यादें मिट नहीं पा रही हैं, क्योंकि हिंसा पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिल सका है । उनके पुनर्वास पर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है । सुविधाहीन राहत शिविर बहुत जल्दी बंद कर दिये गये । सरकार ने पुनर्वास के काम से अपना पल्ला झाड़ लिया ।

यद्यपि मुसलमानों के व्यापारी तबक़े के एक हिस्से को भाजपा एवं प्रभुत्वशाली सामाजिक वर्ग ने अपनी ओर कर लिया है, तथापि अधिकांश मुसलमान आज भी घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं । वे समाज की मुख्यधारा से कटकर अपने में सिमट गए हैं । सभी बड़े शहरों में मुस्लिम बस्तियां बस गयी हैं । अहमदाबाद का जुहापुरा इलाक़ा डर और असुरक्षा के उस भाव का जीता-जागता उदाहरण है, जिससे गुजरात के मुसलमान ग्रस्त हैं । इस निराशाजनक परिदृश्य में आशा की एकमात्र किरण यह है कि कुछ मुस्लिम सामाजिक संगठन अपने समुदाय को शिक्षित करने के प्रयास में लगे हैं, जिससे मुस्लिम युवक ऐसे क्षेत्रों में रोज़गार प्राप्त कर सकें, जहां उनके साथ भेदभाव न हो ।

अब्दुल सलेह शरीफ़ द्वारा रिलेटिव डेवलपमेंट ऑफ़ गुजरात एंड सोशियो-इकोनॉमिक डिफरेंशियल्स (गुजरात के विकास में सामाजिक-आर्थिक वर्गीय अंतर) विषय पर किया गया विस्तृत अध्ययन गुजरात में मुसलमानों की ख़स्ताहाली को उजागर करता है । ग़रीबी, कुपोषण, शिक्षा एवं सुरक्षा जैसे मानकों की दृष्टि से दूसरे समुदायों की तुलना में मुसलमान बहुत पीछे हैं । गुजरात के मुसलमानों के लिए दो जून की रोटी जुटाना उतना ही कठिन है, जितना उड़ीसा एवं बिहार के पिछड़े हुए इलाक़ों के निवासियों के लिए । मुसलमान शिक्षा के मामले में भी पीछे हैं । हीरों के व्यापार एवं कपड़ा उद्योग में एक समय मुसलमानों का बोलबाला था, अब उन्हें पीछे धकेल दिया गया है । उच्च जातियों के हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में ग़रीबों का प्रतिशत 8 गुना अधिक है । वे अन्य पिछड़े वर्गों से भी काफ़ी पीछे हैं । केवल 12 प्रतिशत मुसलमानों के बैंक खाते हैं और मात्र 2.6 प्रतिशत मुसलमानों को बैंकों से क़र्ज़ मिला है । अध्ययन का निष्कर्ष है कि गुजरात में मुसलमानों के साथ घोर भेदभाव किया जा रहा है । यहां तक कि नरेगा में भी उनके साथ पक्षपात होता है । ग़ैर-सरकारी संगठन प्रथम के अनुसार, शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात बिहार से भी पीछे है । सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट प्रावधान के मामले में 18 बड़े राज्यों में गुजरात का स्थान 17वां है । विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक दूरियां बढ़ गयी हैं और शहरों में उग आयीं मुस्लिम बस्तियां इसका प्रमाण हैं । मुस्लिम बस्तियों में बैंक अपनी शाखाएं नहीं खोलते और टेलीफ़ोन कंपनियां वहां कनेक्शन देने में आनाकानी करती हैं । इन इलाक़ों में नागरिक सुविधाओं का नितांत अभाव है । इन बस्तियों के बच्चों को स्कूल भी नसीब नहीं है ।

इन सब वास्तविकताओं के बीच ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है, मानो गुजरात में डॉलरों की बरसात हो रही हो । यह सही है कि गुजरात में निवेश हो रहा है और औद्योगीकरण भी, परंतु जितना बताया जा रहा है, उससे कम । 2005 की वाइब्रेंट गुजरात मीट के बाद घोषणा की गयी थी कि 1.06 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । बाद में मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें से 74 हज़ार करोड़ रुपये (63 प्रतिशत) का निवेश वास्तविक रूप से हुआ । सूचना के अधिकार के तहत हासिल की गयी जानकारी के अनुसार, इनमें से केवल 25 इज़ार करोड़ रुपये (23.5 प्रतिशत) की औद्योगिक परियोजनाएं ज़मीन पर उतर सकीं । तीस्ता सीतलवाड के अनुसार, 2007 में गुजरात सरकार ने दावा किया कि उसने 363 एम॰ओ॰यू॰ पर हस्ताक्षर किये हैं, जिनके अंतर्गत राज्य में क़ुल 4.61 लाख

करोड़ रुपये का निवेश होगा । इस हिसाब में जोड़ की ग़लती थी । सही आंकड़ा 4.51 लाख करोड़ रुपये था । सरकार के अनुसार, इसमें से 2.64 लाख करोड़ रुपये का निवेश वास्तविक रूप से हुआ, परंतु राज्य के उद्योग आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार, मात्र 1.22 लाख करोड़ रुपये (27 प्रतिशत) की परियोजनाएं लागू हुईं । 2003, 2005 एवं 2007 में घोषित किये गये निवेशों में से केवल 20.28 प्रतिशत निवेश वास्तविक रूप से हुआ ।

जो थोड़ा-बहुत निवेश गुजरात आकर्षित कर सका, वह भी इसलिए हुआ, क्योंकि गुजरात पहले से ही औद्योगीकृत राज्य था । अभी भी गुजरात महाराष्ट्र से पीछे है, परंतु महाराष्ट्र के औद्योगीकरण या वहां हो रहे निवेश के संबंध में मीडिया में कभी इतने ज़ोर-शोर से प्रचार नहीं होता, जितना गुजरात के मामले में । दो दशक पहले गुजरात की आर्थिक वृद्धि दर 13 प्रतिशत थी । उस समय राष्ट्रीय औसत 7 प्रतिशत के क़रीब था । इस समय गुजरात की आर्थिक वृद्धि दर 11 प्रतिशत और पूरे देश की 10 प्रतिशत है । ये तथ्य अस्ली कहानी को बयान करते हैं । गुजरात ने सरकारी ख़ज़ाना उद्योगपतियों के लिए खोल दिया है । उन्हें तरह-तरह की छूटें दी जा रही हैं और अनुदान भी । सस्ती दरों पर ज़मीन एवं पानी और अत्यंत कम ब्याज़ दरों पर क़र्ज़ की सुविधा है । टाटा के अपनी नैनो परियोजना गुजरात ले जाने के पीछे यह भी एक कारण था । नैनो परियोजना को भारी अनुदान दिया गया है । जहां उद्योगपतियों को गुजरात में सार्वजनिक संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिली हुई है, वहीं रोज़गार के अवसरों के सृजन की ओर सरकार का ध्यान नहीं है । महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में निवेश और रोज़गार सृजन के बीच अनुपात गुजरात की तुलना में कहीं बेहतर है । निवेश की राशि के मामले में खोखले दावे किये जा रहे हैं । अंधाधुंध औद्योगीकरण के कारण पर्यावरण को जो नुक़सान हो रहा है, उससे गुजरात सरकार को कोई मतलब नहीं है ।

भारतीय राज्य हंगर इंडेक्स 2008 के अनुसार, भूख के मामले में गुजरात उड़ीसा से भी पीछे है । इसमें 17 बड़े राज्यों में गुजरात का स्थान 13वां है । वह केवल झारखंड, बिहार एवं मध्य प्रदेश से ऊपर है । गुजरात में ग़रीबी एवं बेरोज़गारी बढ़ रही है और कृषि क्षेत्र की भी हालत ख़राब है । कृषि उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है । 2005 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार, गुजरात के चालीस प्रतिशत किसानों ने कहा कि अगर उन्हें आमदनी का कोई दूसरा ज़रिया मिल जाए तो वे खेती-किसानी छोड़ना चाहेंगे ।

मैंने गुजरात का मंज़र देखा है

ख़ून में डूबा अम्न का पैकर देखा है
ज़ख़्मी-ज़ख़्मी एक कबूतर देखा है
जलती हवेली जलता छप्पर देखा है
हां, मैंने गुजरात का मंज़र देखा है

नाम मेरा मज़लूम है, मैं एक लड़की हूं
जो-देखा है मैंने, वह बतलाती हूं
घर-घर आग लगायी है ग़द्दारों ने
इज़्ज़त लूटी धर्म के ठेकेदारों ने
धरती पे शैतान् का लश्कर देखा है
हां, मैंने गुजरात का मंज़र देखा है

शर्म से गरदन ख़म कर ली हैवानों ने
ऐसा घिनौना खेल रचा इन्सानों ने
कोई दरिन्दा भी न करे, वह काम किया
मां के पेट को चीर के बच्चा मार दिया
मासूमों को तलवारों पर देखा है
हां, मैंने गुजरात का मंज़र देखा है

आईनों की ताक में सब पत्थर दिल थे
वर्दी में भी मासूमों के क़ातिल थे
बच्चे, पीर, जवानों के सर काट दिये
इन्सानों के ख़ून से दरिया पाट दिये
आंखों ने लाशों का समन्दर देखा है
हां, मैंने गुजरात का मंज़र देखा है

जिसने देखा मंज़र आग उगलता हुआ
जिसने देखा घर वालों को जलता हुआ
लेके शोले वो भी निकल आएं न कहीं
रुख़ तस्वीर का उलटा हो जाए न कहीं
शीशे की आंखों में पत्थर देखा है
हां, मैंने गुजरात का मंज़र देखा है ।

● शबीना अदीब

संवैधानिक और क़ानूनी तरीक़े से करें अत्याचार का मुक़ाबला

■ डॉ॰ शकील अहमद
(प्रभारी, इस्लामी रिलीफ़ कमेटी, गुजरात)

देश की अदालतों द्वारा किये गये दो फ़ैसले देश के उत्पीड़ित और कमज़ोर वर्गों के लिए आशा की किरण हैं। गुजरात जनसंहार 2002 ई॰ के एक दशक बाद गुजरात हाईकोर्ट ने इस्लामी रिलीफ़ कमेटी बनाम गुजरात सरकार के मामले में फ़रवरी 2012 में धार्मिक स्थानों को हुए नुक़सानों की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार की ज़िम्मेइदारियां सुनिश्चित कीं। दूसरा फ़ैसला जून 1992 ई॰ में तामिलनाडु के धर्मपुरी ज़िले के वचाती गांव में हुए अपराध के मामले में 19 वर्ष बाद आया, जब ज़िला एवं सत्र न्यायालय ने सभी 269 आरोपियों को दलितों पर अत्याचार का अपराधी सिद्ध किया और 17 को बलात्कार का अपराधी पाया।

155 वन अधिकारी और कर्मचारी, 108 पुलिस वाले और 6 रेवेन्यू अधिकारी एक टीम बनाकर दलित बाहुल्य वचाती गांव में तस्करी की चंदन-लकड़ी की तलाश में गये। तलाशी के दौरान टीम ने ग्रामीणों की जायदाद बरबाद कर दी, उनके घर तोड़ डाले, उनके मवेशी मार डाले, 100 ग्रामीणों की पिटाई की और 18 महिलाओं के साथ बलात्कार किये थे।

इन दोनों मामलों में बड़ी समानताएं हैं, जैसे–दोनों मामलों में पीड़ित कमज़ोर वर्ग था पहले केस में पीड़ित मुस्लिम थे और दूसरे केस में पीड़ित दलित थे। इन दोनों मामलों में सरकार को पीड़ितों का पक्ष लेना चाहिए, लेकिन उसने अपराधियों का पक्ष लिया। दोनों मामलों में अदालती कार्यवाही ने बहुत लंबा और तकलीफ़देह समय लिया और बड़े लंबे इन्तिज़ार के बाद फ़ैसला आया लेकिन दोनों में पीड़ितों ने राहत की सांस ली। इन दोनों मामलों में जीत कोई आसान नहीं रही है और केस लड़ना किसी संघर्ष से कम नहीं था। पहले केस (इस्लामी रिलीफ़ कमेटी गुजरात (आई॰आर॰सी॰जी॰) बनाम गुजरात सरकार में) मैं आई॰आर॰सी॰जी॰ जो गुजरात 2002 के जनसंहार पीड़ितों को राहत पहुंचाने, क़ानूनी सहायता देने और पुनर्वास में अग्रसर थी और है उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग आदि के सामने कई मुद्दों पर जिसमें धार्मिक स्थानों की तोड़-फोड़ भी शामिल थी, बार-बार पक्ष रखना पड़ा। आई॰आर॰सी॰जी॰ ने 572 ऐसे धार्मिक स्थानों की सूची उपलब्ध करायी, जिन्हें पूरे गुजरात राज्य में अपवित्र किया गया या जिन्हें नुक़सान पहुंचाया गया। 2003 में इसने गुजरात हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाख़िल की जिसमें इन नुक़सानों की क्षतिपूर्ति की मांग की गयी। आई॰आर॰सी॰जी॰ ने यह भी सिद्ध किया कि उक्त नुक़सान इसलिए हुआ कि राज्य सरकार पवित्र स्थानों और इबादतगाहों की रक्षा करने में अक्षम रही, इसलिए यह क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

क्षतिपूर्ति के आंकड़े दिखाने के लिए आई॰आर॰सी॰जी॰ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट (1 अप्रैल 2002 और 31 मई 2002 ई॰) का सहारा लिया और साथ ही वर्ष 2002-2003 की वार्षिक रिपोर्ट का भी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने रिकार्ड में कहा कि राज्य सरकार पवित्र स्थलों की रक्षा करने में विफल रही। उसने राज्य सरकार से सिफ़ारिश की कि वह उन स्थानों को बना कर दे। जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया। यह बात भी की गयी कि दंगों के दौरान उजाड़े गये घरों और दुकानों की क्षतिपूर्ति की जा चुकी है तो धार्मिक स्थलों की क्यों नहीं। इसके साथ भी समान व्यवहार होना चाहिए।

दूसरे पक्ष द्वारा यह बात कही गयी कि चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए धार्मिक स्थानों के क्षतिपूर्ति के

लिए राशि देना धारा 27 का उल्लंघन होगा । दूसरी बात यह कि 37 धार्मिक स्थानों को छोड़कर बाक़ी सबका पुनर्वास हो चुका है, इसलिए आई॰आर॰सी॰जी॰ की याचिका ख़ारिज होनी चाहिए । राज्य क्षतिपूर्ति न करने के अपने स्टैंड पर अड़ा रहा । हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह शेष 37 धार्मिक स्थानों के पुनर्वास की व्यवस्था करे, लेकिन सरकार ने ऐसा करने से भी इन्कार कर दिया ।

अंततः हाईकोर्ट ने मेरिट पर याचिका की सुनवाई की और 8 फ़रवरी 2012 ई॰ को वह ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया, जिसमें न केवल यह कि सरकार को 600 मस्जिद, मंदिर और दरगाहों को हुए नुक़सान की भरपाई का आदेश दिया बल्कि इसके लिए पैसा उन लोगों से लेने को भी कहा जो उस नुक़सान के लिए ज़िम्मेदार हैं । साथ ही एक्टिंग चीफ़ जस्टिस भास्कर भट्टाचार्य और जस्टिस जे॰बी॰ पारदीवाला की इस डिवीज़न बेंच ने यह भी कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी निभाने में असमर्थ रही है ।

हालांकि संविधान देश के सभी नागरिकों को क़ानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, लेकिन वचाती गांव के लोगों का अनुभव इसके विपरीत है । ज़िला से लेकर राज्य स्तर के सरकारी अधिकारियों ने न केवल यह कि वचाती में हुई घटना का इन्कार किया, बल्कि सारे सबूत मिटाने की कोशिश की । पुलिस ने वचाती की घटना की एफ॰आई॰आर॰ दर्ज करने से इन्कार कर दिया कि सरकारी अधिकारी ऐसे काम नहीं कर सकते हैं । उलटे वचाती के दलितों और आदिवासियों पर चंदन-लकड़ी की तस्करी का झूठा आरोप लगाया गया । इसके बाद हाईकोर्ट में मामले की जांच के लिए एक याचिका दाख़िल की गयी । कोर्ट ने एस॰सी॰/एस॰टी॰ आयोग से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाख़िल करने को कहा। सरकार ने क़ानूनी प्रक्रिया को लंबी करने की नीति अपनायी और ड्यूटी पर मौजूद सरकारी अधिकारियों द्वारा ऐसे किसी अत्याचार न करने के सिलसिले में हलफ़नामा दाख़िल किया । अंततः मामला सी॰बी॰आई॰ के हवाले कर दिया गया, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील की। सी॰बी॰आई॰ ने अपराधियों को बलात्कार, प्रमाणों को मिटाने आदि का दोषी पाया । वचाती के ग्रामीणों ने तमिलनाडु ट्राइबल एसोसिएशन के सहयोग से वहां हुई घटना के दो महीने बाद अपराधियों के ख़िलाफ़ एक मुक़दमा दर्ज किया था । वह मुक़दमा 6 वर्ष तक ज़िला अदालत में बिना किसी कार्यवाही के पड़ा रहा । अंततः 29 सितम्बर 2011 को एक विशेष सत्र न्यायालय ने सभी 269 अधिकारियों को दलितों पर अत्याचार और 17 महिलाओं के बलात्कार के लिए अपराधी ठहराया, उस समय तक 54 आरोपियों की मौत हो चुकी थी शेष 215 को जेल में डाल दिया गया था।

चाहे पीड़ित कितना भी कमज़ोर हो अगर वह अत्याचार के विरुद्ध क़ानूनी रास्ता अपनाता है, तो उसे न्याय मिल सकता है । बुराइयों और अपराधों का ख़ामोश शिकार बनने के बजाय लोगों को चाहिए कि वे इसका मुक़ाबला ऐसे तरीक़े से करें जो क़ानून और संविधान के अनुसार हो । अगर इस पर लगातार कोशिश की जाए तो यह प्रक्रिया न्याय लाती है ।

साहित्य-समाचार

'पारदर्शी' को साहित्य सम्मान

साहित्य, संस्कृति एवं कला को समर्पित साहित्यिक संस्था 'भारतीय वाङ्मय पीठ' कोलकाता द्वारा उदयपुर राजस्थान के कवि एवं चिंतक ओम 'पारदर्शी' को 'कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर सारस्वत साहित्य सम्मान' से अलंकृत किया गया । 'भारतीय वाङ्मय पीठ' सम्मानोपाधि अलंकरण समिति के संयोजक प्रो॰ डॉ॰ अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया कि छन्दराज श्री ओम 'पारदर्शी' को यह सम्मानोपाधि उनकी साहित्य सेवा साधना, साहित्य अवदान, समर्पण एवं साहित्य में गौरवशाली महत्वपूर्ण योगदान के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया । संस्था के संस्थापक मंत्री श्यामलाल उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि 'भारतीय वाङ्मय पीठ' प्रतिवर्ष भारतवर्ष के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों में से चयन कर यह सम्मान प्रदान करती है ।

उल्लेखनीय है कि श्री पारदर्शी ने काव्य-विधाओं में विपुल साहित्य का सृजन किया है । उन्होंने कोलकाता में सन 1985 में एक माह में तीन-तीन घंटे तक एकल काव्यपाठ के 29 सफल कार्यक्रम कर कीर्तिमान बनाकर 'कवि एक-रस अनेक' को चरितार्थ किया है ।

समय का दर्पण

आज भ्रष्टाचार, रिश्वत और घोटालों का बोलबाला है। केन्द्रीय मंत्री, प्रमुख सचिव, आई॰ए॰एस॰ अधिकारी, मुख्यमंत्री और बड़े-बड़े नेतागण घोटालों में लिप्त हैं और घोटाले भी कैसे जिसमें ताबूत तक की ख़रीद-बिक्री में घोटाला होता है, सैनिकों के, खाने में घोटाला होता है, खेल-खेल में करोड़ों रुपयों की रक़म ख़र्च हो जाती है। जनता की गाढ़ी कमाई से पार्क बना दिये जाते हैं, ताकि नेता जी का नाम अमर रहे, भले ही जनता भूखी मर जाए। सबसे बड़ा घोटाला एक लाख 75 हज़ार करोड़ का सामने आया। जांच बिठा दी गयी, कई साल जांच चलेगी और आख़िर में इतना बड़ा घोटाला ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा जैसे ठंडे बस्ते में चारा घोटाला डाल दिया गया।

भ्रष्टाचार के मामले में नोएडा में भूमि आवंटन में जिस प्रकार घोटाले हुए हैं, उसमें वरिष्ठ अधिकारी और कई नेता संलिप्त पाये गये। सैनिकों के लिए बनायी गयी हाउसिंग वेलफेयर सोसायटी में घोटाला हुआ। खाद्य सामग्री में घोटाला हुआ, कार्यालयों में नियुक्तियों में जिस प्रकार भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह किसी से छिपा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस आज़ादी का दूसरा नाम घोटाला हो गया है और हम जिस प्रकार आज़ादी से गुलामी को सहन कर रहे हैं उसी प्रकार घोटालों को और भ्रष्टाचार को भी सहन करने के लिए विवश हैं। राजधानी दिल्ली अपराधियों का केन्द्र बन गयी है। बलात्कार, अपहरण, लूटमार, हत्या तथा महिलाओं के गले की चेन खींचने की घटनाएं रोज़ हो रही हैं और अगर हम राजधानी में ही इन घटनाओं को रोकने में अक्षम हैं तो हम सक्षम कहां पर हैं। रोज़ डकैती होती हैं। सड़कों पर लूटमार हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। यदा-कदा किसी दुर्घटना का, डकैती का, हत्या का या अपहरण का खुलासा हो भी जाता है, तो हम उसे उपलब्धि मान लेते हैं, जबकि खुलासा करने में सी॰बी॰आई॰ तक फेल हो चुकी है। आरुषि हत्याकांड जीती-जागती मिसाल है, जिसमें स्वयं सी॰ बी॰आई॰ ने स्वीकार किया है, कि वह हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में असमर्थ है। यदि सी॰बी॰आई॰ गुत्थी नहीं सुलझा सकती तो कौन सुलझाएगा? यदि घोटाला करने वालों को सज़ा नहीं मिलेगी तो घोटाले रुकेंगे कैसे ? यदि बलात्कारी को प्राण दंड नहीं दिया जाएगा तो बलात्कार रोज़ होंगे, क्योंकि 80 फ़ीसदी मामले तो सबूत के अभाव में बिखर जाते हैं। 20 फ़ीसदी में सज़ा होती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। निर्णय कभी-कभी बलात्कारी के जीवन में नहीं हो पाता और बलात्कारी निर्णय के लंबित होने की स्थिति में ज़मानत पाकर खुला घूमता रहता है और पीड़ित को धमकी देता रहता है।

अब तो न्यायपालिका पर भी उंगली उठने लगी है। कई मामलों में न्यायाधीश अपने कर्तव्य से पलायन करते हुए पाये गये हैं। भारत के प्रमुख न्यायाधीश पर भी छींटे पड़ चुकी हैं। करोड़ों वाद लंबित हैं किन्तु न्यायालय अथवा अधिवक्ता वादों का निस्तारण लंबित रखने में ही अपना हित समझते हैं। उत्तर प्रदेश के दो भाग करने की मांग बहुत समय से चली आ रही है, किन्तु सत्ता पर कोई असर नहीं है। सत्ता पर असर तो क्या घटनाओं का संज्ञान भी जब होता है जब कुछ मौतें हो जाती हैं, अरबों रुपयों की देश की संपत्ति जल जाती है और आंदोलन, आगज़नी, रेल रोको आदि कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। शांति से की गयी बात को सत्ता सुनने को तैयार नहीं होती। रोज़ देख लीजिए सड़कों पर जाम लगते हैं, रेलें रोकी जाती हैं, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं होता। क्योंकि नेतागण अपनी कुर्सी की जोड़-तोड़ में लगे रहते हैं। अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगे रहते हैं, देशहित अथवा जनहित पर उनका ध्यान नहीं जाता।

पुलिस भी निरंकुश हो चुकी है तथा पुलिस कार्यवाही में सांसदों और विधायकों का प्रभाव भी बढ़ गया है। पुलिस हिरासत में मौत होने लगी हैं, जो पुलिस की कार्यवाही पर एक प्रश्नचिन्ह है। पुलिस को किसी को भी मारने का कोई अधिकार नहीं है। सज़ा देने का अधिकार केवल न्यायालय का है, किन्तु जब से संसद और विधानसभा में अपराधी प्रवृत्ति के लोग प्रवेश पा गये हैं तब से पुलिस के कार्यों में राजनैतिक दख़लअंदाज़ी बढ़ गयी है, जिसके दुष्प्रभाव बढ़ती अराजकता के रूप में देखने को मिल रहे हैं।

हितेश कुमार शर्मा
बिजनौर (उ॰प्र॰)

मदद के लिए अपील

जामिया मिस्बाहुल उलूम चौकोनियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इन्तिज़ाम है। यहां दीनी और अस्री उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ समोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्बाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

जामिया के मंसूबे

● मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर ● जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना ● लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर ● टेक्निकल सेन्टर का क़याम ● होस्टल की तामीर ● अनाथालय की तामीर ● फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

अह्ले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह के यहां उसका बदला पाएं।

—: भेजने का पता :—

जामिया मिस्बाहुल उलूम

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09670641947, 09451097177

जामिया का बैंक खाता नं॰

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

A/c No. F.C.R. CD-149 सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बेवॉ चौराहा

पूर्ण जीवन के तीन पक्ष

■ मार्टिन लूथर किंग

पूर्ण जीवन के तीन पक्ष होते हैं–लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई । जीवन की लंबाई से मतलब है : मनुष्य अपने ही स्वार्थ को ध्यान में रखकर अपना हित सोचता और उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, जीवन की चौड़ाई का मतलब है : मनुष्य दूसरों के हित का ध्यान रखता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहता है, और ऊंचाई से मतलब है : मनुष्य अपनी आत्मा को ऊपर उठाता है और परमात्मा से साक्षात्कार करने की कोशिश करता है । पहले पक्ष में ऐसे स्वार्थ की भावना मुख्य है जो स्वस्थ और तर्कसम्मत हो । एक विद्वान का कहना है कि दूसरों से प्रेम करना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही अपनी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए तथा अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी चाहिए । साथ ही उसे अपने जीवन का उद्देश्य भी खोज निकालना चाहिए और फिर उसे प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए । यह तभी संभव हो सकता है जब उसके हृदय में प्रेरणा व काम की शक्ति उत्पन्न हो और यह उसे परमात्मा की ओर से ही प्राप्त होती है ।

जीवन की चुनौती और कठिनाइयों का मुक़बला करने के लिए हमें उसकी (ब्रह्म की) आवश्यकता है । ईश्वर के बिना हमारे सब प्रयत्न निष्फल होंगे । हमारे ज्ञान का सूर्योदय अंधकार पूर्ण रात्रि में होगा । ईश्वर के बिना हमारा जीवन नाटक अर्थहीन होगा । ''तूने हमें अपने लिए बनाया है, हमारे हृदय तब तक शांत नहीं हो सकते जब तक हम तेरी शरण में नहीं पहुंच जाते–'' ये संत आगस्तीन के शब्द हैं ।

इमर्सन का कहना है : ''यदि मनुष्य एक अच्छी पुस्तक लिख सकता है या एक अच्छा उपदेश दे सकता है या चूहे को पकड़ने का एक अच्छा पिंजरा ही बना सकता है, तो लोग खुद ही आकर उसका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देंगे ।''

परंतु कुछ लोग अपनी इस सीमा से आगे बिल्कुल नहीं आते । भले ही वे चतूर व बुद्धिमान हों परन्तु वे अपने स्वार्थ की ज़ंजीर से जकड़े होते हैं और उनकी महत्वाकांक्षा का दायरा अपने आप तक ही सीमित होता है । यदि हमें अपने जीवन को पूर्ण बनाना है तो उसमें केवल जीवन की लंबाई का पक्ष ही नहीं वरन चौड़ाई पक्ष भी सम्मिलित करना होगा, ताकि मनुष्य मात्र का कल्याण हो सके । कोई भी व्यक्ति अपना भला तब तक नहीं कर सकता जब तक वह स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवजगत का हित नहीं सोचता । चौड़ाई के बिना लंबाई का कोई अस्तित्व नहीं, उसका अस्तित्व अपने तक ही सीमित रह जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता–जिस प्रकार सरोवर का पानी बहता हुआ यदि आगे समुद्र में नहीं मिलता तो अशुद्ध बन जाता है, उसी तरह न बहने वाले स्थिर जीवन में जीवन की स्फूर्ति और ताज़गी नहीं रहती । उपयोग तथा रचनात्मक कार्य के लिए हमें अपने क्षेत्र का दायरा विस्तृत करना होगा । उसमें बहुत-सी दूसरी बातें भी सम्मिलित करनी होंगी ।

ईश्वर ने यह सृष्टि इस प्रकार की बनायी है कि कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक मनुष्य जीवन के चौड़ाई पक्ष को ग्रहण नहीं कर लेता । 'तेरे बिना मैं अपने में पूर्णता नहीं ला सकता ।' अहम अन्य के बिना 'अहम' नहीं बन सकता । समाज का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हम सही मायने में तब तक 'मनुष्य' कहलाने के अधिकारी नहीं बनते जब तक हम अन्य मनुष्यों से अपना पारस्परिक संबंध स्थापित न कर लें । आज दुनिया में जो बहुत-सी दुखांत घटनाएं घटती जा रही हैं उनका मुख्य कारण यही है कि मनुष्य अपने जीवन में चौड़ाई पक्ष को न ला सका और उसका समन्वय लंबाई पक्ष से न कर सका । सारांश यही है कि सब मनुष्य एक-दूसरे पर निर्भर हैं और एक ही उद्देश्य की पूर्ति में जुटे हुए हैं । अनिवार्य रूप

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

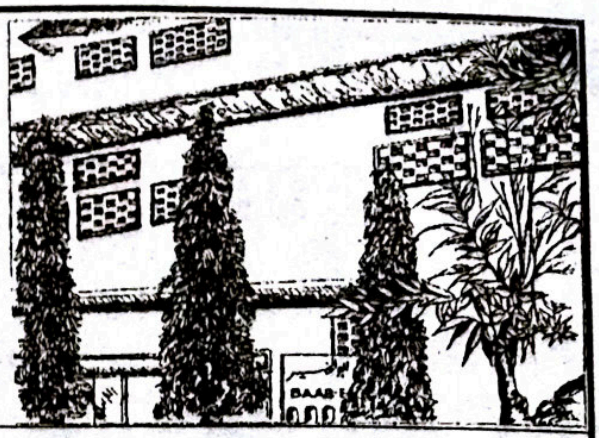

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

• 25 वर्षीय सेवाएं • 19 विभाग • शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक • पत्राचार शिक्षा • 6 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया • प्रौढ़ शिक्षा • वोकेशनल सेन्टर • कटिंग और सिलाई : 6 बैच 70 छात्राएं • ज़री वर्क्स : 3 बैच 40 छात्राएं • 1993 ई० से 2011 ई० तक 66 अनाथ बच्चियों और 41 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया • वार्षिक ख़र्च : 20 लाख रुपये से अधिक • आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे • इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है • किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 12,000/- रुपये है–आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : • ज़कात • सदक़े • अतिया • पैदावार की ज़कात • दीनी किताबें • ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी • स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 90,000/- रुपये • मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना • यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । • इदारा में खुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

Address for correspondence : रक़म भेजने और संपर्क करने का पता

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA, ☎ 0631-2734437 • Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK CODE-UBI No. 530042 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010007752

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

संस्थापक महासचिव : इक़बाल अहमद ख़ां

से हम अपने भाइयों के संरक्षक हैं, सहायक हैं और मानवता का भव्य भवन इसी एक सच्चाई पर खड़ा है ।

पूर्ण जीवन का एक और पक्ष शेष रह जाता है । वह है ऊंचाई पक्ष । इसके द्वारा हम मानवता से बहुत ऊंचा उठकर एक अज्ञात मंज़िल की ओर बढ़ते हैं । हमें अपने इस स्थूल शरीर से बहुत ऊंचा उठना होगा और उस अनंत आत्मा की ओर बढ़ना होगा जो सभी सत्यों का मूल कारण तथा स्रोत है, जब हम लंबाई और चौड़ाई के साथ-साथ ऊंचाई पक्ष को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण बन जाता है ।

जिस प्रकार बहुत से लोग लंबाई पक्ष की सीमा से आगे नहीं बढ़ते, उसी प्रकार बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लंबाई और चौड़ाई पक्ष की सीमा से आगे नहीं बढ़ पाते । ऐसे व्यक्ति अपने निजत्व का उच्चतम विकास भले ही कर लें, मानवता के पुजारी भले ही बन जाएं, परन्तु फिर भी वे 'अपूर्ण मानव' ही माने जाएंगे । वे अपना संबंध इस सृष्टि से इतना अधिक स्थापित कर लेते हैं कि मानवता को ही ईश्वर मान बैठते हैं । आधुनिक मानव तीसरे पक्ष का त्याग क्यों कर बैठा है ? कुछ लोगों के मन में सच्चे बौद्धिक संदेह हैं । कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने वैज्ञानिक व तार्किक परिणामों का समन्वय धार्मिक सिद्धांतों और अति प्राचीन ईश्वरीय भावना से नहीं कर पाते । ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है । सैद्धांति रूप से वे नास्तिक नहीं हैं । उन्हें 'व्यावहारिक नास्तिक' कहा जा सकता है । वे अपने मुंह से ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार नहीं करते, परंतु इस बात को वे बराबर अस्वीकार करते हैं कि ईश्वर उनके जीवन में है । वे इस प्रकार जीवन बिताते हैं मानो उनके लिए ईश्वर है ही नहीं । वे दुनियादारी के चक्कर में इतने बुरे फंस चुके हैं कि अनजाने में भौतिकवाद के ज्वार में बह गये हैं और उससे मुक्त नहीं हो पाते । वे धर्मनिरपेक्षता के उथले पानी में ही ग़ोता लगा रहे हैं ।

मनुष्य की सृष्टि के स्थान पर ईश्वर की सृष्टि की स्थापना करना और भी टेढ़ी खीर है । इस प्रयत्न में असंतोष की मात्रा और भी अधिक बढ़ जाती है । रेनहोल्ड निकोबरा का कथन है : "सन 1914 से एक के बाद एक दुखांत घटनाएं इस प्रकार घटती चली आ रही हैं कि मानो आधुनिक मानव के भ्रम का निवारण न करने का इतिहास ने बीड़ा उठा लिया हो । हम आधुनिक इतिहास के महासागर में अपनी जीवन नौका दिशा-दर्शक यंत्र के बिना ही खेते चले जा रहे हैं । न हमारा कोई पथ-प्रदर्शक है, न ही हमें दिशा का ज्ञान है । हमें अपने संदेहों पर संदेह होता है और हम सोचने लगते हैं कि हो न हो इन सबके पीछे अज्ञात आध्यात्मिक शक्ति काम कर रही है जिसमें सब सच्चाइयों का सारतत्व छिपा पड़ा है ।"

सैद्धांतिक रूप में अस्वीकार करने के बावजूद हम आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं जिसे हम भौतिकवाद के जड़ संकेतों के द्वारा नहीं समझा सकते । भौतिक वस्तुओं में अमिट श्रद्धा रखने के बावजूद कोई हमें उस निर्गुण निराकार के अस्तित्व की याद दिला देता है । रात को जब हम सितारों की ओर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो वे उस व्यापक अनंत के जगमगाते हुए दीपक हों, मानो हमारा यह स्थूल शरीर केवल एक माया है–स्वप्न है । हमारे तमाम विकसित तकनीकी तथा वैज्ञानिक साधन भी उस ब्रह्म को सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु से अलग नहीं कर सकते जो इस अनंत शून्य में व्याप्त हो रहा है ।

जीवन की चुनौती और कठिनाइयों का मुक़बला करने के लिए हमें उसकी (ब्रह्म की) आवश्यकता है । ईश्वर के बिना हमारे सब प्रयत्न निष्फल होंगे । हमारे ज्ञान का सूर्योदय अंधकार पूर्ण रात्रि में होगा । ईश्वर के बिना हमारा जीवन नाटक अर्थहीन होगा । "तूने हमें अपने लिए बनाया है, हमारे हृदय तब तक शांत नहीं हो सकते जब तक हम तेरी शरण में नहीं पहुंच जाते–" ये संत आगस्तीन के शब्द हैं ।

नवयुवकों, तुम्हारी योजनाएं बहुत छोटी हैं । वे अधिक से अधिक 75 या 100 वर्ष तक चल सकती हैं । तुम्हारी योजनाएं इतनी बड़ी होनी चाहिए जिनमें ईश्वर और उसकी अनंत व्यापकता का समावेश हो सके । हमारी योजना आकार के लिहाज़ से बड़ी अवश्य हैं परंतु विशेषता के लिहाज़ से बहुत छोटी हैं । ये योजनाएं समतल या समानांतर कही जा सकती हैं, परन्तु ऊपर अनंत की ओर बढ़ती हुई नहीं ।

आख़िर इन सबका सार क्या है ?

अपने आप से प्रेम करो, यदि आपका स्वार्थ शुद्ध व स्वस्थ है : यह जीवन का लंबाई पक्ष है । अपने पड़ोसियों से उसी प्रकार प्रेम करो जिस प्रकार स्वयं से करते हो–यह जीवन का चौड़ाई पक्ष है । सच्चे हृदय, आत्मा व बुद्धि से अपने प्रभु से प्रेम करो–यह जीवन का ऊंचाई पक्ष है । इन तीनों पक्षों के विकास के द्वारा ही मानव जीवन पूर्ण बन सकता है ।

पुरुषों ने जो कुछ कमाया है,
उसके अनुसार उनका हिस्सा है
और जो स्त्रियों ने कमाया है
उसके अनुसार उनका हिस्सा है ।
–क़ुरआन

"जिस किसी ने तंगदस्त को
मुहलत दी या अपना हक़ जो उस
पर था माफ़ कर दिया तो अल्लाह
क़ियामत के रोज़ की सख़्तियों से
उसको नजात अता फ़रमाएगा ।"
(मुस्लिम)

A Well Wisher

Jawahar Nagar, Jamshedpur

देश का 42 फ़ीसद 'भविष्य' कुपोषित

❑ मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'

बच्चे देश का भविष्य हैं । अगर यह कहावत सही है तो इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि देश का 42 फ़ीसद भविष्य कुपोषित है । उस देश का भविष्य जो 2020 तक विकसित देशों की सूची में शामिल होने का सपना देख रहा है, लेकिन यह स्वीकार्य सच है कि सपना व सच्चाई में समानता नहीं होती । 'कुपोषण' तो सिर्फ़ एक समस्या है, लेकिन उन समस्याओं को क्या कहेंगे जिनके नतीजे में देश का भविष्य कुपोषित हो रहा है ।

ग़रीबी, बेरोज़गारी, महंगाई आदि । आज़ादी के बाद इन समस्याओं का हल सिर्फ़ सियासी वादों एवं लच्छेदार शब्दों के ज़रिये करने की कोशिश की गयी । स्थिति यह है कि आज लोगों का विश्वास इससे उठ गया है कि कोई भी सरकार इन समस्याओं का समाधान कर सकती है ?

जिस देश में ग़रीबी रेखा से नीचे पशुवत ढंग से जीवन-यापन करने वाले करोड़ों लोगों तक भर पेट भोजन न हो वहां 'कुपोषण' की जगह और क्या जन्म ले सकता है ? आज 'भारत' और 'इंडिया' के बीच खायी चौड़ी होती जा रही है । वर्षों पूर्व जब नव-उदारवाद की नींव पड़ी थी तब ग़रीबी और कुपोषण को दूर करने के बड़े-बड़े दावे किये गये थे । पर दावों का क्या ? सरकार तो आकड़ेबाज़ी पर चलती हैं, जिसमें फ़ायदा देखा, वैसा आंकड़ा बना दिया ।

वर्ष 1996 में कहा गया कि देश में 36 फ़ीसद परिवार ग़रीब हैं और पांच वर्षों बाद 2002 में सरकार ने कहा कि 26 फ़ीसद परिवार ग़रीब हैं । लेकिन वर्ष 2005-06 में अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट ने अलग ही सच्चाई बतायी । रिपोर्ट में कहा गया कि देश की 77 फ़ीसद जनसंख्या सिर्फ़ 20 रुपये प्रतिदिन पर गुज़र-बसर कर रही है । हालांकि योजना आयोग ने ग़रीब उन लोगों को माना था जो गांव में 15 रुपये और शहर में 20 रुपये प्रतिदिन पर गुज़र-बसर कर रहे थे । यद्यपि यह राशि बहुत कम है, फिर भी यदि इनको आधार मान लिया जाए तो ग़रीबों की संख्या में 41 फ़ीसद लोग और जुड़ जाएंगे । फिर पता नहीं किस आधार पर सरकार ने 2002 में ग़रीबों की संख्या को घटाकर 26 फ़ीसद कर दिया । हालांकि इन पांच वर्षों में महंगाई बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी ।

कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह ने भूख और कुपोषण पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए कुपोषण की स्थिति पर चिंता जतायी थी । उन्होंने कहा था कि देश में कुपोषण की स्थिति गंभीर हैं । अगर प्रधानमंत्री की इन चिंताओं के इतर देखें तो एक सरकारी रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 7 वर्षों में कुपोषण के मामले में 20 फ़ीसद गिरावट आयी है । सरकारी दावे इसी प्रकार के होते हैं जो सच्चाई का सामना कर रही जनता के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं । जब सरकार की महंगाई दर शून्य होती है उस समय खुदरा सामानों की क़ीमतें आसमान छू रही होती हैं । ऐसे ही जब सरकार की जी॰डी॰पी॰ एवं विकास की गति बढ़ती है तो देश में ग़रीबों की संख्या व महंगाई भी बढ़ जाती है ।

केन्द्र सरकार जिस समय कुपोषण पर चिंता जता रही थी उस समय यह समझा जाना चाहिए था कि देश में नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों को शुरू करने वाले तत्कालीन वित्त मंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे । एक ओर वे देश के लिए नये अवसर, नयी क्रान्ति की बात कर रहे थे दूसरी ओर लोग ग़रीबी, भुखमरी और कुपोषण का शिकार हो रहे थे । अगर सरकार पहले चेत गयी होती तो आज स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती ।

सरकार ने देश के सौ ऐसे ज़िलों को चिन्हित किया है जहां बाल कुपोषण की समस्या ज़्यादा गंभीर है । मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में स्थित इन ज़िलों में 40 फ़ीसदी बच्चों का वज़न सामान्य के बहुत कम

For Information On
City Shops, Roads–Products,
Restaurants, Landmarks
And much more.
Visit us:
www.shoppinglanes.com

है । 60 फ़ीसदी बच्चों की लम्बाई सामान्य से कम है यानी उनका विकास रुक गया है । इन ज़िलों में 50 फ़ीसद बच्चों का वज़न जन्म के समय सामान्य से कम था । इन राज्यों के औरंगाबाद (बिहार) ज़िले में 49.47 फ़ीसदी, दुमका (झारखंड) ज़िले में 63.65, रायबरेली ज़िले में 70.40, श्रावस्ती (उ०प्र०) ज़िले में 72.31, मलकानगिरी (उड़ीसा) ज़िले में 57.75, और कोरापुर (उड़ीसा) ज़िले में 68.86 फ़ीसदी बच्चे जन्म के समय कम वज़न के पाये गये ।

इन चिंताजनक आंकड़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री डॉ० सिंह का कहना है कि वे देश के चुने हुए दो सौ ज़िलों में 'मल्टी सेक्टोरल' योजनाएं लागू करेंगे और बाल कुपोषण के खिलाफ़ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा पेश आंकड़ों के अनुसार देश में पांच वर्ष से कम उम्र के 42 फ़ीसदी बच्चे सामान्य से कम वज़न के हैं वहीं 59 फ़ीसद बच्चों का क़द पोषक तत्व की कमी के कारण सामान्य से कम है ।

इससे पहले 2011 में देश के उन 112 ज़िलों का सर्वे किया गया, जहां देश के क़रीब 20 फ़ीसदी बच्चे रहते हैं । इनमें सौ ज़िले 'बाल विकास' के मामले में दुनिया में सबसे निचले पायदान पर थे ।

सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करें तो योजना आयोग की मानव विकास रिपोर्ट में 31 करोड़ लोगों को ग़रीबी रेखा के नीचे माना गया है । रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1972-74 से अब तक इस संख्या में एक करोड़ 90 लाख की कमी आयी है । एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के तीन वर्ष से कम उम्र के आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं । आधे बच्चों का टीकाकरण भी नहीं हुआ है । जिनके कारण बहुत से बच्चे कई तरह की बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में समा जाते हैं । यह स्थिति सहारा अफ़्रीकी देशों से भी बदतर है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं में 57.9 फ़ीसद और 6 वर्ष एवं उससे ऊपर के 79.2 फ़ीसद बच्चों में ख़ून की कमी पायी गयी । रिपोर्ट के अनुसार तीन वर्ष से कम उम्र के 38.4 फ़ीसदी बच्चों की लम्बाई सामान्य से कम और 46 फ़ीसदी बच्चे अपनी उम्र के मुक़ाबले काफ़ी कम वज़न के हैं । पोषाहार विशेषज्ञ डॉ० मधु अग्रवाल के अनुसार माताओं में जागरूकता लाकर भी कुपोषण की समस्या को क़ाबू में किया जा सकता है । उनका कहना है कि समाज में व्याप्त कुछ भ्रांतियां भी कुपोषण के बढ़ने का कारण हैं । कहीं शिशु के जन्म के तीन दिन तो कहीं छठी के बाद मां का दूध पिलाने की परंपरा है । ग़रीबी भी एक कारण है ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार देश में बेरोज़गारी की दर 2007 में 2.8 फ़ीसद थी जो 2009-10 में बढ़कर 9.4 फ़ीसद पर पहुंच गयी । रोज़गार प्राप्त लोगों में सिर्फ़ 16 फ़ीसद लोग नियमित वेतन वाला काम कर रहे हैं । 43 फ़ीसद स्वरोज़गार में लगे हुए हैं और 39 फ़ीसद लोग अस्थाई श्रमिक हैं । मकपा नेता सीताराम येचुरी वर्तमान परिस्थिति पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि स्वास्थ्य पर ख़र्च होने वाला 223,00 करोड़ रुपया देश के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र एक फ़ीसद हैं । इससे आठ गुना बड़ा 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला है ।

ग़रीबी एवं कुपोषण की इस ज़मीनी सच्चाई से किसे इन्कार हो सकता है ? ऐसा माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार के खाद्य सुरक्षा क़ानून के लागू होने से ग़रीबी एवं कुपोषण की समस्या पर कुछ हद तक क़ाबू पाया जा सकता है । इस क़ानून के तहत 75 फ़ीसदी ग्रामीणों और 50 फ़ीसदी शहरवासियों को सात किलो खाद्यान्न प्रति माह तीन रुपये प्रति किलो या कम पर उपलब्ध कराया जाएगा । इस तरह की योजनाओं का दूसरा पहलू यह है कि भ्रष्टाचार के कारण यह आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता । सरकार को भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहिए ताकि ऐसी योजनाएं लोगों तक पहुंच सके और लोग लाभान्वित हो सकें ।

'सदाकांक्षा' 2011

'सदाकांक्षा' (2011) का अगला अंक विभिन्न विधाओं पर केन्द्रित होगा। रचनाकार बन्धुओं से निवेदन है कि विभिन्न विधाओं पर अपनी पांच उत्कृष्ट रचनाएं संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ 30 मई 2012 तक निम्नलिखित पते पर भिजवाने का कष्ट करें। 'सदाकांक्षा' के निरंतर प्रकाशन के लिए हमें आपका भरपूर सहयोग अपेक्षित है।

संपादक, 'सदाकांक्षा'
इस्लामी साहित्य संगम
2703, बारादरी, बल्लीमारान, दिल्ली-110006
ई-मेल : sadakanchha@gmail.com

चरित्र-निर्माण

समाज व्यक्ति से बना हुआ है । आदर्श समाज की संज्ञा यही है कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों का चरित्र उच्च कोटि का हो । व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है । व्यक्ति शरीर है तो व्यक्तित्व उसके निज़ का प्रकाश है । व्यक्ति फल है तो व्यक्तित्व उसकी सुगंध । व्यक्ति दीपक है तो व्यक्तित्व उसका प्रकाश है । सुगंध के अभाव में फूल का । और प्रकाश के अभाव में दीपक का, कोई महत्व नहीं है । इसी प्रकार विवेक के जागरण के बिना व्यक्ति को कोई महत्व स्थापित नहीं हो सकता है ।

यदि आपका व्यक्तित्व उच्च कोटि का है तो आपके शरीर में आकर्षण अपने आप उत्पन्न होगा । आपके व्यक्तित्व का विकास तभी होगा जबकि आपकी वाणी में माधुर्य व संयम का होना, निस्वार्थ भावना से कार्य करना, शरीर की समस्त इन्द्रियों का समुचित सदुपयोग करना, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्म बल, आतम नियंत्रण आदि का होना, व्यवहार कुशल होना, संयम का जीवन व्यतीत करना, कामनाएं, इच्छाएं व वासनाओं पर नियंत्रण करना, किसी के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव नहीं रखना आदि । काम, क्रोध, माया, मोह का लोभ की प्रवृत्ति आये दिन बढ़ती जा रही हैं । इन सबके पीछे मानव का अहम यानी अहंकार की भावना है । इन बुराइयों का प्रमुख कारण मानव का रहन, सहन, आचार, विचार, रीति-रिवाज, खान-पान आदि है । ये उपरोक्त बातें सभ्यता व संस्कृति की विशेषताओं के विपरीत रही हैं । इन कलुषित कारणों से दूर होने पर मानव अपने चरित्र का निर्माण सुचारू रूप से कर सकता है ।

मानव को कर्म करते हुए यह सोचना चाहिए कि अमुक कर्म को करने से दूसरों का हित होगा या नहीं । व्यक्ति को अपने हित के कारण दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए । अधिकांश व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा ही कर्म कर रहे हैं । ऐसे कर्म के पीछे उनका क्षण मात्र का ही सुख है । प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों के दुख-दर्द में कठिनाई में हाथ बटाये ताकि दूसरा व्यक्ति भी आपके दुख-दर्द व कठिनाई में काम आएगा । यदि आप सम्पदा को सुरक्षित चाहते हैं, परंतु आप दूसरों का धन लूटने में लगे हैं तो आपकी सम्पदा कैसी सुरक्षित रह सकेगी । जो बांटोगे वही मिलेगा कांटा बोएंगे तो काटे मिलेंगे तथा फूल बांटोगे तो फल मिलेगा । निर्णय आपके हाथों में है चरित्रवान व उत्तम इन्सान बनने के लिए आपको दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है ?

अपनी मानवता पर विश्वास रखे । दूसरों के प्रति अपनी वाणी का माधुर्य रखना, अपनी समस्त इन्द्रियों को वश में रखना और दूसरों का सम्मान करना सीखिए । अंत में व्यक्तित्व बनने के मोटे बिन्दु इस प्रकार हैं–

1. पुरुषार्थ बनाए रखें ।
2. काम, क्रोध, लोभ, माया, अहंकार से बचें ।
3. सदाचारी बनें ।
4. जीवन अनमोल है इसे व्यर्थ न गंवाये ।
5. कार्य को लग्न व ईमानदारी से करें ।
6. अपने में आत्मविश्वास व आत्म-बल आदि रखें ।

इन उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रत्येक मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण सुचारू रूप से कर सकता है, जिससे स्वयं का परिवार का समाज का व राष्ट्र का उत्थान होगा ।

रामस्वरूप झंवर
उपाध्यक्ष, साहित्यांचल शाखा, भीलवाड़ा (राज०)



मानो या न मानो

- 'एंग्लर' नामक मछली लालटेन की तरह रोशनी देने वाली मछली है जो गहरे समुद्रों की तलहटी में रहती है । इसके खुले मुंह से निकलने वाला प्रकाश शिकार को इसकी ओर आकर्षित करता है और नज़दीक आने पर यह झट से अपने शिकार को दबोच लेती है ।
- जापानी लोग दुनिया के अन्य देशों के व्यक्तियों के मुक़ाबले अधिक समय तक जीते हैं । अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जापानी पुरुषों की औसत आयु 75.2 वर्ष और जापानी महिलाओं की औसत आयु 80.9 वर्ष है । जापान के बाद लंबी उम्र जीने वाले लोगों में स्कैन्डिनेविया के लोगों का नम्बर आता है ।
- अंग्रेज़ गणितज्ञ टॉमस सिम्पसन ने 20 साल की उम्र में 40 वर्षीया एक विधवा से शादी की थी और वह महिला सिम्पसन से भी अधिक लंबे समय तक जीती रही । 102 वर्ष की उम्र तक उस महिला ने अपने पति सिम्पसन के महत्वपूर्ण कार्य के लिए पेंशन भी प्राप्त की ।
- अंग्रेज़ सम्राट एडवर्ड अष्टम ने सन 1936 में एक साधारण महिला से विवाह करने के लिए अपना राज सिंहासन त्याग दिया था ।
- वियतनाम के हो ची मिन्ह नामक नगर में 'ट्विन रेस्तरां' नामक एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला गया है, जहां बैरे के रूप में जुड़वा भाइयों के ही 11 जोड़े काम करते हैं और इन सभी की आयु 19 से 25 वर्ष के बीच है । इनमें से प्रत्येक जोड़ा एक जैसी पोशाक पहनता है ।
- एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ख़ून की मात्रा साढ़े चार लीटर होनी चाहिए ।

वैक्सीन लेकर चलेंगे मच्छर

वैज्ञानिकों का दावा है कि भविष्य में मच्छरों में फैलने वाली बीमारियों का भय समाप्त हो जाएगा । आप मच्छरों से निर्भिक रहेंगे । इन्हें अपने घरों में पालने का प्रयास करेंगे । वैज्ञानिकों ने हाल ही में किये शोध में एक ऐसा जेनेरिकली मॉडीफाइड मच्छर निर्माण कर दावा किया है जो स्वयं मलेरिया के वैक्सीन फैलाएगा ।

यह मच्छर अपने मुंह में वैक्सीन लेकर चलेगा । जापान की जीकी मेडिकल यूनीवर्सिटी में हुए शोध के कारण इस प्रकार की आशा जाग्रत हुई है । इस शोध में ऐसे जी॰एम॰ मच्छर विकसित किये गये हैं जो इन्सानों के काटने के दौरान उनके मलेरिया से लड़ने की क्षमता को विकसित करेंगे । इस प्रकार जिन लोगों को ये मच्छर अपना शिकार बनाएंगे उन्हें मलेरिया होने की संभावनाएं न के बराबर रह जाएगी ।

इससे पूर्व वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मच्छर विकसित किया था जिसकी लार में लेश-मनिरएसिस रोग की वैक्सीन तैयार होती है ।

● विद्या प्रकाश

क़ुरआन की पहली सूरः
अल-फ़ातिहा और अंतिम 30 सूरः

(क़ुरआन फ़ाउंडेशन, इंडिया की पेशकश)

दावती महत्व की यह किताब सैयद मंसूर आग़ा ने प्रो॰ डॉ॰ इरफ़ान अहमद ख़ान (यू॰एस॰ए॰) की बहुचर्चित पुस्तकों 'इनसाइट इनटू क़ुरआन' और 'लास्ट थर्टी सूरः ऑफ़ क़ुरआन' से संकलित व अनुवादित की है । क़ुरआन की प्रमुख धारणाओं, पारिभाषिक शब्दों और क़समों पर चर्चा ख़ास महत्व की है । 'सूरः फ़ातिहा' के अध्ययन से क़ुरआन को समझने की राह खुलती है । सुबोध एवं रोचक शैली, दिलकश गेटअप, उम्दा छपाई व काग़ज़ ।

पेज 208, मूल्य केवल 100 रुपये

MMI Publishers, A.F. Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-25
Islamic Book Foundation, 1781, Hauz Suiwalan, N.Delhi-02

(syyedmansooragha@gmail.com)

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित ।
फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

NO BRANCH





Suleman Usman Mithaiwala

THE SWEET PEOPLE

PHONE : 23443966/23465059/23454842

167, IBRAHIM MERCHANT ROAD,
BELOW MINARA MASJID, MUMBAI-400 003

BAKERY :
33, MOHAMEDALI ROAD, MUMBAI-400 003

Posted on 20-21 March 2012
April 2012
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.03.2011

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2012-2014
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2012-14

انجمن ترقی اردو جھارکھنڈ

اردو زبان اور تعلیم کے تحفظ و بقا پر خصوصی توجہ دیں

(ایک اہم اپیل)

۱- اردو کو مادری زبان کی حیثیت سے تعلیم و تدریس پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اپنے بچوں اور بچیوں کو لازماً اردو لکھنا، پڑھنا سکھائیں، اسے گھر گھر رائج کریں اور انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اس کا بہر صورت نظم کریں۔ اشد ضروری ہے کہ ہر محلے اور ٹولے میں اردو کے آزاد مکاتب قائم کیے جائیں اور صاحب استطاعت افراد کے تعاون سے اردو اور اس کے ساتھ دینیات کی مفت تعلیم کے انتظام کو یقینی بنائیں۔

۲- اپنی رہائش گاہ پر نام کی تختی اور دکان کے سائن بورڈ اردو میں بھی لگائیں۔

۳- شادی، بیاہ اور دیگر تمام تقریبات کے دعوت نامے اردو میں لازماً جاری کریں۔

۴- اردو جھارکھنڈ کی دوسری سرکاری زبان ہے۔ لہٰذا سرکاری محکموں اور دفتروں میں عرضیاں اور درخواستیں ضرور بالضرور اردو میں دیں۔

۵- اپنے اداروں اور تنظیموں سے متعلق اعلانات اور اشتہارات اردو میں التزاماً شائع کرائیں اور اس کو اولیت دیں۔

۶- اپنے پسندیدہ اردو اخبارات اور اچھے اور صحت مند اردو رسالے اور کتابیں برابر مطالعے میں رکھیں اور انہیں اپنی حیثیت اور اہلیت کے مطابق خرید کر پڑھنے پر توجہ دیں۔ اپنے بچوں کو بھی ان کے لیے شائع ہونے والے صاف ستھرے رسائل فراہم کریں اور ان سے استفادے کا موقع دیں۔

۷- اردو کے جن اسکولوں میں اردو کی ابتدائی درسی کتابیں حکومت کے ذریعے فراہم نہیں کی جاتی ہیں وہاں اردو کی تدریس کا انتظام کرنے اور اسے جاری رکھنے کی کوشش کریں۔

۸- اردو کے جو سرکاری نیز غیر سرکاری اسکول اردو میں درسی کتابوں کے فراہم نہ کیے جانے کی وجہ سے ہندی میڈیم اسکول میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں ان کی اردو ذریعۂ تعلیم کے اسکول کی حیثیت سے پہچان بحال کرنے اور قائم رکھنے پر توجہ دیں۔

۹- مادری زبان میں لازمی ابتدائی تعلیم کے بنیادی آئینی حق (350 A) کے تحت اردو اسکولوں میں پہلے سے آٹھویں درجے تک اردو کی تعلیم کا کلی طور پر نظم کرنے اور اسے ذریعۂ تعلیم و امتحان کی حیثیت سے سیکنڈری اسکول اور انٹر (2+10) کی سطح تک جاری رکھ کر اور اردو تعلیم کے نظام کی بنیاد مستحکم کرنے پر توجہ دی جائے۔ اردو اسکولوں کی انتظامیہ، معلمین اور انجمن ترقی اردو سے اس سلسلے میں خصوصی تعاون اور ان کی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔

پروفیسر ابوذر عثمانی

محمد غوث ابن رشید، صدر میڈیا انچارج